दैनिक
आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्
नवप्रदेश
प्रदेश के साथ पूरा देश...

अंदर के पृष्ठों पर
3 राजधानी — लॉकडाउन के दौरान परिस्थितियों ....
4 अभिव्यक्ति — चीन के आगे सरेंडर मोदी ...
9 मनोरंजन/खेल — डॉक्टर्स ने बताया किस बीमारी से ...
11 व्यापार — इन्वेस्टर क्लिनी ने की व्यापारिक...

www.navpradesh.com
रायपुर, बुधवार 22 जुलाई 2020, शुक्लपक्ष-द्वितीया, विक्रम संवत-2077 वर्ष-09 अंक-162 पृष्ठ-12 मूल्य-3 रुपए
छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, झारखंड, से एक साथ प्रकाशित

आज बेबाक

नेता कोई भी हो, कैसा भी हो उसे निकम्मा कहना सारे नेताओं का घोर अपमान है। नेता हमेशा काम करता रहता है और कमाता भी है। ऐसे में भला उसे कैसे निकम्मा कहा जा सकता है? नेता झूठा हो सकता है। मक्कार हो सकता है। भ्रष्ट हो सकता है। दलबदलू हो सकता है। अवसरवादी हो सकता है। यहां तक की चोर, उचक्का, लुटेरा, बलात्कारी और हत्यारा भी हो सकता है लेकिन निकम्मा हरगिज नहीं हो सकता। यदि नेता निकम्मे होते तो मिर्जा गालिब का अंदाजे बयां यह होता कि- राजनीति ने गालिब निकम्मा कर दिया वरना आदमी हम भी थे काम के।

कोरोना: मां की अर्थी को कंधा देने वाले 5 बेटे भी चल बसे

■ 15 दिन में तबाह हुआ परिवार

धनबाद (ए.)। भारत में कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। इस मुश्किल समय में सतर्क रहना बहुत जरूरी है। ऐसी ही लापरवाही झारखंड के एक परिवार ने की। कोरोना संक्रमित मां की अर्थी को कंधा पांच बेटों की एक के बाद एक मौत हो गई। 15 दिनों में ही इस परिवार के छठे सदस्य की मौत हो गई। मृतक महिला के एक और बेटे की भी हालत नाजुक बनी हुई है। इसके अलावा परिवार के कई अन्य सदस्यों की भी तबीयत खराब बताई जा रही है।

देश में इस तरह का यह पहला मामला है। धनबाद में कतरास के चौधरी परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला 27 जून को एक शादी समारोह में शामिल होने दिल्ली गई थीं। वहां से लौटने के बाद जब 90 साल ■ शेष पृष्ठ 8 पर

एन-95 मास्क को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की राज्यों को चेतावनी, कोरोना वायरस से नहीं बचा सकता

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी राज्यों को एन-95 मास्क के इस्तेमाल करने के खिलाफ चेतावनी दी है। इसमें कहा गया है कि एन-95 मास्क हानिकारक हो सकता है क्योंकि वाल्व वायरस को मास्क से बाहर निकलने से नहीं रोकते हैं। आपको बता दें कि मंत्रालय की वेबसाइट पर घर में चेहरे के बनाए लिए प्रोटेक्टिव कवर बनाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक प्रोफेसर (डॉ) राजीव गर्ग ने सोमवार को सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों को एक पत्र जारी किया है। राज्यों को लिखे पत्र में कहा गया है कि यह देखने में आया है कि मेडिकल हेल्थ वर्कर्स के अलावा जनता द्वारा भी एन-95 मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है जबकि इसमें छिद्रयुक्त श्वसनयंत्र (वॉल्ड रेस्पिरेटर) लगे हुए है जो वायरस को मास्क में रोकते नहीं है। उन्होंने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफहेल्थ एंड फैमली वेलफेयर की वेबसाइट पर चेहरे और मुंह के मास्क के लिए एडवाजरी मौजूद है।

जिलों में संक्रमण रोकने की कवायद शुरु, जिला कर दिया जाएगा सील

खबरदार... आज से कर्फ्यू सी सख्ती

दुर्ग, कोरबा, बिलासपुर में रहेगा पूर्ण लॉकडाउन

नवप्रदेश संवादाता

रायपुर। प्रदेश के अधिकांश हिस्से में कल बुधवार 22 से कर्फ्यू सा माहौल होगा। मंगलवार-बुधवार की दरम्यानी रात से ही इसका असर दिखने लगेगा। हालाकि छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण काल की भयावह स्थिति से निपटने के लिए ऐहतियातन राज्य शासन ने कल 22 जुलाई और 23 जुलाई को प्रदेश के प्रभावित जिलों में पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। क्लब, रेस्टोरेंट, बार, सभी दुकानें रायपुर, सरगुजा, बलौदाबाजार में कल से बंद रहेंगे। पहली बार किराना दुकानों तक को पूरी तरह बंद रखने का आदेश है। पूर्ण लॉकडाउन की स्थिति में प्रदेश के चिन्हांकित जिले 2 अगस्त तक तालाबंदी की स्थिति में रहेंगे। हालाकि शासन ने डेली नीड्स, मांस-मटन विक्रय, सब्जी, दूध के लिए महज 4 घंटे की अवधि दी है। वहीं दवा दुकानों, पेट्रोल, अस्पताल समेत आवश्यक वस्तुओं की सेवाओं को इससे मुक्त रखा गया है।

कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए छत्तीसगढ़ के अधिकांश हिस्से में एक बार फिर लॉकडाउन लगने जा रहा है। हालांकि इस बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लॉकडाउन लगाने का फैसला कलेक्टरों पर छोड़ा है। कलेक्टर चाहें तो परिस्थिति के मुताबिक लॉकडाउन कर सकते हैं। ज्यादातर कलेक्टरों ने लॉकडाउन मन बना लिया है। रायपुर-बलौदाबाजार व सरगुजा में 22 से, दुर्ग-कोरबा व बिलासपुर में 23 से पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान आम जरूरत की चीजों का ध्यान रखा जाएगा जैसा पहले होता रहा है। जांजगीर जिले में अभी कोई घोषणा नहीं , ■ शेष पृष्ठ 8 पर

एक नजर

- कुल सैंपल जांच- 250016
- संक्रमितों की संख्या- 5598
- नए केस - 173
- स्वस्थ हुए - 3944

एक्टिव केस: 1626
कुल मौत : 28

जिलों में ऐसे रहेंगे हालात

- बिलासपुर निगम क्षेत्र 23 से 31 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा। 20 जुलाई को इसका आदेश जारी हुआ है।
- दुर्ग में भी 23 से 29 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा। यहां अब तक 312 मरीज मिले,120 से ज्यादा एक्टिव केस हैं।
- कोरबा में 23 से 29 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा। दूध, सब्जी, किराना सुबह 6 से 10 बजे तक दुकानें खुलेंगी।
- बलौदाबाजार में 22 जुलाई से 29 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा।
- कांकेर के शहरी इलाकों में 22 जुलाई से 29 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा। दफ्तर खुलेंगे, दुकानें सुबह 10 से शाम 4 तक
- जिन जिलों में शासन ने आंशिक लॉकडाउन घोषित किया है वहां शाम 6 बजे तक दुकान खोल सकेंगे
- रायगढ़ जिले में सिर्फ 6 केस हैं, वह भी बाहर से आए हुए। 22 से 29 जुलाई तक यहां आंशिक लॉकडाउन
- सारंगढ़ में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा
- जशपुर में दुकानें सुबह 7 से शाम 6 बजे तक खुलेंगी। यहां मरीज नहीं मिला, इसलिए आंशिक लॉकडाउन रहेगा।

राजधानी के लिए ये फरमान

- *आज मंगवार रात 12 बजे से राजधानी रायपुर में टोटली लॉकडाउन होने जा रहा है।*
- *सिर्फ फल, सब्जी, दवा दुकान को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेगी। किराना दुकान भी टोटली बंद*
- *किराना व राशन दुकानों को भी छूट नहीं मिलेगी। पूर्व में किराना, डेली नीड्स के लिए रियायत*
- *कलेक्टर-एसपी ने कहा है कि 22 जुलाई से 28 जुलाई तक राजधानी टोटली लॉकडाउन में रहेगी।*
- *सिर्फ अतिआवश्यक सेवाओं और उसमें सम्मलित कर्मचारियों को ही छूट दी जायेगी, फिजूल घूमने वालों पर कार्रवाई।*
- *आज से किसी भी फल, सब्जी और दूध की दुकानों को सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खुला रखने की इजाजत होगी।*
- *सरकारी दफ्तर व निगम-मंडल के दफ्तर बंद रहेंगे। शर्तों के साथ उद्योग संचालित होंगे। पेट्रोल पंप दोपहर 3 बजे तक।*
- *बस, ऑटो, टैक्सी सहित तमाम सार्वजनिक परिवहन बंद रहेंगे।*
- *माल, सुपर मार्केट व कपड़ा, बर्तन, फैंसी स्टोर, स्टेशनरी सहित ऐसी तमाम दुकानें बंद रहेगी।*
- *लॉकडाउन के दौरान नियमों का उल्लंघन करने और बहस करने वालों पर सीधी सख्त कार्रवाई की जाएगी।*

पीएचक्यू भी होगा लॉकडाउन, डीजीपी ने जारी किए दिशा निर्देश, समय भी निर्धारित

रायपुर। आज रात से राजधानी रायपुर सहित चार जिलों में लॉकडाउन लगने जा रहा है। इस दौरान सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे, हालांकि अतिआवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय खुले रहेंगे। इधर लॉकडाउन के दौरान पुलिस मुख्यालय को भी बंद रखा जायेगा। डीजीपी डीएम अवस्थी ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि नये और पुराने पुलिस मुख्याल में हाल के दिनों कई कोरोना संक्रमित पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मिले हैं। वहीं हाल में एक डीआईजी स्तर के अधिकारी भी कोरोना पॉजेटिव पाये गये थे। डीजीपी डीएम अवस्थी ने आदेश दिया है कि सभी अधिकारी व कर्मचारी वर्क फॉर होम करेंगे। वो मोबाइल के जरिये अधिकारियों के संपर्क में रहेंगे और बुलाये जाने पर कार्यालय में उपस्थित होना होगा। आपको बता दें कि 28 जुलाई तक का लॉकडाउन लगेगा, इस दौरान अधिकांश संस्थान व सुविधाएं बंद रहेगी।

हर चीजों का वक्त हुआ तय

- दूध विक्रेता सुबह 6 से 9.30 और शाम को 5 से 6.30 तक
- अखबार हॉकर्स के लिए सुबह 6 से 9:30 तक छूट रहेगी.
- पेट्रोल-डीजल पंप सुबह 6 से 3 बजे तक का समय निर्धारित है.
- एलपीजी, सीएनजी गैस के विक्रय सुबह 6 से दोपहर 3 बजे तक
- फल और सब्जी की दुकानें सुबह 6 से 10 बजे तक खुली रहेंगी.
- मेडिकल दुकानें 24 घंटे खुली रहेंगी
- 22 से 28 जुलाई की रात 12 बजे तक लॉकडाउन प्रभावशील
- सुबह 10 बजे के बाद से बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई होगी।

रायपुर जिले में कोरोना पॉजीटिव मरीजों में अब तक 9 मौतें, 641 भर्ती

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर जिला कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर प्रदेश का हॉट जिला बना हुआ है। यहां अब तक कोरोना संक्रमितों के कुल 1252 मामले सामने आये है, जिनमें से 602 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है, वहीं 09 लोगों की मौत भी हुई है। ये जानकारी स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई है। ज्ञात हो कि प्रदेश में अब तक कोरोना वायरस के कुल 02 लाख 50 हजार 16 संभावित लोगों का सैंपल जांच किया गया है, जिनमें से 5598 लोग पॉजीटिव पाये गये है। इन मरीजों में अब तक 3944 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए गए है, जबकि 28 लोगों की मौत भी हुई है। वर्तमान में एक्टिव मरीजों की संख्या 1626 है।

मंत्रालय और सभी विभागाध्यक्ष कार्यालय 22 से 28 तक बंद

■ सभी अधिकारी-कर्मचारी घर से करेंगे कार्य

नवप्रदेश संवाददाता

रायपुर। राज्य शासन ने मंत्रालय के विभागों के संचालन के संबंध में पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन किया है। मंत्रालय और विभागाध्यक्ष कार्यालयों का संचालन 22 जुलाई से 28 जुलाई 2020 तक की अवधि में नहीं किया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन द्वारा इस आशय का आदेश सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव (मंत्रालय) और सभी विभागाध्यक्ष को जारी किया गया है। जिसके तहत यह निर्देश नवा रायपुर, अटलनगर स्थित विभागाध्यक्ष कार्यालयों एवं रायपुर में स्थित विभागाध्यक्ष कार्यालयों पर भी लागू होगा। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में निर्देशित किया गया है कि मंत्रालय एवं विभागाध्यक्षों के कार्यालय के समस्त अधिकारी-कर्मचारी घर से शासकीय कार्य संपादित (वर्क फ्राम होम) करेंगे एवं सदैव मोबाईल/ टेलीफोन एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संपर्क में बने रहेंगे। आवश्यकता होने की स्थिति होने पर उन्हें कार्य पर उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया जाएगा। साथ ही आवश्यक नस्तियों और डाक के लाने-ले जाने एवं संचालन हेतु व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश है। शेष निर्देश यथावत लागू रहेंगे।

छत्तीसगढ़ में अब तक 28 की मौत, 1626 एक्टिव केस

छत्तीसगढ़ में कोरोना पॉजीटिव मरीजों के मृतकों का आकड़ा बढ़कर 28 पहुंच गया है, वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या भी 1626 हो गई है। प्रदेश में अब तक मिले कुल 5598 संक्रमितों में 3944 लोग स्वस्थ भी हो चुके है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में अब तक कोरोना वायरस के कुल 02 लाख 50 हजार 16 संभावित लोगों का सैंपल जांच किया गया है, जिनमें से 5598 लोग पॉजीटिव पाये गये है। इन मरीजों में अब तक 3944 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए गए है, जबकि 28 लोगों की मौत भी हुई है। वर्तमान में एक्टिव मरीजों की संख्या 1626 है।

कुल 5598 संक्रमितों में 3944 हो चुके डिस्चार्ज

खास खबर

मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन

लखनऊ(वार्ता)। मध्यप्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का मंगलवार सुबह यहां निधन हो गया। वह 85 वर्ष के थे। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और उनके बेटे आशुतोष टंडन ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा- 'बाबूजी नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी के वयोवृद्ध नेता लालजी टंडन बीते कई दिनों से बीमार थे और उनका लखनऊ के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था।

कोरोना से एक दिन में 24 हजार से अधिक हुए स्वस्थ

नई दिल्ली (वार्ता)। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के बीच पिछले 24 घंटे में राहत की बात यह रही कि इस महामारी से लगभग साढ़े 24 हजार लोग रोगमुक्त हुए जिससे स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 7.24 लाख के पार पहुंच गयी। देश में पहली बार एक दिन में 24,491 लोग स्वस्थ हुए हैं। इस अवधि में संक्रमण के नये मामलों में भी कमी हुई है और देश में पिछले 24 घंटों के दौरान 37,148 नये मामले सामने आये हैं जो कल की तुलना में 3,277 कम हैं।

अमरनाथ यात्रा रद्द, इस साल नहीं होंगे पवित्र गुफा के दर्शन

जम्मू (ए.)। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते विश्व प्रसिद्ध अमरनाथ यात्रा 2020 रद्द कर दी गई। हालांकि अभी तक संभावना जताई जा रही थी कि इस साल यात्रा 21 जुलाई से शुरू होकर 3 अगस्त तक चलेगी। इस बीच शुक्रवार को यात्रा के लिए 'प्रथम पूजा' भी आयोजित की गई थी। ऐस में अचानक अमरनाथजी श्राइन बोर्ड के अधिकारियों ने यात्रा को रद्द करने की घोषणा कर दी।

लोकार्पण — बस्तर में लघु वनोपजों के वेल्यू एडिशन की अच्छी पहल काजू प्रसंस्करण

बस्तर में स्वास्थ्य सुविधाएं और बेहतर होंगी : भूपेश

■ बस्तर कॉफी, बस्तर काजू, बस्तर हल्दी उत्पादों की मुख्यमंत्री ने की लॉन्चिंग

नवप्रदेश संवाददाता

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने रायपुर निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बस्तर जिले के मुख्यालय जगदलपुर स्थित महारानी अस्पताल में 07 करोड़ 27 लाख रूपए की लागत से कराए गए नवीन कार्यों का लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर के लोगों का महारानी अस्पताल से भावनात्मक लगाव है। नई सरकार महारानी अस्पताल को इस क्षेत्र के सर्वसुविधा सम्पन्न अस्पताल के रूप में विकसित करने का काम कर रही है। महारानी जिला अस्पताल की सुविधाएं देश के किसी भी जिला अस्पताल से कम नहीं है। अभी बस्तर के लोगों को इलाज के लिए बाहर जाना पड़ता है। राज्य सरकार यहां अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास कर रही है, जिससे बाहर के लोग भी बस्तर आकर अपना इलाज करा सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए डॉक्टरों की कमी न हो इसका विशेष ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री ने महारानी अस्पताल में 01 करोड़ रूपए की लागत से मातृ-शिशु स्वास्थ्य संस्थान कादम्बिनी में कराए गए उन्नयन कार्य और 04 करोड़ 58 लाख रूपए की लागत से महारानी अस्पताल में मातृ-शिशु पैथोलॉजी लैब, ब्लड बैंक एवं डायलिसिस के लिए आवश्यक उपकरण ■ शेष पृष्ठ 8 पर

बस्तर में लघु वनोपजों का अच्छा कार्य

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जिला प्रशासन के सहयोग से बस्तर में लघु वनोपजों के वेल्यू एडिशन का अच्छा कार्य किया जा रहा है। बकावण्ड स्थित काजू प्रसंस्करण के फिर से शुरू होने से काजू प्रसंस्करण से जुड़ी महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष के जैसे ही इस साल भी मलेरिया उन्मूलन और उल्टी, दस्त की रोकथाम के लिए बेहतर प्रबंधन की आवश्यकता है। उन्होंने मलेरिया मुक्त अभियान और कुपोषण के खिलाफअभियान में सफलता के लिए जिला प्रशासन को बधाई दी। एनआईसी द्वारा बस्तर क्षेत्र में पहली बार डिजिटल प्लेटफार्म पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्रामीणों से चर्चा करायी गई।

विधायक दल की बैठक के बाद बोले गहलोत-

ना कांग्रेस और ना ही बीजेपी चाहती है कि विधानसभा भंग हो

जयपुर। राजस्थान कांग्रेस में चल रहे संकट और हाईकोर्ट में सचिन पायलट की याचिका पर सुनवाई के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इस वक्त राज्य में कोई नहीं चाहता है कि विधानसभा भंग हो और वे चुनाव में जाएं। मंगलवार को बुलाई गई कांग्रेस विधायक दल की बैठक के दौरान गहलात ने कहा, ना ही कांग्रेस और ना बीजेपी चाहती है कि विधानसभा भंग हो और चुनाव कराया जाए। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा, पूरा देश यह देख रहा है कि किस तरह से आप लड़ रहे हो। आपके प्रति आदर कई गुणा बढ़ गया है। यह कोई साधारण बात नहीं है। आप सभी के पास फोन है, किसी पर किसी का कोई दबाव नहीं है। सचिन पायलट और उनके समर्थक 18 कांग्रेस विधायकों के बागी होने के बाद मंगलवार को तीसरी बार विधायक दल की बैठक बुलाई गई।

सीमा पर गोली, शिवसेना बोली- 'तोड़ दो नेपाली बंदूकों की नली'

- शिवसेना ने सामना के संपादकीय में नेपाली फायरिंग पर की टिप्पणी
- लेख में कहा- भारत को अब नेपाली बंदूकों की नली तोड़ देनी चाहिए
- शनिवार को बिहार के किशनगंज में एनपीएफने सीमा पर की थी फायरिंग
- 12 जून को सीतामढ़ी में हुई फायरिंग में एक भारतीय की हुई थी मौत

मुंबई (ए.)। भारत-नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर लंबे समय से हालात सामान्य नहीं हैं। इस बीच नेपाल सशस्त्र पुलिस बल की तरफ से सीमा पर हाल में की गई गोलीबारी पर शिवसेना ने हमला बोला है। शिवसेना ने मंगलवार को कहा कि नेपाली बंदूकों की नलियां तत्काल तोड़ दी जानी चाहिए, नहीं तो ऐसे मामले हमेशा के लिए पाकिस्तान की तरह सिरदर्दी बन जाएंगे।

शिवसेना के मुखपत्र 'सामना' के एक संपादकीय में कहा गया कि चीन भले ही लद्दाख में अभी चुपचाप बैठा है लेकिन वह यह सुनिश्चित करने के लिए खेल खेल रहा है। वह चाहता है कि भारतीय सीमाओं पर शांति न बनी रहे और वह नेपाल-पाकिस्तान से वहां गोलीबारी करा रहा है। जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों को करारा जवाब देने के लिए पार्टी ने भारतीय सैनिकों की तारीफकी है।

शिवसेना ने यह जानना चाहा कि देश के शासक पाकिस्तान की ओर से किए जाने वाले संघर्ष विराम उल्लंघनों और सीमा पार से हो रही गोलीबारी को रोक पाने में कब सफल होंगे। पुलिस के मुताबिक बिहार के किशनगंज जिले में शनिवार को भारत-नेपाल सीमा पर 'नो मेन्स लैंड' पर नेपाल सशस्त्र पुलिस बल (एनएपीएफ) की तरफ से की गई गोलीबारी में एक भारतीय नागरिक घायल हो गया था। वहीं, 12 जून को बिहार के सीतामढ़ी जिले में लालबंदी जानकी नगर गांव के पास भारत-नेपाल सीमा पर एनएपीएफ की गोलीबारी में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई थी और दो अन्य घायल हो गए थे।

शिवसेना ने मंगलवार को कहा कि पाकिस्तान ने इस साल अब तक 2,700 से अधिक बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने कहा कि इन घटनाओं में 21 बेकसूर भारतीय नागरिक मारे गए जबकि 94 अन्य घायल हो गए। पार्टी ने कहा कि अब, इसमें नेपाल की ओर से होने वाली गोलीबारी भी जुड़ गई है। इसका मतलब है कि पहले बस पाकिस्तान सीमा पार से गोलीबारी कर रहा था। अब नेपाली बंदूकें भी बेकसूर भारतीयों की जान ले रही हैं। मराठी दैनिक ने कहा, 'हम पाकिस्तानी बंदूकों को रोक पाने में कामयाब नहीं रहे हैं लेकिन यही बात नेपाल के साथ भी नहीं होनी चाहिए। नेपाली बंदूकों की नलियां अभी ही तोड़ दी जानी चाहिए। नहीं तो, नेपाल के साथ लगने वाली सीमा पर गोलीबारी भी हमेशा के लिए सिरदर्दी बन जाएगी जैसा कि पाकिस्तान के साथ है।'

एनएपीएफकी संलिप्तता वाली इन दो घटनाओं का संदर्भ देते हुए शिवसेना ने कहा कि नेपाल ने दिखा दिया है कि वह भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान का साथ देगा। संपादकीय में कहा गया, 'चीन फिलहाल लद्दाख में चुप है लेकिन वह नेपाल और पाकिस्तान से गोलीबारी कराकर सुनिश्चित कर रहा है कि भारतीय सीमाएं शांतिपूर्ण न रहें।'

पायलट केस में फैसले के बाद क्या करवट लेगा

राजस्थान का सियासी दंगल बन रही ये 4 संभावनाएं

जयपुर (ए.)। पायलट केस में फैसले के बाद क्या करवट लेगा राजस्थान का सियासी दंगल, बन रही ये 4 संभावनाएंराजस्थान में गहलोत और पायलट खेमे के बीच जारी सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। जिस तरह से सचिन पायलट के नेतृत्व में करीब 18 विधायकों ने सीएम गहलोत के खिलाफविरोध के सुर बुलंद किए, उससे सरकार पर संकट जरूर बढ़ गया। हालांकि, अशोक गहलोत ने जल्द ही अपने बाकी विधायकों को एकजुट करके अपनी सीएम की कुर्सी पर मंडरा रहे खतरे को फौरी तौर पर टाल दिया। विधानसभा अध्यक्ष ने सचिन पायलट खेमे के विधायकों को नोटिस भी जारी कर दिया। जिसको लेकर पायलट गुट ने राजस्थान हाईकोर्ट का रुख किया, इसमें सुनवाई जारी है। फिलहाल कोर्ट का फैसला क्या रहेगा ये तो आने वाले समय में पता चल जाएगा। इस बीच हर किसी की नजर इस बात पर है कि राजस्थान में आगे क्या हो सकता है?

कोर्ट का फैसला अगर गहलोत खेमे के पक्ष में आता है...

कोर्ट का फैसला अगर गहलोत खेमे के पक्ष में आता है तो मुख्यमंत्री तुरंत पायलट समेत सभी 19 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित करवा सकते हैं। एक संभावना ये भी है कि अगर कुछ विधायक फिर से वापस आना चाहते हैं तो उनके खिलाफविधानसभा स्पीकर अपना फैसला रोक सकते हैं। अगर इन विधायकों को अयोग्य करार दिया जाता है तो सूबे में बहुमत का आंकड़ा 91 हो जाएगा, जो कि अभी 101 का है। गहलोत खेमे का दावा है कि बहुमत का आंकड़ा उनके पक्ष में हैं, ऐसे में फिलहाल सरकार पर संकट के आसार कम ही नजर आ रहे हैं।

अगर पायलट खेमे के पक्ष में आता है फैसला तो...

अगर कोर्ट का फैसला सचिन पायलट खेमे के पक्ष में आता है तो ये सचिन पायलट के लिए बड़ी जीत होगी। उनकी प्लानिंग पर असर पड़ेगा और वो खुलकर सीएम अशोक गहलोत के सामने आ सकेंगे। वहीं, गहलोत खेमा ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है। हालांकि, पायलट खेमे के पक्ष में फैसला आने पर एक संभावना ये भी हो सकती है कि अशोक गहलोत खुद ही सरकार से अलग हो जाएं।

अगर बीजेपी के साथ जाता है पायलट गुट तो...

अगर पायलट खेमा बीजेपी और उसके सहयोगियों के साथ जाता है तो क्या सियासी स्थिति होगी? ऐसे में बीजेपी के 75 विधायक, पायलट गुट के 21 एमएलए और क्षेत्रीय भारतीय ट्राइबल पार्टी के दो विधायक भी एक साथ आकर सरकार बनाने का दावा कर सकते हैं। हालांकि, इसकी संभावना तभी होगी जब पायलट खेमा बीजेपी के साथ जाता है। लेकिन अभी तक उनकी तरफ से बीजेपी में जाने को लेकर कुछ स्पष्ट तौर पर नहीं कहा गया है।

अगर अयोग्यता नोटिस को खारिज किया जाता है तो...

राजस्थान हाईकोर्ट में पायलट खेमे की ओर से दायर की गई याचिका पर कोर्ट अगर अयोग्यता नोटिस को खारिज कर देता है, तो ऐसी स्थिति में बहुमत की संख्या 101 बनी रहेगी। ऐसे में सीएम गहलोत को आगे आकर एक बार फिर से सभी कांग्रेस विधायकों को एकजुट करना होगा। उन्हें सरकार का सपोर्ट करने की अपील के साथ बहुमत के तय आंकड़े 101 को पार करना होगा। हालांकि, मौजूदा स्थिति में गहलोत खेमे का दावा है कि उनके पास 105 विधायकों का सपोर्ट है।

कोरोना को मात दे चुकी है दिल्ली की एक-चौथाई आबादी

23% से अधिक लोगों में मिले कोविड-19 एंटीबॉडीज : सीरो सर्वे

नई दिल्ली (ए.)। कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार का पता लगाने के लिए राजधानी दिल्ली में किए गए सीरो सर्वे से पता चला है कि दिल्ली में औसतन 23.48 प्रतिशत लोगों में IgG एंटीबॉडी मौजूद है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल (एनसीडीसी) द्वारा किए गए अध्ययन से यह भी संकेत मिलता है कि बड़ी संख्या में संक्रमित व्यक्ति बिना लक्षण वाले रहे। इस रिपोर्ट का यह अर्थ है कि दिल्ली की करीब एक-चौथाई आबादी में एंटीबॉडीज है यानी एक-चौथाई आबादी कोविड-19 वायरस के संपर्क में आ चुकी है।

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने दिल्ली में सीरो-सर्वेलांस अध्ययन शुरू किया।

एक सरकारी बयान में बताया गया है कि यह अध्ययन एनसीडीसी द्वारा दिल्ली सरकार के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सहयोग से किया गया था। यह सर्वे 27 जून, 2020 से 10 जुलाई, 2020 तक किया गया था। प्रयोगशाला मानकों के अनुसार, कुल 21,387 नमूने एकत्र कर उनके टेस्ट किए गए। इन टेस्ट्स ने सामान्य आबादी में एंटीबॉडी की उपस्थिति की पहचान करने में मदद की। यह टेस्ट एक डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है, बल्कि केवल कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने वाले व्यक्तियों में SARSCoV-2 के कारण पिछले संक्रमण के बारे में जानकारी प्रदान करता है।

इसके लिए दिल्ली के सभी 11 जिलों के लिए सर्वे टीमों का गठन किया गया था। सर्वे के लिए चयनित व्यक्तियों से लिखित सहमति लेने के बाद उनके ब्लड के सैंपल लिए गए और फिर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा अनुमोदित COVID KAVACH ELISA का उपयोग करके IgG एंटीबॉडी और संक्रमण के लिए उनका सीरा टेस्ट किया गया। ELISA टेस्ट का उपयोग करते हुए देश में किए गए सबसे बड़े सीरो-प्रचलन अध्ययनों में से एक है।

कोविंद, वेंकैया, मोदी समेत देशभर के नेताओं ने लालजी टंडन के निधन पर जताया शोक

नयी दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के अन्य गणमान्य लोगों ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन के निधन पर मंगलवार को शोक व्यक्त किया तथा उनके सम्मान में मध्य प्रदेश में पांच दिन, उत्तर प्रदेश में तीन दिन और बिहार में एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बुजुर्ग नेता लालजी टंडन का मंगलवार सुबह लखनऊ में निधन हो गया। वह 85 वर्ष के थे। श्री कोविंद ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के जरिये अपने शोक संदेश में कहा, मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन के निधन से हमने एक ऐसी महान हस्ती खो दी है, जो लखनऊ की संस्कृति और राष्ट्रीय निष्ठा का अद्भुत समागम थे।

उम्र कैद की सजा काट रही नलिनी श्रीहरन ने दी आत्महत्या की धमकी

नई दिल्ली (ए.)। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रही नलिनी श्रीहरन ने सोमवार को अपने एक सह-कैदी के साथ कथित रूप से खुद को मारने की धमकी दी है। रिपोर्ट के मुताबिक, नलिनी और एक अन्य दोषी को वेल्लोर में महिलाओं के स्पेशल सेल में रखा गया है। आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक दोषी ने जेलर से इस बारे में शिकायत की। दो दशकों से अधिक समय से जेल में बंद नलिनी ने कथित तौर पर जेलर द्वारा सेल में पूछताछ करने के बाद अपना जीवन समाप्त करने की धमकी दी थी। नलिनी के अलावा मामले में दोषी ठहराए गए अन्य लोगों में उनके पति मुरुगन, सुथिनथिरा राजा उर्फ संथान, एजी पेरारीवलन, रॉबर्ट पायस, जयकुमार और रविचंद्रन शामिल हैं। दोषियों में से चार- श्रीहरन, संथान, रॉबर्ट पायस और जयकुमार श्रीलंका के नागरिक हैं। सभी दोषियों को टाडा अदालत ने 21 मई, 1991 को राजीव गांधी की हत्या में उनकी भूमिका के लिए दोषी मानते हुए मौत की सजा सुनाई थी। बाद में मौत की सजा को आजीवन कारावास बना दिया गया। आपको बता दें कि राजीव गांधी की एलटीटीई के आत्मघाती हमलावर ने चेन्नई के पास श्रीपेरंबुदूर में एक चुनावी रैली के दौरान हत्या कर दी थी।

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्रं./अ-27/वर्ष 2018-19

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका लक्ष्मी अन्य आ. बीएल चौहान निवासी हनोदा तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम तहसील व जिला दुर्ग स्थित खासा क्रमांक... में दर्ज भूमि खसरा नंबर 635/10 रकबा 0.024 हें भूमि जो कि आवेदक/आवेदिका लक्ष्मी चौहान, योगिता के नाम पर शामिलात रुप से वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। उक्त भूमि का पूर्व में हुए आपसी बंटवारा एवं कास्त कब्जा के आधार पर बराबर सामान हिस्सों में खाता विभाजन किए जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 31.07.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 16.07.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — नायब तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नजूल जांच अधिकारी दुर्ग (छ.ग.)
ईश्तहार

रा.प्र.क्र./81/अ-20(1) वर्ष 2019-20

आवेदिका श्रीमती सरोज बाई पति कैलाश प्रसाद सोनी निवासी वार्ड 32 मैथिलपारा दुर्ग द्वारा इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया है कि दुर्ग में स्थित नजूल शीट क्रमांक 29 सी प्लाट क्र 323 क्षेत्रफल 67 वर्गमीटर भूमि धारक गणेश लाल आ. बंशीलाल सोनी निवासी सोनार पारा दुर्ग के नाम पर नजूल अभिलेख में दर्ज है। धारक द्वारा उक्त नजूल भूमि अपनी पुत्रवधु श्रीमती सरोज बाई सोनी पति कैलाश प्रसाद सोनी के पक्ष में पंजीकृत दान पत्र दिनांक 10.06.2020 को निष्पादित किया है। आवेदिका द्वारा उक्त पंजीकृत दान पत्र के आधार पर प्रश्नाधीन भूखण्ड से दानदाता का नाम विलोपित कर स्वयं का नाम नजूल अभिलेख में दर्ज किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसका प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतएव एतद् द्वारा सर्वसाधारण एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति/ संस्था को आपत्ति हो तो प्रकरण की सुनवाई दिनांक 30.07.2020 या इसके पुर्व इस न्यायालय में स्वतःया किसी अधिकृत व्यक्ति अथवा अधिवक्ता के द्वारा जिसे भूखण्ड संबंधी जानकारी हो प्रस्तुत किया जावे अथवा करवाया जावे। इसके पश्चात् प्राप्त आक्षेप/आपत्ति पर कोई कार्यवाही नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 02.07.2020 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा से जारी किया गया।

मुहर — नजूल जांच अधिकारी, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नजूल जांच अधिकारी दुर्ग (छ.ग.)
ईश्तहार

रा.प्र.क्र./92/अ-20(3) वर्ष 2019-20

आवेदिका श्रीमती केशर सिन्हा पति रामकिशोर सिन्हा निवासी वार्ड 56 बघेरा दुर्ग की ओर से अधिवक्ता श्री सुनीत कुमार साहू द्वारा इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया है कि दुर्ग में स्थित नजूल शीट क्रमांक 09 सी प्लाट क्र 5/6 रकबा 108/50 वर्गमीटर भूमि धारकगण सुशीला, मेघा, हेमलता आ. रामदयाल मो. नयापारा के नाम पर नजूल अभिलेख में दर्ज है। आवेदिका द्वारा उक्त भूखण्ड को धारकगण से पंजीकृत बैनामा दिनांक 03.03.2020 द्वारा क्रय कर काबिजल है। आवेदिका द्वारा पंजीकृत बैनामा के आधार पर विक्रेता/ धारकगण का नाम उक्त भूखण्ड से विलोपित कर स्वयं का नाम दर्ज किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसका प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतएव एतद् द्वारा सर्वसाधारण एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति/ संस्था को आपत्ति हो तो प्रकरण की सुनवाई दिनांक 30.07.2020 या इसके पुर्व इस न्यायालय में स्वतःया किसी अधिकृत व्यक्ति अथवा अधिवक्ता के द्वारा जिसे भूखण्ड संबंधी जानकारी हो प्रस्तुत किया जावे अथवा करवाया जावे। इसके पश्चात् प्राप्त आक्षेप/आपत्ति पर कोई कार्यवाही नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 02.07.2020 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा से जारी किया गया।

मुहर — नजूल जांच अधिकारी, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नजूल जांच अधिकारी दुर्ग (छ.ग.)
ईश्तहार

रा.प्र.क्र.//अ-20(3) वर्ष 2019-20

आवेदक मनोष राय चौधरी आ. एम.एन. चराय चौधरी निवासी एल.आई.जी. 244 आमदीनगर हुडको भिलाई तहसील व जिला दुर्ग की ओर से अधिवक्ता श्री सुनीत कुमार साहू द्वारा इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया है कि आमदी नगर हुडको भिलाई में स्थित खसरा 1/2, 2/2 का टु. प्लाट नं. एल.आई.जी. 244 रकबा 96.00 वर्गमीटर भूखण्ड/ मकान एम.एन. राय चौधरी आ. के.पी. राय चौधरी नि. हुडको भिलाई के नाम पर नजूल अभिलेख में दर्ज है। धारक की मृत्यु दिनांक 26.02.2011 को हो गई है, उनके वारिसान पुत्र मनोज राय पुत्री मुक्ता दत्ता है। आवेदक द्वारा मृतक धारक का नाम विलोपित कर उनके वारिसानों का नाम दर्ज किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसका प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतएव एतद् द्वारा सर्वसाधारण एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति/ संस्था को आपत्ति हो तो प्रकरण की सुनवाई दिनांक 30.07.2020 या इसके पुर्व इस न्यायालय में स्वतःया किसी अधिकृत व्यक्ति अथवा अधिवक्ता के द्वारा जिसे भूखण्ड संबंधी जानकारी हो प्रस्तुत किया जावे अथवा करवाया जावे। इसके पश्चात् प्राप्त आक्षेप/आपत्ति पर कोई कार्यवाही नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 02.07.2020 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा से जारी किया गया।

मुहर — नजूल जांच अधिकारी, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./469/अ-74/वर्ष 2019-20

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक प्रवीण कुमार जैन पिता स्व. केवलचंद जैन निवासी ग्राम कसारीडीह तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम कसारीडीह तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 782/38 शामिल 782/39 रकबा 0.052 हे. भूमि जो कि आवेदक/ शामिलात सहखातेदार के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदक द्वारा मूल ऋण पुस्तिका गुम हो जाने पर डुप्लीकेट ऋण पुस्तिका प्रदाय करने हेतु आवेदन पत्र चालान की मूल प्रति, बैंको द्वारा प्रस्तुत अनापत्ति प्रमाण पत्र, थाना की रिपोर्ट व राजस्व अभिलेख सहित इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 17.08.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 16.07.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

आम-सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार सुनील गुप्ता आ. शिवनंदन प्रसाद गुप्ता निवासी प्रगति नगर केम्प 01 भिलाई तह. व जिला दुर्ग छ.ग. के द्वारा विक्रेता नारायण सिंह आ. घासीराम साहू निवासी सुभाष नगर नंदनी रोड भिलाई तह. व जिला दुर्ग छ.ग. से उसके हक व स्वामित्व की भूमि स्थान ग्राम नेवारीखुर्द प.ह.न. 09 रा.नि.मं. बालोद तह. व जिला बालोद छ.ग. के खसरा नंबर 112, 113 एवं 133/1 रकबा क्रमशः 0.200, 0.080 एवं 0.260 हे. कुल रकबा 0.54 हे. लिखित इकरारनामा दिनांक 27.09.2019 को कर संपूर्ण राशि चेक के माध्यम से प्राप्त कर चुका है उक्त भूमि का विक्रय मेरे पक्षकार के नाम रजिस्ट्री किया जाना शेष है। यदि किसी व्यक्ति, संस्था, कंपनी, संगम, निगम, मंडल, सोसायटी, शासन व अन्य किसी को कोई आपत्ति लिया जाना है तो वह मेरे पक्षकार के बताए पर इस सूचना के प्रकाशन की तारिख के 15 दिवस के भीतर संपर्क कर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते है। उक्त अवधि पश्चात मेरे पक्षकार के द्वारा किया गया क्रय सव्यवहार रजिस्ट्री बयनामा सद्भाविक और मान्य होगा तथा अन्य दावा/ आपत्ति अमान्य मानी जावेगी और उक्त इकरारनामा का बल प्रभावी होगा तथा अन्य इकरारनामा अमान्य माना जावेगा।

सो सूचना जाने।

अधिवक्ता
देवेन्द्र सिंग चौहान
जिला न्यायालय दुर्ग

न्यायालय नायब तहसीलदार नजूल दुर्ग (छ.ग.)
ईश्तहार

रा.प्र.क्र./235/अ-20(1) वर्ष 2019-20

आवेदक पांचोबाई, राधेश्याम, सुखनंदन पिता स्व. दाऊलाल कोसरे निवासी कसारीडीह दुर्ग द्वारा इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया है कि दुर्ग नगर स्थित मोहल्ला गुरुघासीदास वार्ड 44 नजूल शीट क्रमांक 78 बी भूंखड क्र 112 क्षेत्रफल 188.00 वर्गमीटर आवासीय/ व्यवसायिक भूखण्ड स्थाई नजूल पट्टे पर उन्हे प्राप्त है, जिसकी पट्टा अवधि 31.03.2002 है। छ.ग. शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन मंत्रालय रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 04-07/7-1/2019 दिनांक 11.09.2019 एवं 26.10.2019 में जारी निर्देशों के अनुक्रम में धारक/ पट्टेदार द्वारा शासन की शर्तो के अनुरुप उक्त भूखण्ड का भूमिस्वामी अधिकार प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। जिसका प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतएव एतद् द्वारा सर्वसाधारण एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति/ संस्था को आपत्ति हो तो प्रकरण की सुनवाई दिनांक 31.07.2020 या इसके पुर्व इस न्यायालय में स्वतःया किसी अधिकृत व्यक्ति अथवा अधिवक्ता के द्वारा जिसे भूखण्ड संबंधी जानकारी हो प्रस्तुत किया जावे अथवा करवाया जावे। इसके पश्चात् प्राप्त आक्षेप/आपत्ति पर कोई कार्यवाही नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 17.07.2020 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा से जारी किया गया।

मुहर — नजूल जांच अधिकारी, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./अ-06/ वर्ष 2019-20
पंजी. क्र. 20200710120026

एतद् द्वारा सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदिका रजिया बानो पिता/ पति मोहम्मद खालिद निवासी हनोदा मौजा चंदखुरी प.ह.नं. 29 रा.नि.मं. अण्डा तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 433/8 रकबा 2275 वर्गफीट हे. भूमि को विक्रेता/ आम मुख्तयार ओमशंकर चंद्राकर पिता रामप्यारी चंद्राकर से दिनांक 05.03.2020 को क्रय कर रजिस्ट्री बैनामा निष्पादित किया है आवेदक द्वारा उक्त बैनामा के आधार पर नामांतरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतएव उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा/आपत्ति करना हो तो नियत पेशी दिनांक 30.07.2020 अथवा प्रकाशन तिथि से 15 दिवस तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 15.07.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — नायब तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला - दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

पंजी. क्र. 202007100400369

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के पत्र क्रमांक एफ-4-07/7-1/2019 दिनांक 11.09.2020 एवं 26.10.2019 के तहत जारी निर्देशो के अनुसार नगरीय क्षेत्रों में रिक्त/ अतिक्रमित शासकीय भूमि का आबंटन/ व्यवस्थापन शासन द्वारा निर्धारित प्रीमियम, भूभाटक पर किया जाना है। तहसील दुर्ग के नगरीय निकाय क्षेत्र नगर निगम भिलाई अंतर्गत ग्राम खम्हरिया प.ह.न. 15 स्थित भूमि खसरा नं. 467 रकबा 2.570 हे. मे से रिक्त भूखण्ड (0.40 हे.) 4000 वर्गमीटर को भूमिस्वामित्व में प्राप्त करने/ अतिक्रमण का व्यवस्थापन करने नियमित व्यक्तियों द्वारा आवेदन पेश किया गया है।

अनुसूची

आवेदक का नाम	पिता/ पति का नाम	निवास का पता
चौहान हाउसिंग प्रा. लि. डायरेक्टर अजय चौहान	स्व. विपत उर्फ दिपेश्वर चौहान	राजीव नगर सुपेला भिलाई

अतः वर्णित भूमि को शासन द्वारा निर्धारित दर पर सूची में वर्णित व्यक्तियों को आबंटित/ व्यवस्थापित किए जाने में जिस किसी व्यक्ति/ संस्था को दावा/आपत्ति पेश करना हो तो वे स्वयं अथवा अपने विधिक अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से दावा/ आपत्ति कार्यालयीन दिवस एवं समयावधि में दिनांक 31.07.2020 तक पेश कर सकते है। निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त दावा/ आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयकी मुहर के साथ आज दिनांक 16.07.2020 को जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग, जिला दुर्ग

कार्यालय राजस्व निरीक्षक सिकोला जिला दुर्ग (छ.ग.)
सीमांकन बाबत्

उपरोक्त आदेश के परिपालन में ग्राम सिकोला प.ह.न. 08 रा.नि.मं. सिकोला के भूमि स्वामी/ आवेदक श्री कमल मारुती आ. श्री खगेन्द्र मारुती के भूमि ग्राम सिकोला में स्थित सीमांकन हेतु आवेदित भूमि खसरा नंबर 57/404 रकबा 0.010 हे. सीमांकन किया जावेगा। चूंकि उक्त खसरा नं. से आपकी भूमि भी लगी हुई है या आपके द्वारा बेची गई है। अतः आप अपने समस्त दस्तावेजों (पंजीयन ले आउट वगैरह) के साथ मौके पर दिनांक 23.7.2020 को 11.00 बजे उपस्थित रहे।

मुहर — राजस्व निरीक्षक, सिकोला दुर्ग

न्यायालय नायब तहसीलदार अहिवारा तह. धमधा जिला दुर्ग
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./अ-06/वर्ष 2019-20
पंजी. क्रं. 20200710280022

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक लक्ष्मीकांत पिता अर्जुनजी भाई निवासी धमधा रोड कुम्हारी तहसील धमधा जिला दुर्ग के द्वारा मौजा ग्राम कपसदा प.ह.न. 43 तहसील धमधा स्थित भूमि के संबंध में इस आश्य का आवेदन किया है कि दिनांक 09.03.2020 को कार्यालय उप पंजीयक दुर्ग के अति. पुस्तक 1, ग्रंथ क्र. 744 पृष्ठ क्रं. 356 से 398 द.क्र. 4905 पर तबादलानामा निष्पादित एवं पंजीकृत किया गया है। उक्त तबादलानामा पत्र में भूमि का पेज नं. 03 के कालम नंबर 11 की खसरा नंबर 1459/1 रकबा 0.330 हे. गलत लिखा गया है। न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्पस दुर्ग के प्रकरण क्र./156/बी-103/2019-20 के द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.06.2020 के अनुसार सुधारकर 1459/2 रकबा 0.110 हे. किए जाने बाबत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति को आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के आधार पर दावा आपत्ति पेश करना हो तो स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर दिनांक 13.08.2020 तक पेश कर सकते है नियत अवधि के पश्चात प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 27.11.2019 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के मुहर से जारी किया गया है।

मुहर — नायब तहसीलदार, अहिवारा (छ.ग.)

न्यायालय नजूल जांच अधिकारी दुर्ग (छ.ग.)
ईश्तहार

रा.प्र.क्र./94/अ-20(3) वर्ष 2019-20

आवेदिका श्रीमती कुमारी बाई ताम्रकार पति स्व. घनश्याम सिंह ताम्रकार निवासी तमेरपारा वार्ड 30 दुर्ग में स्थित नजूल भूमि शीट क्रमांक 45 अ प्लाट क्र 63/2 रकबा 60.81 वर्गमीटर घनश्याम सिंह आ. बंशीलाल ताम्रकार तमेरपारा के नाम पर नजूल अभिलेख में दर्ज है। धारक घनश्याम की मृत्यु दिनांक 13.11.2016 को हो चुकी है। मृतक धारक के वारिसान पत्नी/ आवेदिका श्रीमती कुमारी बाई ताम्रकार है। इसके अतिरिक्त अन्य वारिसान नहीं है। आवेदिका द्वारा मृतक धारक का नाम विलोपित कर उनके वारिसान/ स्वयं का नाम पर फौती नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसका प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतएव एतद् द्वारा सर्वसाधारण एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति/ संस्था को आपत्ति हो तो प्रकरण की सुनवाई दिनांक 30.07.2020 या इसके पुर्व इस न्यायालय में स्वतःया किसी अधिकृत व्यक्ति अथवा अधिवक्ता के द्वारा जिसे भूखण्ड संबंधी जानकारी हो प्रस्तुत किया जावे अथवा करवाया जावे। इसके पश्चात् प्राप्त आक्षेप/आपत्ति पर कोई कार्यवाही नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 08.07.2020 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा से जारी किया गया।

मुहर — नजूल जांच अधिकारी, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा-पत्र

मा.क्र./अ-74/ वर्ष 2019-20

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक रामू पारधी पिता स्व. भभूत पारधी निवासी बघेरा तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा इस न्यायालय में आवेदन पेश किया गया है कि अपने भूमिस्वामी हक की भूमि ग्राम मोहलई प.ह.नं. 06 तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नं. 34, 40, 42 रकबा 0.1400, 0.2600, 0.2600 हे. भूमि का प्राप्त ऋण पुस्तिका गुम हो जाने के कारण द्वितीय प्रति ऋण पुस्तिका बाबत् आवेदन इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो दिनांक 06.08.2020 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति/ आक्षेप पेश कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नही किया जावेगा।

आज दिनांक 17.07.2020 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया जाता है।

मुहर — नायब तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./1177/अ-06/वर्ष 2019-20

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती दार्थी तिवारी पति राहुल तिवारी निवासी ग्राम पुलगांव बस्ती दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग केद्वारा ग्राम पुलगांव तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 116/3, 116/4 रकबा 0.008, 0.004 हें. भूमि को विक्रेता बोधीराम पिता गुलाल साहू निवासी ग्राम पुलगांव बस्ती से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 02.07.2020 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 11.08.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 16.07.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./446/अ-74/वर्ष 2019-20

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक संतराम साहू पिता स्व. रामचरण साहू निवासी ग्राम कसारीडीह तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम कसारीडीह तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 69/7 रकबा 0.013 हे. भूमि जो कि आवेदक/ शामिलात सहखातेदार के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदक द्वारा मूल ऋण पुस्तिका गुम हो जाने पर डुप्लीकेट ऋण पुस्तिका प्रदाय करने हेतु आवेदन पत्र चालान की मूल प्रति, बैंको द्वारा प्रस्तुत अनापत्ति प्रमाण पत्र, थाना की रिपोर्ट व राजस्व अभिलेख सहित इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 11.08.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 16.07.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)
उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./1126/अ-06/वर्ष 2019-20

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक संतराम साहू पिता स्व. रामचरण साहू निवासी ग्राम डिपरापारा तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम कसारीडीह तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 69/7 रकबा 0.013 हे. भूमि जो कि आवेदक/ शामिलात सहखातेदार के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदित भूमि के खातेदार तिजिया बाई ध.प. रामचरण की मृत्यु हो जाने पर फौती दर्ज कर मृतक खातेदार के सभी विधिक वारिसानों का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 11.08.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 16.07.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

लॉकडाउन के दौरान परिस्थितियों के अनुसार लिया जाएगा निर्णय-सिंहदेव

■ आपातकालीन सेवाएं रहेगी जारी,सुबह 6 से 10 बजे तक लोग खरीद सकेंगे आवश्यक सामाग्री

रायपुर। लाकडॉउन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने बयान दिया है कि राजधानी सहित प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुये कम से कम एक सप्ताह का लॉकडाउन होगा। इस दौरान कोरोना सक्रमितों की संख्या पर नजर रखी जाएगी। यदि कोरोना मरीजों की संख्या में कमी नही आयी तो आगामी निर्णय लिया जाएंगा। 22 व 23 जुलाई से प्रदेश के अलग-अलग जिलों में रायपुर,दुर्ग,राजनांदगांव ,कोरबा,बिलासपुर व अंबिकापुर में एक सप्ताह का कड़ा लॉकडाउन का निर्णय जिला कलेक्टरों द्वारा लिया गया है। लॉकडाउन को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह देव ने बयान दिया है कि कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या व लोगों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिग सहित लापरवाही बरतने के चलते कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोत्तरी को देखते हुये राज्य शासन ने जिला कलेक्टरों को अपने क्षेत्रों में लाकडाउन का निर्णय लेने को कहा था। जिसके बाद कलेक्टरों ने अपने-अपने क्षेत्रों में सख्ती से लॉकडाउन का पालन करने का निर्देश दिया है। लॉकडाउन के दौरान दूध,अंण्डे एवं सब्जी की दूकाने केवल सुबह 6 से 10 बजे तक खुली रहेंगी। पेट्रोलपंपों डीजल एवं पेट्रोल दोपहर तीन बजे तक विक्रय किया जाएगा।

इसके अलावा सभी दुकाने,ऑटों,बसे एवं अन्य परिवहन के साधनों पर पूर्णतः सड़कों पर निकलने पर रोक होगी। राजधानी सहित जिलों में मेन चौक चौराहों पर प्वाईन्ट लगाकर सड़कों पर निकलने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। सुबह 10 बजे के बाद बेवजह घूमने वालों एवं बिना मास्क के निकलने वाले लोगों पर कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार उक्त लॉकडाउन में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ज्ञातव्य है कि सोमवार को रेडक्रास भवन में आयोजित पत्रवार्ता में कलेक्टर रायपुर ने यह स्पष्ट कहा कि इस बार का लॉकडाउन पूर्व के लॉकडाउन से बिल्कुल अलग होगा। लापरवाही बरतने वालों पर दण्डात्मक कार्रवाही की जाएगी।

आदर्श नगर में मिला कोरोना पॉजिटिव

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार जिला रायपुर में नगर पालिक निगम अंतर्गत थाना-गुढ़ियारी के आदर्श नगर में 01 नया कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरुप उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है।गत्दिवस जिला प्रशासन द्वारा घोषित कंटेनमेंट जोन में पश्चिम में बंद रास्ता हैं, उत्तर में दोदे नायक का मकान, तोतो नायक का मकान,और पूर्व में मेन रोड तक की परिसीमाए निर्धारित की गई थी।उल्लेखनीय है कि नगरपालिका निगम रायपुर एवं बिरगांव में प्रतिदिन कोरोना पॉजिटिव मरीज परये जाने फलस्वरूप उक्त दोनो नगरीय निकाय क्षेत्रो में लगातार बढती संख्या को देखते हुये संक्रमण को रोकने हेतु प्रशासन द्वारा सम्पूर्ण क्षेत्र को कटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।

ब्रह्मदेई पारा में मिला कोरोना पॉजिटिव

भारत सरकार,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार जिला रायपुर में नगर पालिक निगम अंतर्गत थाना-खमतराई के ब्रह्मदेई पारा में 01 नया कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरुप उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है।गत्रदिवस जिला प्रशासन द्वारा घोषित कंटेनमेंट जोन में पश्चिम में मेन रास्ता तथा उत्तर एवं दक्षिण में अवासीय मकान है,रास्ता नहीं हैं। और पूर्व में रास्ता बंद तक की परिसीमाए निर्धारित की गई थी।उल्लेखनीय है कि नगरपालिका निगम रायपुर एवं बिरगांव में प्रतिदिन कोरोना पॉजिटिव मरीज परये जाने फलस्वरूप उक्त दोनो नगरीय निकाय क्षेत्रो में लगातार बढती संख्या को देखते हुये संक्रमण को रोकने हेतु प्रशासन द्वारा सम्पूर्ण क्षेत्र को कटेनमेंट जोन घोषित किया

शिवानंद पारा में मिला कोरोना पॉजिटिव

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार जिला रायपुर में नगर पालिक निगम अंतर्गत थाना-गुढ़ियारी के शिवानंद पारा में 01 नया कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरुप उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। गत्दिवस जिला प्रशासन द्वारा घोषित कंटेनमेंट जोन में पश्चिम में बंदलाल वाधवानी का मकान, उत्तर में रागु साहू का मकान, दक्षिण में प्रितेश चावड़ा का मकान, और पूर्व में खाली मैदान तक की परिसीमाए निर्धारित की गई थी। उल्लेखनीय है कि नगरपालिका निगम रायपुर एवं बिरगांव में प्रतिदिन कोरोना पॉजिटिव मरीज परये जाने फलस्वरूप उक्त दोनो नगरीय निकाय क्षेत्रो में लगातार बढती संख्या को देखते हुये संक्रमण को रोकने हेतु प्रशासन द्वारा सम्पूर्ण क्षेत्र को कटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश अथवा निकास हेतु केवल द्वार होगा। जिसमें तैनात पुलिस अधिकारी द्वारा फिजिकल डिस्टेंसिग सुनिश्चित करते हुए मेडिकल इमरजेंसी और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी दुकानें, ऑफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त पूर्णतः बंद रहेगें। प्रभारी अधिकारी द्वारा कन्टेनमेंट जोन में होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जाएगी। आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी हेतु विधिवत परिवहन अनुमति इंसीडेंट कमांडर द्वारा दी जाएगी।

श्रवण यदु बने पैसेंजर वेलफेयर एसोसिएशन छत्तीसगढ़ अध्यक्ष

रायपुर। राष्ट्रीय अध्यक्ष पैसेंजर वेलफेयर एसोसिएशन इंडिया एवं मेंबर जेडआरयूसीसी वेस्टर्न रेलवे आलोक नाथ तिवारी ने श्रवण यदु को पैसेंजर वेलफेयर एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। श्री तिवारी ने श्रवण यदु को यात्री कल्याण संघ की जिम्मेदारी देकर यात्रियों से जुड़ी परेशानी और उनकी स्थिति सुधारने की बात की गई है छत्तीसगढ़ में किसी भी प्रकार से यात्रियों को परेशानी ना हो इसके लिए रेलवे के अफसरों से चर्चा करके यात्रियों के समस्याओं का निदान करने की जिम्मेदारी सौंपकर श्रवण कुमार यदु को छत्तीसगढ़ का प्रभार दिया गया है और उनके इस नियुक्ति को लेकर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देकर बधाई दी। आलोक नाथ तिवारी ने यह भी कहा है यात्रियों से जुड़ी हर समस्या चाहे वह टिकट से लेकर यात्रियों को ट्रेन में होने वाली समस्याओं और सफर के दौरान किसी भी प्रकार की तकलीफ यात्रियों को होने पर इसके निदान व समस्याओं को भी गंभीरता से लेकर निदान करने की बात की गई है।

जोगी बंगले में जल्द गूंजेगी किलकारी, अमित बनेंगे पापा

रायपुर। जल्द ही जोगी बंगले में किलकारी गूंजने जा रही है। अमित जोगी पापा बनने जा रहे हैं। इस खुशी की जानकारी अमित जोगी ने ट्वीट करके दी है। उन्होंने दो बार किये ट्वीट में पत्नी ऋचा जोगी के गर्भ में पल रहे अपने बच्चे की लाइव फिल्म को भी शेयर किया है और अपनी फीलिंग को भी शेयर किया है। छत्तीसगढ़ के जनप्रिय नेता रहे पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का निधन पिछले माह यानि जून 2020 में हो गया था। इसके बाद जोगी परिवार काफी दुखी था। 21 जुलाई 2020 को अमित जोगी ने ट्वीट कर जोगी परिवार में आने वाली खुशी के बारे में लोगों को जानकारी दी। अमित जोगी द्वारा किये गये ट्वीट के मुताबिक दो सप्ताह बाद यानि अगस्त के पहले सप्ताह में जोगी बंगले में किलकारी गूंजने जा रही है। इस परिवार को लंबे समय से इस किलकारी का इंतजार रहा। जो अब पूरा होने जा रहे है। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने ट्वीट में लिखा है कि आज मैंने पहली बार अपनी दो हफ्ते बाद आने वाली संतान की लाईव फिल्म देखी। ऐसा लगता है कि नाक मेरी जैसी है। उसकी मोटी-मोटी सुंदर आँखे और नन्हे-नन्हे हाथ-पाँव उसकी माँ जैसे दिखती हैं।

लॉकडाउन से 12 घंटे पहले ही हरकत में आए जमाखोर

शराब की पेटियां खरीदे, सिगरेट, पान-मसाला के दाम में भी उछाल

■ बंद के ऐलान से पूर्व ही दाम और सक्रियता बढ़ गई थी

■ जिला प्रशासन ने जारी किया शिकायत नंबर भी बेअसर

नवप्रदेश संवादाता

रायपुर। पूरा प्रशासन कोरोना संक्रमण से लड़ने की तैयारी कर रहा है। सरकार की गोधन न्याय योजना और उससे पहले बैठकों के दौर में अफसर व्यस्त रहे। ऐसे में 22 और 23 जुलाई से प्रदेश में लॉकडाउन के फैसले की खबर के बाद से ही जमाखोरों की पौ-बारह है। एक बार फिर तीन दिन पहले से ही चीजों की कीमतें अचानक बढ़ा दी गईं। यही नहीं राशन, दूध और दवाईयों से ज्यादा शौकीनों को शराब व गुटखा, सिगरेट पान मसाला इकट्ठा करते देखा गया। मौके का पूरा फायदा भी जमाखोर उठाने में लगे हैं। तय कीमत से 20 से 30 रुपए में सिगरेट पैकेट, पान-पसाला की कीमतें भी बढ़ाकर बिकीं। 22 से 28 जुलाई तक राजधानी रायपुर और 23 से 31 जुलाई तक प्रदेश के अन्य जिलों में लॉकडाउन घोषित किया गया है। जिला सील बंद होने से पहले ही कीमतों में वृध्दि कर दी गई थी। खुदरा कारोबारियों के मुताबिक लॉकडाउन के ऐलान से दो दिन पूर्व जो ऑर्डर दिया गया था थोक व होलसेलर्स उसे केंसिल कर ज्यादा कीमत वसूल कर रहे हैं। लॉकडाउन में शराब दुकानें भी बंद रहेंगी इस आदेश के बाद से ही जमाखोरों ने पहले ही शराब, बीयर की पेटियां ज्यादा रेट में खरीद कर मुनाफा कमाने के उद्देश्य से रख लिया है। हालाकि तय कीमत व जमाखोरों की इस हरकत के लिए जिला प्रशासन सख्त भी है और शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर भी जारि किया है। परंतु पीड़ितों का कहना है कि कीमत देना मजबूरी है क्योंकि सामान तय रेट पर नहीं दिया जा रहा और शिकायत नंबर के लेट रिस्पांस से जमाखोरों का मनोबल भी बढ़ा हुआ है।

राशन, सब्जी सब महंगी

सब्जियों की कीमत में बारिश की मार पहले से ही खरीदार झेल रहे थे। अब लॉकडाउन की वजह से आज 24 घंटे पहले कीमत आसमान छूने लगी। टमाटर 80, आलू-प्याज 30-40, रुपए में बिका। वहीं गोभी 70 रुपए किलो, धनिया 120, अदरक 100 रुपए किलो बिका। सीजनल सब्जियों के दाम भी आवक के बाद 40-50 रुपए किलो था। इसी तरह राशन में तेल की कीमत प्रति लीटर 15 से 25 रुपए ज्यादा बढ़ गया। जबकि दालों की कीमतें भी तय दर से 20 रुपए ज्यादा बेची गईं। शराब दुकानों में भी यही नजारा रहा और शौकीनों की भीड़ सुबह से ही नजर आने लगी थी। रात होते होते वाइन शॉप में मजमा लगा हुआ था।

बाजार में टूट पड़े खरीदार

सब्जी, फल, राशन और अन्य जरुरती सामानों की खरीदारी के लिए आज राजधानीवासी टूट पड़े। शहर में सभी थोक बाजारों में आमदिनों की अपेक्षा ज्यादा भीड़-भाड़ रही। कई प्रमुख मार्गों में ट्रेफिक जाम की स्थिति थी। गोलबाजार, शास्त्री बाजार, एमजी रोड समेत कई रास्तों में लंबा जाम लगा रहा। मटन मार्केट, अमरदीप टॉकीज बाजार, बंजारी मार्केट के रास्ते में भी आधा आधा घंटे का जाम लगा रहा। 22 से 31 जुलाई के सख्त लॉकडाउन की खबरों के बाद से ही खरीदार बाजार में अपनी जरुरती चीजों के लिए उमड़ पड़े थे।

निगम, मंडल, आयोग के नवनियुक्त अध्यक्षों ने जिम्मा सम्हाला

■ विधायक कुलदीप पत्नी संग एक्टिवा में पहुंचे

■ तिवारी, धुप्पड़, किरणमयी ने भी पदभार लिया

नवप्रदेश संवादाता

रायपुर। आज निगम, मण्डल, आयोग के नवनियुक्त अध्यक्षों ने विधिवत पदभार ग्रहण किया। कल से राजधानी रायपुर में 8 दिन के लॉक डाउन के चलते अनेक अध्यक्षों ने कार्यभार सम्हाला लिया है। गृह निर्माण मण्डल में कुलदीप जुनेजा, छत्तीसगढ़ महिला आयोग में श्रीमती किरणमयी नायक, रायपुर विकास प्राधिकारी में सुभाष धुप्पड़, खादी ग्रामोद्योग का जिम्मा सम्हाल लिया।राजेंद्र तैयारी ने आज अपने कार्यालयों में सभी मंत्रियों, नेताओं, समर्थकों की उपस्थिति में पदभार ग्रहण किया ।

इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया, राजस्व मंत्री जंय सिंह अग्रवाल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री रुद्र गुरु, श्रीमती करुणा शुक्ला ने पहुँचकर श्रीमती किरणमयी नायक को बधाई दी । काँग्रेस के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी एवं सदस्यों ने भी श्रीमती नायक को बधाई एवं शुभकामनाएं दी । बधाई देने वालों में विशेष रूप से गिरीश देवांगन, शेखर शुक्ला, कन्हैया अग्रवाल, मनोज कंदोई, राकेश धोत्रे, रविंद्र कुमार शुक्ला, अमित श्रीवास्तव, विष्णु साहू, अनेश बजाज, उषा रज्जन श्रीवास्तव, शोभा यादव, गुरमीत धनाई, सुनीता शर्मा, आशा चौहान, ममता राय, भोज कुमारी यदु, बबिता नथानी, साक्षी सिरमौर, गंगा यादव, सायरा खान, इत्यादि उपस्थित रहे ।

सीएम के चारों सलाहकारों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा

रायपुर (नव प्रदेश)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चारों सलाहकार को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। इस बाबत सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार बिनोद वर्मा, कृषि, योजना व नीति सलाहकार प्रदीप शर्मा, मीडिया सलाहकार रूचिर गर्ग और संसदीय सलाहकार राजेश तिवारी को आज जारी आदेश के बाद से तत्काल कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया गया है। इस आदेश के बाद चारों सलाहकारों को अब मंत्रियों को मिलने वाली तमाम सुविधाएं और सहुलियतें मिलने लगेगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण के तत्काल बाद अलग-अलग क्षेत्र में पारंगत शीर्षस्थ लोगों को अपना सलाहकार नियुक्त किया था।

इलाज के दौरान कोरोना पॉजिटिव फरार, सकते में महकमा

नवप्रदेश संवादाता

रायपुर। स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 के इलाज के लिए विभिन्न अस्पतालों में भर्ती मरीजों से अपील की है कि वे अस्पताल द्वारा विधिवत डिस्चार्ज किए जाने के बाद ही अपने घर लौटे। अस्पताल प्रशासन की जानकारी या अनुमति के बिना अपने मन से अस्पताल न छोड़ें और न ही वहां से भागें। उल्लेखनीय है कि कोविड-19 के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती रायपुर के भाठागांव की एक महिला बिना बताए अपने घर आ गई थी। घर पर इस महिला की मौत के बाद संपर्क में आए परिजनों सहित कई लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं।

स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना वायरस के ऐसे संक्रमितों जिनकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव्ह है, लेकिन उनमें किसी तरह के लक्षण नहीं हैं, उन्हें आइसोलेशन सेंटर (कोविड केयर सेंटर) में रहने कहा है। संक्रमण के लक्षणों वाले मरीजों को अस्पताल में भर्ती कर इलाज किया जाएगा। विभाग ने लोगों से कंटेनमेंट जोन वाले क्षेत्रों में आवाजाही नहीं करने की भी अपील की है।

शहर में कोविड-19 के ज्यादा मरीजों वाले बिरगांव, उरला, हीरापुर, कबीरनगर, टाटीबंध, कुकुरबेड़ा, मंगल बाजार में स्वीपर कॉलोनी, गुढ़ियारी, चंगोरा भाठा, भाठागांव, मठ पुरैना, मठपारा, शंकर नगर, न्यू शांति नगर, दलदल सिवनी, सड्डू और देवपुरी क्षेत्र में वायरस संक्रमण और संवहन अधिक है। इन सभी क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन सक्रिय हैं। यहां सेनिटाइजेशन कर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और एक्टिव सर्विलेंस की जा रही है। इन इलाकों में आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा यहां सभी लोगों के सैंपल लेने की कोशिश की जा रही है। इन क्षेत्रों के लोगों से ज्यादा सतर्कता बरतने और कोविड-19 के संक्रमण से बचाव संबंधी सभी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की अपील स्वास्थ्य विभाग ने की है। विभाग ने प्रदेश के ज्यादा प्रभावित शहरों में 22 जुलाई से लागू हो रहे लॉक-डाउन के दौरान लोगों से घर पर ही रहने की अपील की है।

जकांछ को योगेश तिवारी कर दिया अलविदा

■ अमित ने दुख जताया और मंजूर किया इस्तीफा

नवप्रदेश संवादाता

रायपुर। जोगी कांग्रेस के एक के बाद एक सदस्य पार्टी छोड़ते जा रहे हैं। अब योगेश तिवारी ने भी जोगी कांग्रेस को बाय-बाय कर दिया है। सोशल मीडिया में पोस्ट कर उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। पार्टी छोड़ने की वजह उन्होंने जोगी कांग्रेस की नीतियों को बताया है। पहले कांग्रेस में रहे योगेश ने अजीत जोगी की नयी पार्टी बनाने पर जोगी कांग्रेस में चले गये थे। पार्टी ने उन्हें विधानसभा चुनाव में टिकट भी दिया था। इधर अमित जोगी ने योगेश तिवारी के इस्तीफे पर ट्वीट कर अपनी बातें रखी है। अमित जोगी ने लिखा है। पार्टी में यूथ लीडर की पहचान रखने वाले योगेश तिवारी ने पोस्ट में कहा कि अजीत जोगी के नहीं रहने के बाद पार्टी अब मूल नीतियों से भटकने लगी है। हालांकि अभी तक उन्होंने अपनी आगे की रणनीति नहीं बतायी है, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द वो पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। इस्तीफे में योगेश तिवारी ने पार्टी छोड़ने की वजह बताई और जोगी परिवार के प्रति अपनी वफादारी को भी दुहराया। उन्हों ने कहा स्व अजीत जोगी जी जाने के बाद से मुझे लगने लगा है कि जनता कांग्रेस अपने मुल नितीयों से भटक गया है। छत्तीसगढ में आज कांग्रेस की सरकार ने जो गौधन योजना लागु किया है ।ईस योजना से में बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ हुं।

मोक्षदा (ममता) चन्द्राकर इंदिरा कला संगीत विवि की कुलपति नियुक्त

नव प्रदेश संवाददाता

रायपुर। राज्यपाल एवं कुलाधिपति सुश्री अनुसुईया उइके ने पद्मश्री से सम्मानित लोक गायिका श्रीमती मोक्षदा (ममता) चन्द्राकर को इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ की कुलपति नियुक्त किया है। राज्यपाल सुश्री उइके ने श्रीमती चन्द्राकर को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए आशा व्यक्त की है कि वे इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ का नाम और ऊंचाईयों तक ले जाएंगी। यह नियुक्ति इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय अधिनियम 1956 (छत्तीसगढ़ संशोधन अधिनियम 2019) की धारा 52 की उपधारा (7) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलाधिपति द्वारा की गई है। श्रीमती चन्द्राकर का कार्यकाल, उपलब्धियां तथा सेवा शर्तें विश्वविद्यालय अधिनियम एवं परिनियम में निहित प्रावधान अनुसार

उत्तरी छत्तीसगढ़ में अच्छी वर्षा के आसार

नवप्रदेश संवाददाता

रायपुर। छत्तीसगढ़ में आगामी चौबीस घंटों के दौरान अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा के आसार हैं। वहीं उत्तरी छत्तीसगढ़ में आज और कल वर्षा के क्षेत्र और मात्रा के अधिका होने की संभावना है। मौसम विभाग से जारी पूर्वानुमान के अनुसार इस समय मानूसनी द्रोणिका गंगानगर, दिल्ली, हरदोई, गोरखपुर होते हुए पूर्वी छोर हिमालय की तराई तक स्थित हो गया है। वहीं उत्तर-दक्षिण द्रोणिका उत्तर कनार्टका के अंदरुनी इलाकों से होकर तमिलनाडू तक दक्षिणी अंदरूनी कनार्टका होते हुए 0.9 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। मौसम विभाग की माने तो इस तंत्र के प्रभाव से प्रदेश में आज 21 जुलाई और कल 22 जुलाई को अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। वहीं प्रदेश में एक-दो स्थानों पर गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो इस दौरान प्रदेश के उत्तरी भाग में वर्षा की मात्रा अधिक होने की संभावना है। राज्य के शेष इलाकों में मौसम का मिजाजुला असर रहने के आसार हैं।

राज्य में अब तक 465.6 मिमी औसत वर्षा दर्ज

छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बनाये गये राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष द्वारा संकलित जानकारी के अनुसार 1 जून से अब तक 465.6 मिमी औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष द्वारा संकलित जानकारी के अनुसार आज 21 जुलाई को सवेरे रिकार्ड की गई जानकारी के अनुसार सरगुजा जिले में 13.2 मिमी, सूरजपुर में 8.7 मिमी, बलरामपुर में 12.3 मिमी, जशपुर में 11.1 मिमी, कोरिया में 12.0 मिमी, बलौदाबाजार में 3.9 मिमी, गरियबंद में 5.1 मिमी, महासमुंद में 5.2 मिमी, धमतरी में 1.9 मिमी, बिलासपुर में 3.2 मिमी तथा रायगढ़ में 6.7 मिमी वर्षा रिकार्ड की गई है।

संपादकीय

कोरोना काल में ब्लड की कमी

कोरोना काल में देश के लगभग सभी राज्यों के ब्लड बैंकों में खून की कमी हो रही है, अधिकांश ब्लड बैंक खाली हो गए है। राजधानी नई दिल्ली हो या मुंबई या देश के अन्य महानगर हर जगह ब्लड बैंकों में खून का स्टाक खत्म होता जा रहा है। इसकी वजह से कैंसर के मरीजों और थैलेसिनिया के मरीजों को भारी दिक्कतों को सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि थैलेसिनिया के मरीजों को बार बार रक्त चढ़ाना पड़ता है। इस रोग से ज्यादातर मासूम बच्चे ग्रसित होते है जिन्हे ब्लड बैंकों में खून की कमी के कारण रक्त नहीं मिल पा रहा है, इसी तरह कैंसर के मरीजों को भी भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। एक्सीडेंट में घायल लोगों के आपरेशन में भी डॉक्टरों को दिक्कत हो रही है क्योंकि ब्लड बैंकों में खून की कमी हो गई है। इसका कारण यह बताया गया है कि कोरोना काल में लोग रक्तदान करने से कतरा रहे है। उन लोगों का मानना है कि यदि उन्होने रक्तदान किया तो उनकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी और वे कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते है। जबकि ऐसा नहीं है, चिकित्सकों के मुताबिक रक्तदाता के शरीर में 14 दिनों के भीतर उतना खून फिर से बन जाता है जितना उन्होने रक्तदान किया होता है। ब्लड डोनर इसलिए भी ब्लड डोनेट करने से हिचकिख रहे है क्योंकि उन्हे रक्तदान करने से पहले अपना कोरोना टेस्ट करवाना पड़ता है जिसमें एक दो दिन का समय लग जाता है, यही वजह है कि ब्लड डोनेट करने वालों की संख्या कम हो गई है। नतीजतन ब्लड बैंकों में ब्लड का स्टॉक खत्म हो रहा है। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर जन जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है जिसमें लोगों को रक्तदान के लिए प्रोत्साहित किया जाए। रक्तदाताओं के कोरोना टेस्ट को प्राथमिकता दी जाए ताकि उनका समय व्यर्थ न जाएं और वे सुविधा जनक रूप से रक्तदान कर सके। देश में ऐसी कई संस्थाएं है जो जरूरत मंद मरीजों को रक्त उपलब्ध कराने का काम करती है। ऐसी संस्थाओं को भी कोरोना काल में आगे आना चाहिए और अपनी संस्था से जुड़े लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में रक्तदान के लिए प्रेरित करना चाहिए ताकि पीड़ित मानवता की सेवा हो। कैंसर और थैलेसिनिया के मरीजों को राहत मिले और वे रक्त की कमी के चलते अकाल ही काल का ग्रास बनने से बच सकें।

विचार-

यूरोपीय यूनियनः महामारी और कड़वाहट

बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में चल रही यूरोपियन यूनियन की बैठक में जिस तरह के तीव्र मतभेद सामने आए हैं और जिन तीखे शब्दों के जरिये वे प्रकट हुए हैं, वह कोई सामान्य बात नहीं है। ईयू देशों की इस बैठक में और बातों के अलावा 1800 अरब यूरो (2100 अरब डॉलर) के बजट और रिकवरी फंड पर भी बहस चल रही है। कोविड-19 से जूझते जरूरतमंद पूर्वी-दक्षिणी यूरोपीय देशों के लिए रिकवरी फंड को जरूरी माना जा रहा है। सैद्धांतिक रूप से सभी देश इस पर सहमत भी थे, लेकिन जैसे ही बैठक शुरू हुई और उसमें फ्रांस तथा जर्मनी की ओर से यह प्रस्ताव रखा गया कि रिकवरी फंड (750 अरब यूरो) का अधिक से अधिक हिस्सा (500 अरब यूरो) महामारी से पीड़ित देशों को सहायता के रूप में दिया जाए, इस पर मतभेद उभरने लगे। दक्षिण यूरोपीय देश- इटली और स्पेन इसके पक्ष में थे, लेकिन फ्रूगल (कंजूस) फोर के नाम से जाने जा रहे चार देश- ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, स्वीडन और नीदरलैंड्स इसके तीव्र विरोध में सामने आ गए। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री मार्क रट ने साफ-साफ कह दिया कि अपनी संसद की मंजूरी के बगैर वे अपने देश पर कर्ज का कोई बोझ नहीं डाल सकते, वह भी इसलिए कि सदस्य देशों को कैश बांटना है! इस पर हंगरी के दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बान ने कहा कि मार्क रट पुराने कम्युनिस्ट शासकों जैसा आचरण दिखा रहे हैं। निजी टिप्पणियों से भरी यह तीखी बहस थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। विवाद रिकवरी फंड की मात्रा पर ही नहीं, उसके साथ जोड़ी जाने वाली शर्तों पर भी था। हाल यह रहा कि बैठक का समय बार-बार बढ़ाया जाता रहा, लेकिन सहमति की कोई सूरत बनती नजर नहीं आई। शनिवार को समाप्त होने वाली बैठक रविवार और फिर सोमवार को भी चलती रही, लेकिन आखिर तक इसमें शामिल नेता यह कहने की स्थिति में नहीं थे कि उनके बीच सहमति बन ही जाएगी।

लक्जमबर्ग के प्रधानमंत्री जेवियर बेटेल ने यहां तक कह दिया कि ईयू मीटिंग्स में शामिल होने के अपने सात साल के अनुभव में ऐसा तीखा मतभेद उन्होंने कभी नहीं देखा। बहरहाल, बैठक का अंत चाहे जैसा भी हो, इन चार दिनों में इसमें जो कुछ होता हुआ दिखा है वह इस मान्यता को ध्वस्त करने के लिए काफी है कि ब्रिटेन के अलग होने के बाद ईयू का सबसे बड़ा संकट खत्म हो गया और अब उसे शांति तथा सहमति से चलाना मुश्किल नहीं होगा। 1993 में ईयू का गठन राष्ट्रों की सीमाएं कमजोर पड़ने की दिशा में एक ठोस कदम माना गया था। दुनिया के एक ग्लोबल विलेज बनने के सपनों को इसने पंख लगा दिए थे। यूरोपीय संसद की यह बैठक अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन महामारी जैसे पहले वास्तविक संकट के सामने इसमें नजर आई कटुता उन सबके लिए तकलीफदेह है जो राष्ट्रों की सीमाओं में बंटी तनावग्रस्त दुनिया की जगह आपसी सहयोग, विश्वास और प्रेम से संचालित विश्व के सपने से जुड़ाव महसूस करते रहे हैं।

कुमार रमेश

चीन के आगे सरेंडर मोदी सरकार!

> चीन ने हमेशा भारत को गैर बराबरी का दर्जा दिया, और अब स्ट्रिंग ऑफपर्ल्स में फंसाना चाहता है, फिर भी भारत उसे हमेशा शांत रखता रहा और ऐसी घटनाओं पर प्रतिउत्तर देकर कोई भी लिवरेज़ हासिल नहीं की। इस तरह कूटनीतिक मोर्चे पर भी मोदी सरकार चीन के आगे सरेंडर हो गई। निष्कर्ष पर जाने से पहले लद्दाख में घुसपैठ के संदर्भ में बात करें तो भारत पुनः चीन से हार चुका है। लेकिन यह सरेंडर जमीन पर कब्जे से नहीं बल्कि खुद की जमीन छोड़ने से है, यानी गालवान वैली, गोगरा पोस्ट और हॉट स्प्रिंग के पेट्रोलिंग पोस्ट 14, 15 और 17अ जैसे महत्वपूर्ण सामरिक इलाके, जो अप्रैल में भारत के कब्जे में थे, अब इनके 4 किमी के क्षेत्र में नो मैंस लैंड का अस्थायी बफर जोन बना दिया गया है। यह सब तब हुआ जब भारतीय प्रधानमंत्री चीनी राष्ट्रपति से 6 सालों में 18 बार मिलकर संबंधों को मजबूत बना चुके हैं। बेशक चीन गालवान घाटी पर कब्जा नहीं कर पाया लेकिन उसने भारत से भी इसका हक छीन लिया है। निष्कर्ष में भारत सरकार को सुझाव है कि वह चीन के संदर्भ में अपनी रक्षात्मक नीति को आक्रामकता में बदले। हालांकि पहले यह मानना होगा कि हमारी नीति फेल हुई है, जो यह सरकार मानना नहीं चाहती। दूसरी तरफ भारत को चीन की कमजोर नब्ज़ यानी दक्षिण चीन सागर, तिब्बत, ताइवान और हांगकांग पर खुलकर अपनी राय रखनी चाहिए ताकि उस पर लिवरेज हासिल की जा सके।

यह ज़रूरी नहीं कि कोई देश सैन्य मामलों में हार जाए तो ही उसे आत्मसमर्पण कहा जाएगा। आज की दुनिया ग्लोबलाइजेशन और अर्थव्यवस्था पर आधारित है और किसी देश के सुपरपावर बनने का तात्पर्य है कि वह सिर्फ सैन्य मामले में ही नहीं बल्कि आर्थिक, कूटनीतिक, सामरिक मामलों के साथ अंतरिक्ष एवं साइबर क्षेत्र में भी विश्व के किसी भी देश पर अपनी क्षमता से दबाव कायम कर सकता है। इसलिए यह शीर्षक महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि 1962 से 43000वर्ग किमी क्षेत्र खो देने के बाद भी हमारी सरकारें ऐसी घटनाओं से कोई सीख क्यूं नहीं लेती! हमारी प्रगतिशील और लोकतांत्रिक सरकारों को यह पता है कि चीन की नीति हमेशा से विस्तारवाद की रही है क्योंकि यह परंपरा उनके राजवंशों से चली आ रही है इसलिए हमारी सीमा में घुसपैठ कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन उसी भाषा में प्रतिउत्तर देने की जगह हमारी सरकारें चीन को खुश और शांत क्यों रखती आयी हैं? शुरुआत यकीनन 1962 के भारत-चीन युद्ध से होती है क्योंकि यह हमसे प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी है, लेकिन कुछ घटनाक्रम इससे पहले भी हुए थे जिसमें भारत ने अपीज़मेंट पॉलिसी को ही महत्व दिया। पहली घटना चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जे के संदर्भ में थी जिसमें भारत ने कोई जवाबी प्रतिक्रिया नहीं दी। दूसरी घटना अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी द्वारा भारत को परमाणु बम देने संबंधी पेशकश थी, जिससे चीन को परमाणु परीक्षण करने से रोका जा सके, लेकिन उदारवादी पं. नेहरू ने विश्व शांति के लिए खतरा मानते हुए इस सहयोग को ठुकरा दिया। तीसरी गलती 1962 के युद्ध में भारतीय वायुसेना का इस्तेमाल न करने की थी, क्योंकि भारत को डर था कि चीन को ज्यादा गुस्सा नहीं दिलाया जाना चाहिए अन्यथा वे अपनी वायुसेना से कोलकाता पोर्ट और अन्य शहरों को नष्ट कर देंगे। इन्हीं गलतियों ने चीन के प्रति भारत की जो नीति विकसित कर दी उसे आज भी सरकारें फॉलो कर रही हैं।

इसी कड़ी में एक बड़ी गलती 2003 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी की, जब उन्होंने तिब्बत पर चीनी कब्जे को आधिकारिक मान्यता देकर उसे चीन का भाग मान लिया। दरअसल, मान्यता तो 1954 के पंचशील समझौते के आधार पर पं. नेहरु ने भी दी थी लेकिन उसमें अविभाजित तिब्बत का अस्तित्व था। जबकि बाद के वर्षों में चीन ने तिब्बत को 5 टुकड़ों में बांटकर उसके चार टुकड़ों यानी किंघाई, गांसू, युन्नान एवं शिचुआन को अपने मेनलैंड चीन में मिला लिया और उसके सिर्फ एक ही भाग को स्वायत्त तिब्बत क्षेत्र में बदल दिया था, इस तरह बाकी चार क्षेत्रों को भुला दिया गया। आज के परिदृश्य में भी कुछ नहीं बदला है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछली कई सरकारों से भी बड़ा ब्लंडर करते हुए चीन के सामने हथियार डाल दिए है। दरअसल, चीन के मामले में पूर्ववर्ती सरकारों ने जो अपीज़मेंट पॉलिसी बनाई थी, उसका मकसद था चीन को शांत और खुश रखते हुए भारत का विकास। वे नीति निर्माता समझते थे कि चीन के विकास में भारत का विकास भी संभव है लेकिन चीन का मजबूत होना भारत की सुरक्षा दृष्टि से ठीक नहीं, इसलिए पूर्ववर्ती सरकारों ने चीन को रोकने के लिए जो विभिन्न नीतियां बनाई थीं, प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता में आते ही इसे उलट-पुलट कर दिया और देश चीनी निर्भरता के आगे दम तोड़ने लगा।

चूंकि भारत की चीन सामानों पर निर्भरता 21वीं सदी की शुरुआत से बढ़ने लगी थी, जिसमें हमारा व्यापार घाटा भी तेजी से बढ़ रहा था। उसी समय कुछ नीति निर्माताओं ने सरकार को सुझाव दिया कि चीनी निवेश को भारतीय बाजार विशेषकर टेलीकम्युनिकेशन और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अनुमति देकर व्यापार घाटे की पूर्ति की जा सकती है, लेकिन पिछली सरकारों ने डर से इस सुझाव पर कोई गंभीरता नहीं दिखाई ताकि चीनी निवेश बची हुई भारतीय कंपनियों को भी पंगु ना बना दें। अब यहीं से पूरा घटनाक्रम बदला, जैसे ही नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने उन्होंने एफडीआई और चीनी निवेश के दरवाजे खोल दिए। तथ्यों को इस तरह समझिए कि उसी समय फिनलैंड की कंपनी नोकिया कारोबार समेटकर भारतीय बाजार को अलविदा कह रही थी तब दूसरी तरफ बिना किसी अन्तराल के जियोनी, लेनोवो, ओप्पो, वीवो जैसी चीनी कंपनियों ने नोकिया के रिक्त स्थानों की पूर्ति करने भारत आ रही थीं। परिणाम यह है कि 2014 में सिर्फ 2 स्मार्टफ़ोन प्लांट वाला भारत, आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफ़ोन उत्पादक है लेकिन टॉप 100 में 1-2 के अलावा कोई भी भारतीय कंपनी शामिल नहीं। उधर चीन के साथ हमारा व्यापार घाटा भी 2014 के बाद से आज दुगना बढ़ गया। रही बात चीनी इन्वेस्टमेंट की, तो वो हमारी कंपनियों में इस हद तक घुस चुकी हैं कि प्रबंधन तक मैनेज कर रहीं। इस तरह भारत ने मोदी प्रशासन में आर्थिक मोर्चे पर चीन के आगे सरेंडर कर दिया।

सामरिक मोर्चे पर दूसरा सरेंडर भी मोदी के आने से खत्म नहीं हुआ, बल्कि यह सब तब हुआ जब भारतीय प्रधानमंत्री चीनी राष्ट्रपति का अपने गृह राज्य में झूला झूलाकर स्वागत कर रहे थे, यानी शी जिनपिंग की यात्रा के तुरंत बाद लद्दाख के चुशूल सेक्टर में चीनी सेना ने तम्बू गाड़ दिया। यह घुसपैठ तब तक खत्म नहीं हुई, जब तक भारत ने वहां निर्माण कार्य को पूरी तरह खत्म करने का वादा नहीं किया। इस घटना से चीन समझ चुका था कि नयी मोदी सरकार भी अपीज़मेंट पॉलिसी को ही आगे बढ़ाएगी। सबसे प्रमुख उदाहरण 75 दिन तक चले डोकलाम विवाद का है, जहां भारत ने ट्राईजंक्शन में चीनी निर्माण को रुकवा देने को अपनी कूटनीतिक जीत बताया, लेकिन जैसे ही विवाद खत्म हुआ, आखिरकार चीन ने बाद के महीनों में वो निर्माण कार्य पूरा कर ही लिया, जिसकी जानकारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने लोकसभा में भी दी थी। आत्मसमर्पण का यह दौर यहीं खत्म नहीं हुआ क्योंकि चीन के मामले में भारत सरकार की कूटनीति सबसे ज़्यादा विफल रही, जिसके उदाहरण भरे पड़े हैं। चाहे न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भारत की एंट्री ब्लॉक करने का मामला हो या मसूद अजहर को सुरक्षा परिषद से प्रतिबंधित कराने में तकनीकी अड़चन। आर्टिकल 370 हटाने के बाद सुरक्षा परिषद में जम्मू कश्मीर पर चर्चा करवाना हो या भारत की संप्रभूता को ताक में रखकर चीन गिलगित-बाल्टिस्तान में डैम, सड़क, रेलमार्ग का निर्माण करना।

वीरेन्द्र बहादुर सिंह

भारतीय संस्कृति में सब से पहला फेक एनकाउंटर श्रीराम ने किया था

> उनका मानना था कि किसी भी तरह से शक्तिशाली बना व्यक्ति अगर समाज के लिए खतरा बनता है तो उसका किसी भी तरह से वध करना किसी भी तरह से गलत नहीं है। श्रीकृष्ण ने कहा है कि अगर सत्य की राह पर चलने वाले भी घूम-घूम कर असत्य का प्रचार कर रहे है और दुर्जनों का साथ दे कर समाज में असत्य की ताकत बढ़ा रहे है तो ऐसे लोगों के वध के लिए अगर असत्य का सहारा लेना पड़ता है तो समाज के हित में इसे बिलकुल भी अनुचित नहीं कहा जाएगा। यही वजह है कि महाभारत में तमाम फेक एनकाउंटर हुए हैं। शुरुआत कर्ण से करते है। युद्ध के समय कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस जाता है। धनुष-बाण रथ पर रख कर कर्ण रथ का पहिया निकालने के लिए नीचे उतरता है तो श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तीर चलाओ। क्योंकि असत्य का साथ देने वाले का किसी भी तरह वध करना उचित कहा जाएगा।

कानपुर के विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद एक बार फिर बहस छिड़ गई है कि पुलिस उसे अदालत में पेश नहीं करना चाहती थी, इसलिए जानबूझ कर कार पलटा कर उसे गोली मारी गई है। कुछ भी हो,, उसने जो अपराध किया था, उसके लिए यही सजा जरूरी थी। उसकी मौत के बाद लोग कुछ भी कहें, पर पहले सभी यही कह रहे थे कि इस तरह के आदमी को तो गोली मार देनी चाहिए। इस तरह के दुष्ट आदमी को इस तरह मार देना, यह कोई नई बात नहीं है, हमारे यहां तो यह परंपरा पौराणिक काल से चली आ रही है। दुष्टों के प्रति दुष्टता में श्रीकृष्ण बहुत ही प्रैक्टिकल थे। उनका मानना था कि किसी भी तरह से शक्तिशाली बना व्यक्ति किसी भी तरह अगर समाज के लिए बोझ बन जाता है तो उसका किसी भी तरह वध करना कतई अनुचित नहीं है। महाभारत में तो फेंक एनकाएंटर की श्रंखला सी है। कर्ण, भीष्म पितामह, गुरु द्रोण और कौरवों का जिस तरह एनकाउंटर किया गया, हम सभी को पता है।

इंगलिश शब्द एनकाउंटर का डिक्शनरी में मतलब है- किसी से अचानक मुलाकात हो जाना, सामने आ जाना, युद्ध में मिलना आदि। जबकि हम लोगों का मानना है कि एनकाउंटर का मतलब पुलिस द्वारा किसी अपराधी को मुठभेड़ में मार देना। जबकि शब्द के अर्थ में कहीं भी मरने की बात नहीं आती। पर शब्द का जो अभिप्राय है, उसके अनुमान से हम सभी अपने हिसाब से उसका अर्थ लगा लेते हैं। फेक एनकाउंटर में पुलिस कहानी बनाती है कि गिरफ्तार किया गया अपराधी पुलिस पर हमला कर के पुलिस हिरासत से भाग रहा था, इसलिए मजबूरन पुलिस को गाली चलानी पड़ी, जिसमें अपराधी की मौत हो गई। पुलिस यह कहानी इस तरह गढ़ती है कि उस पर मीडिया को ही नहीं, अदालत को भी विश्वास करना पड़ता है। इसी कहानी को मीडिया ने फेक एनकाउंटर नाम दिया है। अभी जल्दी ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने विकाश दुबे का एनकाउंटर किया तो एक बार फिर फेक एनकाउंटर चर्चा में आ गया। जब-जब फेक एनकाउंटर होता है, तब-तब आम आदमी को यही लगता है कि पुलिस गिरफ्तार अपराधी को अदालत में पेश नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मुठभेड़ दिखा कर उसे मार दिया। क्योंकि उसे शक होता है कि अदालत से यह अपराधी साक्ष्यों के अभाव में छूट जाएगा और बाहर आ कर फिर उसी तरह अपराध करने लगेगा। इसलिए कानून फैसला करे या न करे, पुलिस उसका फैसला तुरंत कर देती है। पुलिस हमेशा सही फैसला ही करती हो, ऐसा नहीं होता। कभी-कभी कोई निर्दोष भी पुलिस के इस फैसले का शिकार हो जाता है। पर यह चलता आया है। अदालतों को गवाह और साक्ष्य चाहिए। यही कारण है कि अपराधी गवाहों और साक्ष्य के अभाव में छूट जाते हैं। उसी तरह पुलिस मजबूत साक्ष्य पेश कर के फेक एनकाउंटर को रियल एनकाउंटर साबित कर देती है।

देखा जाए तो एनकाउंटर की परंपरा तो पौराणिक काल से चली आ ही है। दुनिया का पहला एनकाउंटर श्रीराम के द्वारा किए जाने की बात रामायण से पता चलती है। रामायण में वानरराज महाबली वाली और उनके छोटे भाई सुग्रीव की काफी लंबी कथा है। संक्षेप में बात यह है कि दोनों भाई में दुश्मनी हो जाती है। वाली छोटे भाई की पत्नी को अपने पास रख कर उसे राज्य से निकाल देता है। जंगल में भटकते-भटकते सुग्रीव रामजी के पास पहुंच जाते हैं। रामजी सुग्रीव की व्यथाकथा सुन कर वाली का वध करने का वचन दे कर सुग्रीव को वाली से युद्ध करने भेजते हैं। सुग्रीव को उन्होंने आश्वासन दिया था कि उनसे युद्ध के दौरान वह वाली का वध कर देंगे। वाली को ऐसा वरदान मिला था कि उसके सामने जो भी युद्ध करने आएगा, उसकी आधी शक्ति उसके पास चली आएगी। सुग्रीव डरते हुए वाली से युद्ध करने गया। पेड़ की आड़ में खड़े श्रीराम तीर चला कर वाली का वध कर देते हैं। मरने से पहले वाली श्रीराम को अदालत के कठघरे तें खड़ा कर के पूछता है कि 'रामजी आप तो ज्ञानी हैं। आपने इस तरह छुप कर मेरा एनकाउंटर यानी वध क्यों किया? आप तो समदर्शी हैं। फिर वाली आपका दुश्मन और सुग्रीव प्रिय क्यों हो गया? श्रीराम ने कहा कि हमारे शास्त्रें में छोटे भाई की पत्नी को बेटी के समान माना गया है। तुम ने छोटे भाई की पत्नी को रखने का जो पाप किया है, उसी का यह दंड तुम्हें दिया गया है। बोलो, अभी भी तुम्हें कुछ कहना है? श्रीराम की इन बातों से वाली के मन में जो शंका थी, उसका समाधान हो गया था। इसके बाद अपने बेटे अंगद का हाथ श्रीराम के हाथों में सौंप कर उसने अंतिम विदा ली। रामायण के अनुसार वाली को जो शंका थी, श्रीराम की बातों से एसकी शंका का समाधान हो गया था। लेकिन इस बात को ले कर आज भी तमाम लोगों के मन में तरह-तरह के सवाल उठते हैं और वे कहते हैं कि श्रीराम ने वाली का फेक एनकउंटर किया था। शात्रें में कहा गया है कि शठं के प्रति शाठ्यं यानी दुष्टों के साथ दुष्टता वाला व्यवहार ही होना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि जो जैसा करे, उसके साथ वैसा ही करना चाहिए। क्योंकि दुष्टों से सीधी तरह नहीं जीता जा सकता। उनसे जीतने के लिए दुष्टता ही करनी पड़ती है। इस मामले में आज भी श्रीकृष्ण प्रासंगिक हैं। **(यह लेखक के अपने विचार है।)**

पाठकों की बात | पत्र, प्रतिक्रियाएं, सोशल मीडिया

आये है हम जहां

आये है हम जहां में सितारों की चमक लेकर होगा उजाला तो चले जाएंगे रोशनी लेकर खिले है गुलिस्तान में फूलों का मौसम बनकर आयेगी जो हवा तो चले जाएंगें खूशबू लेकर मुस्कुराहटे लुटाई ,खुशियाँ बिखराई हर पल एक दिन चले जाएंगे सबका दर्द संग लेकर अभी आवाज देते हम तो आता नहीं मौला फिर आवाज दोगे तो ना आएंगे सदाएं लेकर। - **मीना सोनी**

शहर बसा नहीं कि

शहर बसा नहीं कि लूटेरे पहले आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने राममंदिर निर्माण को रोकने की कोशिश रूप दो याचिकाओं को खारिज कर दिया और याचिका कर्ताओं पर 1-1लाख का जुर्माना लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ये भी कहा कि इस समय आप ऐसी तुच्छ याचिका कैसे दायर कर सकते है।

- **ओम प्रकाश जायसवाल**

ख़ास पाती | नमक से भी सस्ता हुआ है

नमक से भी सस्ता हुआ है ईमान यहाँ, अरे देख तो, हर गधा है पहलवान यहाँ, इक रकीब मिला मुझे अपनी पीरी में, सोचे बैठा था वो खुद को जवान यहाँ, घर से ही ना निकलता तो अच्छा था, आमद से तकलीफ में हर दूकान यहाँ, जो मुझे अपनों में शुमार करता था, वही मेरे नाम से लगा परेशान यहाँ, उसने भी उसी दिन औकात दिखाई, मुफलिसी में जब था मैं मेजबान यहाँ, गर आये थे ही तो तोड़ कर ना जाते, रहते थे दिल में, कुछ मेहमान यहाँ, 'दक्ष' जो गुज़र गया उसे गुज़रा जानो, छोड़े हैं आपने क़दमों के निशान यहां। - **विकास शर्मा 'दक्ष'**

जब तक हयात का ये सफर

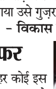

जब तक हयात का ये सफ़र बरक़रार है हर कोई इस जहान में इक शहसवार है मौत आ गयी है दर पे मगर जाने क्युँ हमें। अब भी उस एक शख़्स का ही इन्तज़ार है कागज़ के चीथड़ों में दबा कह रहा है सच। अख़बार और कुछ भी नहीं इश्तिहार है डरपोक आदमी हूँ ये सच किस तरह कहूँ मुज़रिम तो मौज में हैं दरोगा फ़रार है मौसम तो आम का है मगर हर जबान पर। हैरान हूं कि अब भी करेला सवार है दिल भी अजीब शय है इसे जितना खुश रखो। उतना ही ये लगे कि अभी सोगवार है।

- **राजीव कुमार**

ख्वाबगाह में मेरे हर रात गुज़र

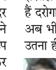

ख्वाबगाह में मेरे हर रात गुज़र जाएगी तुझे इक़ दिन मेरे मरने कि खबर आएगी याद मेरी किसी दरिया में बहा आओगे मेरे किरदार की खुशबू यूँ बिखर जाएगी!!

- **सोनिया राय**

अब बुरा कीजिए या भला कीजिए

अब बुरा कीजिए या भला कीजिए । सब सलामत रहें बस दुआ कीजिए ।। ज़िन्दगी है बुरी ज़िन्दगी के लिए , ज़िन्दगी का मगर हक अदा कीजिए । ज़िन्दगी हार है ज़िन्दगी जीत भी , ज़िन्दगी में जरा कुछ नया कीजिए । दिन चढ़े दौड़ती रात भर हांफती , ज़िन्दगी में कभी तो मजा कीजिए । कामना के वशीभूत हम हैं सभी , काम भर की खुशी में रहा कीजिए । - **मिथलेश सिंह 'मिलिंद'**

हमेशा आपको इसने पुकारा भी

हमेशा आपको इसने पुकारा भी। हमारा दिल रहा लेकिन बिचारा भी ।। तुम्हारे पास होगा वक़्त का टोटा। हमारा वक़्त सारा है तुम्हारा भी ।। हवा ही आपकी ज़ुल्फ़ों को छेड़ेगी ! हमारी उँगलियों ने तो सँवारा भी। अगर ये जान जाएगी मुहब्बत में । बुरा क्या है फ़क़त इतना ख़सारा भी ।। हराता मित्र को दुनिया में कोई कब । तुम्हारे प्यार में हारा जो हारा भी । - **मित्र ग़ाज़ियाबादी**

उतार रही थी मैं ,उसे कतरा-कतरा

उतार रही थी मैं ,उसे क़तरा-क़तरा..खुद में वो उतार रहा था बारिशों को ! कभी कविता में कभी कैनवास पर ये जान लेने के बाद कि ! उसे पसंद है...बारिशें मैंने बारिशों को अपनी आँखों में उतार लिया। - **आभा खरे**

तुम साँसों में फूलों की खुशबू से बहते

तुम साँसों में फूलों की खुशबू से बहते हो, जाने अंधेरी रात में मेरे कानों में क्या क्या कहते हों, बाहों में सितारों से समेटे हुई हूँ, मैं धरा बनकर नभ से मिल रही हूँ, तुमको मेरी मुस्कान अपना जीवन लगता है, तुम्हारी आँखों में कितना कुछ रहता है, मैं ख़ामोशी से तुम्हें एकटक देखती हूँ, मैं धरा नभ की रहती हूँ..! - **अनुभूति गुप्ता**

QUIZ TIME

1) किस राज्य सरकार द्वारा स्कूली छात्रों के लिए 'मधु ऐप्प' लॉन्च किया गया?
(क) बिहार (ख) पंजाब (ग) ओडिशा

2) FSSAI द्वारा किस रेलवे स्टेशन को देश का प्रथम 'ईट राइट स्टेशन ' प्रमाणित किया गया है? (पटना / मुम्बई सेण्ट्रल)

3) किसको भारत में सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थान के रूप में चुना गया है?

4) भारत का पहला डिजाइन विकास केन्द्र 'फैशनोवा' कहाँ लॉन्च किया गया?

5) पुरस्कार का नाम बताए जिसे गणित के क्षेत्र में दिया जाता है?

Ramaquiz

उत्तरमाला- (1) ओडिशा (2) मुम्बई सेण्ट्रल (3) श्री माता वैष्णो देवी श्राइन (4) सूरत (5) फील्ड्स पुरस्कार

आज का इतिहास

नई दिल्ली (वार्ता)। 1775 - अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन ने अमेरिकी सेना की कमान संभाली। 1918 - भारत के पहले पायलट इन्द्रलाल राय प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान लंदन में जर्मनी के साथ हवाई लड़ाई में मारे गए। 1923 - प्रसिद्ध पार्श्व गायक मुकेश का जन्म। 1933 - राष्ट्रवादी नेता मोहन सेन गुप्ता का निधन। 1968 - भारत की प्रसिद्ध महिला चिकित्सक, सामाजिक कार्यकर्ता एवं पद्म भूषण से सम्मानित मुत्तू लक्ष्मी रेड्डी का निधन। 1970 - महाराष्ट्र के 18वें मुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़णवीस का जन्म। 1981 - भारत के पहले भूस्थिर उपग्रह एप्पल ने कार्य करना प्रारंभ किया। 1999 - एमएसएन मैसेन्जर का पहला संस्करण माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जारी किया गया। 2003 - इराक में हवाई हमले में तानाशाह सद्दाम हुसैन के दो बेटे मारे गए।

आज मध्य रात्रि से 29 तक पूर्ण लॉकडाउन

नवप्रदेश संवाददाता

दुर्ग। नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु जिला दण्डाधिकारी डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे ने दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 16 अगस्त तक जिले में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए है। जिले के समस्त नगरीय निकायों एवं उससे लगे हुए प्रभावित ग्राम पंचायतों में संक्रमण से बचाव एवं आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु 22 जुलाई को रात्रि 12 बजे से 29 जुलाई की रात्रि 12 बजे तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। नगर निगम दुर्ग एवं प्रभावित ग्राम पंचायत थनोदा, धनोरा, मोहलई, चिखली, कोलिहापुरी, अंजोरा (ख), खपरी एवं महमारा में यह आदेश लागू होगी। इसी तरह नगर पालिक निगम भिलाई में एवं इससे लगे ग्राम पंचायत खेदामरा, नगर निगम रिसाली एवं ग्राम पंचायत डुमरडीह, उमरपोटी, नगर निगम भिलाई चरोदा एवं ग्राम पंचायत औंधी नगर पालिका जामूल एवं निकाय सीमा से लगे ग्राम पंचायत ढौर, नगर पंचायत पाटन एवं ग्राम पंचायत अमलेश्वर, सांकरा, नगर पालिका कुम्हारी एवं इससे लगे ग्राम पंचायत पंचदेवरी, अकोला, नगर पालिका अहिवारा, नगर पंचायत उतई एवं नगर पंचायत धमधा में यह प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

प्रतिबंधित क्षेत्र में स्थित शासकीय कार्यालयों का संचालन प्रतिबंधात्मक आदेश के प्रभावी रहने की अवधि तक नहीं किया जाएगा। सभी पदाधिकारी तथा कर्मी अपने घर से शासकीय कार्यो का निष्पादन करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय प्रमुख उन्हें कार्यालय में बुला सकेगें। किन्तु कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने में शामिल शासकीय कार्यालयध्अधिकारी.कर्मचारी तथा विभिन्न अत्यावश्यक सेवाओं से संबंधित शासकीय कार्यालय, अधिकारी.कर्मचारी जैसे. पुलिस, स्वास्थ्य सेवाएं, अस्पताल, फायरब्रिगेड, साफसफाई एवं स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, बिजली व्यवस्था, जेल पेयजल प्रदाय तथा अन्य अत्यावश्यक एवं आपातकालीन सेवाएं पूर्वानुसार संचालित रहेंगी। सिनेमा हॉल, शॉपिंग माल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, क्लब, थिएटर एवं ऑडिटोरियम, असेम्बली, हॉल एवं इस प्रकार के स्थान बंद रहेंगे। स्पोर्टिंग कॉम्प्लेक्स एवं स्टेडियम पूर्णतः बंद रहेंगे।

पहले दिन सुबह से ही मार्निंग वाक पर होगी पुलिस की नजर

नवप्रदेश संवाददाता

दुर्ग। जिले में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लाकडाउन के सात दिन अहम होंगे। इस उद्देश्य से कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे एवं एसपी प्रशांत ठाकुर ने सभी अधिकारियों को पूरी ऊर्जा लगाकर एवं युद्धस्तर पर कार्य कर लाकडाउन सफल बनाने काम करने कहा। कलेक्टर ने कहा कि सात दिन में अगर बेहतरीन काम हुआ तो कोरोना संक्रमण की कड़ी को थामने में बड़ी मदद मिलेगी। यह दिन काफी महत्वपूर्ण हैं। लाकडाउन का फैसला जिले के सर्वोच्च हित में लिया गया है। ये अमूल्य दिन हैं। इस पर पूरी ऊर्जा से काम करना है। कलेक्टर ने कहा कि स्थिति पर लगातार मानिटरिंग हों। इमरजेंसी सेवाओं के अतिरिक्त बेवजह घूमकर रहे लोगों पर गाइडलाइन के मुताबिक कड़ी कार्रवाई करें।

एसपी ने कहा कि पहले दिन सुबह से ही मार्निंग वाक से पुलिस की नजर रहेगी। इसके लिए पेट्रोलिंग की टीम डिप्लाय करने के संबंध में कार्रवाई कर ली गई है। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी कार्य के लिए निकले लोगों को हतोत्साहित नहीं करना है लेकिन बेवजह निकले लोगों पर गाइडलाइन के मुताबिक कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर ने कहा कि दूसरे जिलों से लगे बार्डर से आने.जाने पर सख्ती से रोक लगाई जाए। इसके साथ ही सैंपलिंग की संख्या बढ़ाई जाए। उन्होंने सैंपलिंग की तैयारियों की जानकारी भी सीएमएचओ से ली। उन्होंने कहा कि कोविड को रोकने के लिए अधिकतम टेस्टिंग करनी जरूरी है ताकि संक्रमण को पहचान कर इसे रोका जा सकें। संक्रमित क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सैंपल लिये जाएं। ऐसे व्यक्ति जिनका अधिक जनसंपर्क होता होए उनका टेस्ट करें। उन्होंने रोज हो रहे सैंपलों की जानकारी ली।

न्यूज गैलरी

गोधन न्याय योजना का शुभारंभ

जामुल। हरेली पर नगर पालिका में गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य कृषि कार्य में जैविक खाद को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर, गौ सुरक्षा, गौपालन सहित गौपालकों को आर्थिक लाभ प्रदान करना है। योजना में भूमि की उर्वरता में सुधार, स्व सहायता समूहों को रोजगार के अवसर खुले में चराई पर रोक भी लगेगी। कार्यक्रम के शुभारम्भ में पालिका के क्रय सेंटर में 300 किलोग्राम गोबर की खरीदी की गई। कार्यक्रम में नपा अध्यक्ष सरोजनी चंद्राकर, सीएमओ राजेन्द्र नायक, पार्षद रामकुमारी साहू, डिगेश्वरी नायक, सहायक अभियंता दिनेश नेताम, उप अभियंता एके लोहिया, छाया साहू सहित महिला सहायता समूह के सदस्यगण उपस्थित थे।

आवेदन आमंत्रित

दुर्ग। शासन के निर्देश पर मेल स्टाफ नर्स के पदों पर भर्ती की स्वीकृति दी गयी है। नियुक्ति प्रक्रिया वाक इन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। इस हेतु इच्छुक आवेदक 22 अगस्त को अपने सम्पूर्ण दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वाथ्यय अधिकारी जिला दुर्ग में स्वयं उपस्थित होकर जमा कर सकते हैं।

अधिकारियों ने लिया वर्मी कंपोस्ट का प्रशिक्षण

नवप्रदेश संवाददाता

भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में गोधन न्याय योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी के निर्देशन में निगम के अधिकारियों ने धमधा के समीप स्थित नंदवाय गांव में वर्मी कंपोस्ट का फील्ड में पहुंचकर प्रशिक्षण प्राप्त किया! ब्लॉक ऑफीसर जैन ने निगम के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया। गौरतलब है कि 20 जुलाई से गोधन न्याय योजना की शुरुआत की जा चुकी है और गोबर खरीदी का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इस बाबत पशुपालक अपना पंजीयन करा रहे हैं। नगर रेलवे स्टेशन के पास स्थित शहरी गौठान में पंजीकृत पशुपालकों से गोबर खरीद कर वर्मी कंपोस्ट तैयार करने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। वर्मी कंपोस्ट के लिए निगम के अधिकारियों ने प्राप्त किया प्रशिक्षण निगम जोन आयुक्त एवं कार्यपालन अभियंता ने वर्मी कंपोस्ट के स्ट्रक्चर निर्माण सहित खाद बनाने की विधि की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। ब्लॉक ऑफिसर जैन ने प्रशिक्षण देते हुए बताया कि वर्मी कंपोस्ट निर्माण के लिए केंचुआ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, केंचुए को अंधेरा एवं नमी चाहिए। वर्मी कंपोस्ट निर्माण के लिए स्ट्रक्चर का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है, स्ट्रक्चर के समीप ही पतली नाली होना आवश्यक है ताकि चींटी आदि कंपोस्ट निर्माण में नुकसान न पहुंचा सके, वर्मी कंपोस्ट निर्माण के लिए नमी बनाए रखना बेहद आवश्यक है इसलिए समय.समय पर इसमें पानी का छिड़काव करते रहना चाहिए। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए शुरुआती समय से लेकर पूरे प्रोसेस में 60 दिनों का समय लग जाता हैए और बेहतर कंपोस्ट प्राप्त होता है! नंदवाय गांव में 38 वर्मी बेड के माध्यम से वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जा रहा है! निगम के अधिकारियों के द्वारा फील्ड में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद इसका बेहतर क्रियान्वयन निगम क्षेत्र में किया जाएगा। गोधन के चारा के लिए नेपियर एवं यशवंत ग्रास का भी लिया जायजा। एसएलआरएम सेंटर में बनेगा गोबर कलेक्शन सेंटर निगम क्षेत्र में संचालित एसएलआरएम सेंटर में गोबर कलेक्शन सेंटर भी बनाया जाएगा इसके साथ ही वर्मी बेड भी तैयार किया जाएगा। सेमरिया स्थित भूखंड का जायजा फील्ड निरीक्षण के दौरान लिया गयाए निगम क्षेत्र में गौठान निर्माण के लिए रिक्त भूखंड की तलाश की जा रही है। आयुक्त रघुवंशी ने गोधन न्याय योजना के बेहतर क्रियान्वयन के निर्देश दिए। प्रशिक्षण के दौरान उपायुक्त अशोक द्विवेदी एवं तरुण पाल लहरें, जोन आयुक्त अमिताभ शर्मा, प्रीति सिंह, सुनील अग्रहरि, महेंद्र पाठक, पूजा पिल्ले, कार्यपालन अभियंता संजय शर्मा आदि उपस्थित थे।

हरेली तिहार में वृक्षारोपण

नवप्रदेश संवाददाता

कुम्हारी। ग्राम कपसदा मे हरेली तिहार के अवसर पर हरियाली उत्सव समिति के द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी नागर हलधर भगवान के पूजा के साथ ही विद्यालय परिसर और गौठान में विभिन्न प्रकार के वृक्षारोपण कर वृक्षों के संरक्षण हेतु संकल्प लिया गया। ग्राम के सरपंच भोजप्रताप ध्रुव, पंचायत सचिव सनत यादव, युवा कांग्रेस महासचिव हेमंत साहू, दीपक मानिकपुरी अध्यक्ष शाला विकास समिति, पंच दिवेश यादव, संतोष निर्मल हरेली उत्सव समिति के अध्यक्ष नोहरदास मानिकपुरी, सचिव बलदाऊ साहू एवं सभी सदस्य उपस्थित रहे। विश्व में व्याप्त महामारी एवं कोरोना वायरस के चलते विगत वर्षों की भांति इस वर्ष विभिन्न प्रकार के ग्रामीण अंचलों के खेलकूद का आयोजन नहीं हो पाया।

गोधन योजना छत्तीसगढ़िया मन ला बनाही गोबर बिनईया अऊ छेना थोपईया

नवप्रदेश संवाददाता

भिलाई। अहिवारा के पूर्व विधायक सांवलाराम डाहरे ने कहा कि छग सरकार 21वी शताब्दी टेक्नोलॉजी के योग में गोधन योजना ला कर छत्तीसगढ़िया गरीब, निर्धन, दलित, शोषित और पीड़ितों को गोबर बिनेंगे और 2 रुपये किलो में बेचने का रोजगार दिया है। अब इनके बच्चे आधा दिन गोबर बिनेंगे और आधा दिन पढ़ने जायेंगेद्य सरकार की इस सामंती सोच ने छत्तीसगढ़ियो को गोबर बिनईया और छेना थोपईया बनाने जा रही है। अब सरकार गरीबों को रोजगार देने का दंभ भरेगीद्य सरकार नही चाहती की गरीबों के बच्चे पढ़ लिख कर ऑफिसर बने द्य ओ चाहती है गरीबी के दलदल में जन्मे गोबर और छेना के बीच जिंदगी जियें क्योंकी गोबर बीनने का कम गरीबों के बच्चें ही करेंगे कोई आमिर दाऊ या राजा के बच्चे नहीं। यह योजना गरीबों की मानसिकता को कुंठित कर उन्हें पंगु बनने वाली योजना है। गरीब पढ़ लिख कर समाज में सम्मानित जिंदगी जीने का प्रयास कर रहे थे द्य अब सामंती चारित्र की खोख से जन्में यह योजना छत्तीसगढ़िया गरीबों को गोबर और छेना के दलदल में धकेल रही है।

राजेन्द्र व दादा-दादी पार्क का प्रभारी ने किया निरीक्षण

नवप्रदेश संवाददाता

दुर्ग। पर्यावरण प्रभारी सत्यवती वर्मा ने राजेन्द्र पार्क, दादा.दादी, नाना.नानी पार्क का निरीक्षण किया। निरीक्षण के अवसर पर कार्यपालन अभियंता मोहनपुरी गोस्वामी, पूर्व महापौर आरएन वर्मा, उपअभियंता राजकिशोर पालिया, स्वास्थ्य अधिकारी दुर्गेश गुप्ता, उद्यान निरीक्षक अनिल सिंह, अनीस राजा व अन्य उपस्थित थे। श्रीमती वर्मा ने पार्क में आने वाले लोगों से भी मुलाकात की। उन्होनें अधिकारियों को निर्देशित कर कहा यहॉ एक सुलभ शौचालय निर्माण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था सुलभ शौचालय की अति आवश्यकता है अतः जल्द से जल्द सुलभ शौचालय का निर्माण प्रारंभ करायें । निरीक्षण के दौरान उन्होनें दोनों पार्क में बारिश के कारण बढ़ गये घांस की कटाई कर पार्कों को व्यवस्थित करने निर्देश दिये। साथ ही पार्क में पाथवे, चेयर, झूला, प्रतिमाएं आदि का संधारण करने कहा। भ्रमण के दौरान उन्होनें फूटपाथ में जीम मिट्टियों को हटाने स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिये। इसके अलावा श्रीमती वर्मा ने मुख्य मार्ग और जेल तिराहा के पास से निकाले जा रहे गाजर घांस कार्य का भी निरीक्षण कर गाजर घांस वालें स्थालों को चिन्हित कर सूची बनाने कहा ताकि समय रहते उसकी कटाई की जा सके।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202007100400415

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती त्रिवेणी कंवर पति आनंद कुमार कंवर निवासी आदर्श नगर दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम धनोरा प.ह.न. 39 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 565/125 रकबा 0.010 हें/ 1851 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 17.07.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202007100400271

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री कोमल सिंह आ. श्री भैय्याराम निवासी धनोरा द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम धनोरा प.ह.न. 39 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 610/8 रकबा 0.010 हें/ 1500 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 13.07.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202007100400311

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री पुनाराम साहू आ. श्री गिरधारी लाल साहू निवासी तर्रीघाट पाटन द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम धनोरा प.ह.न. 39 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 601/30 रकबा 0.0250 हें/ 2730 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 14.07.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202007100400336

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री विनय कुमार मिश्रा आ. श्री देशराज मिश्रा निवासी कोहका भिलाई द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम धनोरा प.ह.न. 39 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 607/26 रकबा 0.011 हें/ 1164 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 15.07.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202007100400334

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री संजय कुमार धेवरिया आ. श्री फगुवा राम धेवरिया निवासी धनोरा द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उमरपोटी प.ह.न. 42 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 710/3 रकबा 0.020 हें/ 2403 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 15.07.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202007100400377

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री रविशंकर राय आ. कुंवर राय निवासी रिसाली बस्ती भिलाई द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम धनोरा प.ह.न. 39 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 680/44 रकबा 0.019 हें/ 2071 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 16.07.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202007100400371

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक मनराखन लाल साहू आ. झुमकलाल साहू निवासी सेक्टर 6 भिलाई द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम धनोरा प.ह.न. 39 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 680/39 रकबा 0.016 हें/ 1768 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 16.07.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला - दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र. ई-कोर्ट | पक्षकार का नाम श्रीमती सर्वाणी बागची | ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन नं. 202007100400395

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती सर्वाणी बागची पति श्री जयंत बागची निवासी सड़क 70 सेक्टर 06 भिलाई तहसील व जिला दुर्ग द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन/पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 सहपठित धारा 59 (2)(5) तहत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं, जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा	प्रयोजन
ग्राम रिसाली प.ह.न 22 तह. व जिला दुर्ग	645/68	0.016 हें 1680 वर्गफीट	आवासीय

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार की कोई दावा/ आपत्ति हो तो प्रकरण उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/ आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 17.07.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग, जिला दुर्ग**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202007100400434

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती मधु सोमानी पति विजय कुमार सोमानी निवासी आदर्श नगर दुर्ग तह. व जिला दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम पुलगांव प.ह.न. 25 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 125/53 रकबा 0.021 हें/ 2280 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 21.07.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202007100400350

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री सुरेश केजरीवाल आ. स्व. बसंत लाल केजरीवाल निवासी भिलाई तह. व जिला दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम जामुल प.ह.न. 18 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 517/12 रकबा 0.022 हें/ 2400 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 16.07.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202007100400408

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री रविकांत साहू आ. पी.आर. साहू निवासी प्रगति नगर रिसाली द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम धनोरा प.ह.न. 39 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 1012/4 रकबा 0.020 हें/ 2240 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 17.07.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र./अ-06/ वर्ष 2019-20

उद्घोषणा-पत्र

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक सेतराम पिता स्व. करमदानी निवासी अंजोरा ढाबा तहसील व जिला दुर्ग द्वारा मौजा ग्राम अंजोरा प.ह.नं. 01 में अपने नाम पर स्थित भूमि खसरा नं. पुराना 93/3 नया 1001 रकबा पुराना 1.32/0.533 नया 0.1500 हे. नया बंदोबस्त पश्चात किया गया है जिसमें पुराना रकबा में भूमि आया है जो त्रुटि पूर्ण है जिसे सुधार कर पुराना रकबा के अनुसार दर्ज किए जाने आवेदन पेश किया गया है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था को इस संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो दिनांक 06.08.2020 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नही किया जावेगा।

आज दिनांक 17.06.2020 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया जाता है।

मुहर — **नायब तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला - दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र. ई-कोर्ट | पक्षकार का नाम श्रीमती आभारानी कोनार | ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन नं. 202007100400399

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती आभारानी कोनार पति स्व. गोपालचंद कोनार निवासी सेक्टर 07 भिलाई तहसील व जिला दुर्ग द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन/पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 सहपठित धारा 59 (2)(5) तहत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं, जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा	प्रयोजन
ग्राम रिसाली प.ह.न 22 तह. व जिला दुर्ग	645/73	0.016 हें 1747.75 वर्गफीट	आवासीय

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार की कोई दावा/ आपत्ति हो तो प्रकरण उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/ आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 17.07.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग, जिला दुर्ग**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला - दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र. ई-कोर्ट | पक्षकार का नाम श्रीमती अमिता भौमिक | ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन नं. 202007100400398

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती अमिता भौमिक पति स्व. शांति पदो भौमिक निवासी आमदी नगर हुडको भिलाई तहसील व जिला दुर्ग द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन/पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 सहपठित धारा 59 (2)(5) तहत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं, जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा	प्रयोजन
ग्राम रिसाली प.ह.न 22 तह. व जिला दुर्ग	845/69	0.014 हें 1500 वर्गफीट	आवासीय

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार की कोई दावा/ आपत्ति हो तो प्रकरण उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/ आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 17.07.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग, जिला दुर्ग**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला - दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र. ई-कोर्ट | पक्षकार का नाम श्रीमती जाली सेन | ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन नं. 202007100400397

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती जाली सेन पति श्री सुप्रियो सेन निवासी सेक्टर 04 भिलाई तहसील व जिला दुर्ग द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन/पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 सहपठित धारा 59 (2)(5) तहत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं, जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा	प्रयोजन
ग्राम रिसाली प.ह.न 22 तह. व जिला दुर्ग	645/63	0.015 हें 1590 वर्गफीट	आवासीय

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार की कोई दावा/ आपत्ति हो तो प्रकरण उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/ आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 17.07.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग, जिला दुर्ग**

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला - दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा-पत्र

रा.प्र.क्र. ई-कोर्ट | पक्षकार का नाम श्रीमती जाली सेन | ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन नं. 202007100400396

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती जाली सेन पति श्री सुप्रियो सेन निवासी सेक्टर 04 भिलाई तहसील व जिला दुर्ग द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन/पुर्ननिर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172 सहपठित धारा 59 (2)(5) तहत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया हैं, जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन हैं।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं.जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा	प्रयोजन
ग्राम रिसाली प.ह.न 22 तह. व जिला दुर्ग	645/70	0.016 हें 1680 वर्गफीट	आवासीय

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार की कोई दावा/ आपत्ति हो तो प्रकरण उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/ आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 17.07.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — **अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग, जिला दुर्ग**

अधिकारी मौन, रोका छेका अभियान सिर्फ कागजों पर

रोका छेका अभियान कहीं धीमा तो कहीं ठप

रोहित वर्मा

खरोरा। खरोरा नगर समीपस्थ विभिन्न गांवों में रोका छेका अभियान कहीं धीमा तो कहीं ठप है। राज्य सरकार ने फसलों की सुरक्षा और किसानों की आय को बढ़ाने के लिए कृषि की पुरातन परंपरा रोका-छेका अभियान की शुरुआत 19 जून को की। शहरों की सड़कों पर घूम रहे मवेशियों से होने वाले हादसों को रोकने के लिए भी यह कदम अहम है। पकड़े गए मवेशियों को कांजीहाउस और गोठानों में रखने का आदेश है। इसमें दुधारू मवेशियों के जरिये किसानों की आय बढ़ाने की कवायद भी थी। हांलाकि शुरुआती दौर में गाँवो में कार्य तेजी से दिखा। लेकिन बाद में इसकी गति धीमी पड़ती गई। इधर मोहरेंगा व कनकी में यह अभियान पूरी तरह से ठप है। इसी तरह खरोरा, केशला, घीवरा में शुरू के दिनों में मवेशी पकड़े गए थे। मवेशियों को छुट्टा छोड़ने वाले पालकों से संकल्प पत्र भी भराना है कि वे दोबारा मवेशियों को नहीं छोड़ेंगे। शुरुआती दौर में करीब 150 से अधिक संकल्प पत्र भराए गए। इसके बाद इनकी संख्या थम गई थी। रोका-छेका के शुरू होने के बाद छेत्र के लोगों को उम्मीद बंधी थी कि शायद अब सड़कों पर मवेशियों का जमावड़ा नहीं लगेगा।

कनकी पर रोड पर लगा मवेशियों का डेरा

जिम्मेदार अफसरों ने रोका न छेका, सिर्फ खानापूर्ति

जिम्मेदार अफसरों ने इस महत्वाकांक्षी योजना को ठेंगा दिखा दिया है। रोका-छेका अभियान हर रोज छेत्र की सड़कों पर चलाना था। लेकिन सक्रियता नहीं दिख रही है। सप्ताह में एक दिन दर्जनों मवेशियों को पकड़ने की 'फर्ज अदायगी' भर हो रही है। नगरी क्षेत्र में नगर पंचायत के अधिकारियों की जिम्मेदारी है वही गांव में सचिव की । छुट्टा सड़कों पर घूम रहे मवेशियों को जोनवार पकड़ने के बाद कांजी हाउस और गोठान में भेजना है।

इनकी है जवाबदारी

ग्राम पंचायत सीमा में निर्मित गोठान में पकड़े गए मवेशी रखे जाएंगे। पंच, सरपंच, जनप्रतिनिधि, ग्रामीण और चरवाहे मिलकर गांव में रोका-छेका की व्यवस्था करेंगे। इसका मकसद कम्पोस्ट खाद का वितरण, गोठानों से जुड़े स्व-सहायता समूहों को लाभ पहुंचाना है।

मवेशी फिर सड़कों पर

नगर के व्यस्त इलाकों में से एक टिगड्डा व केशला की सड़कों पर छुट्टा मवेशियों के घूमने से आए दिन जाम लगता है। वहीं हर दिन वाहन चालक हादसे के शिकार होते हैं।

संकल्प पत्रभर कर भूल गए मवेशी पालक

सड़कों पर अपने मवेशियों को छुट्टा छोड़ने पर पालकों से संकल्प पत्र भराया गया। 'आइंदा मवेशियों को सड़कों पर खुला नहीं छोड़ेंगे' यह शपथपत्र भरकर पशु पालक भूल गए।

इन गांव में घूम रहे मवेशी

कनकी चौक पर भी सड़क पर छुट्टा घूम रहे मवेशियों की धमाचौकड़ी से लोगों की जान आफत में पड़ जाती है। आये दिन बाइक सवार घायल हो रहे हैं। माठ, मोहरेंगा,घीवरा,फरहदा , केशला, खरोरा में सड़क पर मवेशी छुट्टे घूम रहे है।

गौरतलब है कि रोका- छेका पुराने समय से ग्रामीण जिंदगी का अभिन्न हिस्सा रहा है। मवेशियों को संरक्षित करना, फसलों को मवेशियों से बचाना और गोबर से कुदरती खाद बनाना इसका मकसद था। इसकी का पुर्नजीवित करने के लिए राज्य की भूपेश सरकार ने रोका छेका अभियान की शुरूवात की है।

गोधन न्याय योजना की शुरुआत

प्रथम दिन पशु पालको से खरीदे 20 किलो गोबर

नव प्रदेश संवाददाता

गंडई पंडरिया। गंडई के मनीकंचन केंद्र मे 20 जुलाई दिन सोमवार को छत्तीसगढ़ शासन के महत्वकांची योजना गोधन न्याय योजना की शुरुआत हुई जिसमे खैरागढ़ के विधायक कार्यक्रम मे सामील हुये।

कार्यक्रम की शुरुआत गौ माता की पुजा अर्चना के पश्चात आरंभ हुआ इस दौरान पशु ङ्कपालको द्वारा लाये गए गोबर को तौला गया। नगर पंचायत गंडई द्वारा आयोजित कार्यक्रम का समय दोपहर 12 बजे तय था परंतु विधायक लगभग 2 घंटे देर से पहुंचे। कार्यक्रम मे विधायक का पुष्प गुच्छ से स्वागत निकाय के जनप्रतिनिधि एवं अन्यो ने किया मणिकांचन केंद्र मे कार्यरत दीदियों द्वारा गौमाता के फोटो का पुजा अर्चना किया गया।

कार्यक्रम मे अध्यक्ष ताम्रकार ने शासन के महत्वाकांची योजना गोधन न्याय योजना के संबंध मे पशु पालको को होने वाले लाभ के संबंध मे बताते हुये सभा का संबोधित किया। कार्यक्रम मे प्रमुख रूप से विधायक प्रतिनिधि विनोद ताम्रकार भूषणमनी झा, नगर पंचायत अध्यक्ष श्यामपाल ताम्रकार, जनपत उपाध्यक्ष लालू महोबिया, सीएमओ प्रमोद कुमार शुक्ला, थाना प्रभारी सुसमा सिंह, उपाध्यक्ष जाबिद खान, हबीब खान, निसार खान, असरफ सिद्धिकी, निप्पू रजक, सादिक़ खान, संजीव दुबे, हेमंत वैष्णव संहित नगर पंचायत के कर्मचारी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

कृषि उपज मंडियां भी बंद रहेंगी 28 जुलाई तक

किसानों, मिलरों तक सूचना पहुंचाने कलेक्टर ने दिए निर्देश

जमाखोरी और मुनाफाखोरी पर है प्रशासन की कड़ी नजर

नव प्रदेश संवाददाता

भाटापारा। 7 दिन के लिए घोषित लॉकडाउन में जिले की सभी कृषि उपज मंडियां भी बंद रहेंगी। कलेक्टर ने इस आशय के आदेश जारी करते हुए सभी मंडी सचिवों को निर्देशित किया है कि वे इसकी सूचना किसानों तक पहुंचाएं साथ ही राईस, दाल और पोहा मिलो को भी सूचित करें ताकि वह बंद की अवधि में बाजार की मांग को पूरा करने की व्यवस्था कर सकें।

आज रात 12:00 बजे से 28 जुलाई की रात 12:00 बजे तक जिले में लॉकडाउन घोषित करने के बाद छूट और प्रतिबंधित कारोबार की सूची जारी कर दी गई है। जिला प्रशासन ने मंगलवार की सुबह जिले की कृषि उपज मंडियों को लेकर नया आदेश जारी करते हुए लॉकडाउन की तारीखों को इस पर भी लागू कर दिया है याने इस अवधि में कृषि उपज मंडियों में ताला लगा रहेगा।

जिले के अनुविभागीय अधिकारियों को भी इस आदेश का परिपालन करवाने के आदेश साथ ही जारी हुए हैं। जिसमें कहा गया है कि वह अपने क्षेत्र की कृषि उपज मंडियों में लॉक डाउन का आदेश का परिपालन किए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

29 को शुरू होगा कारोबार

मंगलवार रात 12:00 बजे से लागू हो रहे लॉकडाउन के असर के बाद कृषि उपज मंडी में लगाया गया ताला 29 जुलाई की सुबह ही खुलेगा। पूरे 7 दिन मंडियां बंद रहेंगी। इस बीच मंगलवार को खुली जिले की कृषि उपज मंडियों में अपेक्षाकृत आवक बेहद कम रही। इसके पीछे वजह यह बताई जा रही है कि जिले में कृषि कार्य अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। पखवाड़े भर बाद फिर से इसमें तेजी आएगी जब बियासी और निंदाई का काम चालू होगा तब पैसों के लिए कृषि उपज विक्रय के लिए किसान मंडियों में पहुंचेंगे।

आपूर्ति और कालाबाजारी पर नजर

लॉकडाउन के अंदेशे को देखते हुए कुछ खास सामग्रियों की जिस तरह जमाखोरी, कालाबाजारी और मुनाफाखोरी की जा रही है उस पर जिला प्रशासन करीबी से नजर जमाए हुए हैं। संकेत मिल रहे हैं कि ऐसे कारोबार पर प्रशासन की कड़ी नजर है इसके लिए आने वाले दिनों में बड़ी कार्यवाही की जा सकती है। इन चीजों मैं पान मसाला, गुड़ाखू, बीड़ी,सिगरेट और तंबाकू मुख्य है जिसमें कुछ कारोबारियों की संलिप्तता की जानकारी प्रशासन तक लगातार पहुंच रही है। इसके अलावा दाल चावल खाद्य तेल सहित दूसरी दैनिक उपयोग की सामग्रियों की आपूर्ति पर भी नजर रखी जा रही।

इसमें आज भी ब्लैक मार्केटिंग

बिलासपुर व्हाया तिल्दा होकर जिले के शहरों तक पहुंच रही गुड़ाखू, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू और पान मसाला कारोबार आज भी ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है। जिले के प्रमुख शहर भाटापारा की मंडी रोड की एक संस्थान में ऐसे कारोबार की शिकायत पर प्रशासन कार्यवाही कर चुका है इसके बाद यह कारोबार तेजी से ठिकाना बदल रहा है। कारोबार के तौर तरीके भी बदले जा रहे हैं। जिले में इस बदले तौर तरीके के तार तिल्दा से जुड़ने की खबर के बाद अब तिल्दा में भी नजर रखी जा रही है।

लॉक डाउन की अवधि में जिले की सभी कृषि उपज मंडियां भी बंद रहेंगी। आदेश के परिपालन के निर्देश मंडी सचिवों को दिए जा चुके हैं।

- सुनील कुमार जैन, कलेक्टर, बलोदा बाजार

ब्लैक मार्केटिंग और जमाखोरी पर नजर रखी जा रही है। शिकायत मिलते ही कड़ी कार्रवाई की जाएगी इसलिए एक बार फिर से कहा जा रहा है कि अधिकतम खुदरा विक्रय मूल्य से अधिक कीमत पर विक्रय ना किया जाए अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

- एम एस राजपूत, एसडीएम, भाटापारा

20 लाख की दाल लेकर निकली ट्रक लापता,अपराध दर्ज

नव प्रदेश संवाददाता

भाटापारा। नगर के अलग अलग मिलो से दाल और चावल भरकर उड़ीसा के लिए निकली ट्रक अब तक वहा नही पहुँची और गाड़ी चालक से भी कोई संपर्क नही होने के कारण किसी आशंका के कारण मिल मालिको की ओर से ग्रामीण थाना में शिकायत दर्ज कराई गई है जहाँ ग्रामीण पुलिस ने वाहन चालक के खिलाफ धारा 406 के तहत अपराध दर्ज कर जाँच पड़ताल कर रही है।लापता हुए ट्रक में लगभग 20 लाख के आसपास का दाल चावल भरा हुआ है उक्त ट्रक को ओम ट्रांसपोर्ट के संचालक सुशिल वर्मा ने लगवाया था।

उपरोक्त सम्बन्ध में मिली जानकारी अनुसार इस माह की 6 और 7 जुलाई को शहर के अनेक मिलो से विनीत ट्रेडर्स ररुआ उड़ीसा के लिए लिए निकली ट्रक क्रमांक ष्ट्त04रुङ्ग9993 अब तक वहा नही पहुँची है। मिल मालिको के मुताबिक उक्त वाहन को किसी भी हालत में 11 जुलाई तक ररुवा उड़ीसा पहुँच जाना था।वाहन के चालक शिवा सिंह के द्वारा दिए गए नम्बर पर 10 जुलाई तक बात हो रही थी उसके बाद से उक्त नम्बर भी लगातार बन्द आ रहा है। वाहन में भेजे गए दाल और चावल के मालिको ने अपने हर स्तर पर उक्त ट्रक की पतासाजी की और पता न चलने और किसी कुशंका के चलते सभी मिल मालिको की और से तिरुपति दाल मिल के संचालक दीपक सचदेव ने उक्ताशय की लिखित शिकायत ग्रामीण थाना में दर्ज कराई गई। शिकायत में बताया गया है की सुशील वर्मा,ओम ट्र्न्सपोर्ट भाटापारा* की मार्फत भाटापारा से रारूआं (उड़ीसा) के लिए दिनांक 6/7/20 को भरने के बाद रवाना हुई थी । उक्त गाड़ी के ड्राइवर ने मालिक का नं 9893316985 दिया था । शुक्रवार दिनांक 10/7/20 दोपहर तक मोबाइल में बात हो रही थी उसके बाद से वो नम्बर बंद कर दिया गया है। गाड़ी में 920 कट्टी कुल 272 क्विन्टल दाल और चावल लोड हैजो कीअमन दाल मिल- 90 क्वि- राहर दाल ,बाबा दाल मिल्स प्रा लि - 60 क्वि राहर दाल,श्याम ट्रेडिंग- 30 क्वि दाल,एकदंत फूड्स- 27 क्वि चना,सियाराम राइस मिल- 20 क्वि चावल,तिरुपति एग्रो- 15 क्वि मूंग दाल ,राजवीर ट्रेडिंग रायपुर- 30 क्वि माल भरा गया है।उक्त सभी मॉल का मूल्य 19 लाख 91 हजार 475 रूपये आँका गया है। ग्रामीण पुलिस ने उक्त लिखित शिकायत के आधार पर धारा 406 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जाँच पड़ताल कर रही है।

गिरीश देवांगन को बनाया गया छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम का अध्यक्ष

खरोरा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गिरिश देवांगन को छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष बनाये जाने पर ग्राम मोहरेंगा अंचलवासियों में हर्ष की लहर हैं, जिससे आज देवांगन जी के स्वागत में वर्तमान मोहरेंगा जनप्रतिनिधियों में टोकेंद्र गायकवाड़ जनपद सदस्य वन विकास सभापति तिल्दा, पूर्व सरपंच तोरण गिलहरे, युवा कार्यकर्ता ताम्रध्वज वर्मा, भागवत वर्मा,रेशम वर्मा, मनोज साहू, आत्मानंद साहू, मुकेश वर्मा सभी हर्षोल्लास से गुलदस्ता एवं मिठाई खिलाकर माननीय जी का स्वागत, अभिनंदन किया गया।

गुरुकुल स्कूल का परिणाम आया शत-प्रतिशत

नव प्रदेश संवाददाता

भाटापारा- सीबीएसआई द्वारा घोषित कक्षा 10वीं एवं 12वीं के परीक्षा परिणाम में गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल भाटापारा का परिणाम शत प्रतिशत रहा कक्षा बारहवीं से वाणिज्य संकाय में चिराग दया लानी 96.8त्न ने प्रथम ऋतिक सोनी 94.6त्न ने द्वितीय एवं श्रेयांश भृगु 93.6त्न ने तृतीय स्थान प्राप्त किया तथा वाणिज्य संकाय में विनीता साहू एवं ग्यारसी लाल सोनी ने 93.8त्न के साथ प्रथम लक्ष्य शर्मा 89.8त्न ने द्वितीय एवं हिमांशु तिवारी 89.6त्न ने तृतीय स्थान प्राप्त कर शाला परिवार एवं अपने माता-पिता का मान बढ़ाया इसी प्रकार कक्षा दसवीं में श्रेया पांडे 96.8त्न प्रथम अंशिका गुप्ता 96.6त्न द्वितीय एवं जनक नंदिनी गिरी 92.8त्न ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।इसी प्रकार विषय वार भी छात्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है जिसमें कक्षा बारहवीं विज्ञान संकाय से विनीता साहू ने अंग्रेजी में 93 गणित में 95 भौतिकी में 95 रसायन में 91 और शारीरिक शिक्षा में 95 अंक अर्जित किया ग्यारसी लाल सोनी ने भौतिकी में 95 रसायन में 95 जीव विज्ञान में 95 एवं शारीरिक शिक्षा में 98 अंक प्राप्त किया है अन्य शास्त्रों में हिमांशु तिवारी अंग्रेजी 94 बहुत 91 जीव विज्ञान 91 शारीरिक शिक्षा 95 लक्ष्य शर्मा अंग्रेजी 91 जीव विज्ञान 95 शारीरिक शिक्षा 90 अंक इसी प्रकार वाणिज्य संकाय में चिराग दयालानी ने अंग्रेजी में 92 अर्थशास्त्र में 100 वाणिज्य 98 पुस्तपालन 95 रितिक सोनी अंग्रेजी में 92 गणित 95 अर्थशास्त्र 96पुस्तपालन 95 श्रेयांश भृगु अर्थशास्त्र 99 वाणिज्य 95 पुस्तपालन 91 आईपी 96 विधि अग्रवाल ने अर्थशास्त्र 99 वाणिज्य 95 पुस्तपालन 91 एवं आई पी में 96 अंक प्राप्त किया इसी प्रकार कक्षा दसवीं की छात्रा श्रेया पांडे ने अंग्रेजी में 98 हिंदी 97 अंशिका गुप्ता ने गणित 99 विज्ञान 99 और सामाजिक विज्ञान में 99 अंक प्राप्त कर शाला परिवार एवं नगर वासियों का मान बढ़ाया छात्रों के इस उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम से अभिभावक एवं शाला परिवार में खुशी की लहर है छात्रों की इस सफलता का श्रेय उनके कठिन परिश्रम के साथ-साथ शिक्षकों अभिभावकों और प्राचार्य के उचित मार्गदर्शन को जाता है इस परीक्षा परिणाम से गुरुकुल विद्यालय के संस्थापक राम रतन

मूंधड़ा ने सभी विद्यार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी है साथ ही विद्यालय के शिक्षकों के प्रति आभार प्रकट किया।

गौधन न्याय योजना की हुई शुरुवात

भटगांव- छत्तीसगढ़ सरकार की महती योजना नरवा गरुवा घुरवा बाड़ी योजना के तहत आज हरेली पर्व के मौके पर गोधन न्याय योजना का शुभारंभ हुआ। ग्राम पंचायत रोहिना में आज हरेली पर्व के मौके पर पंचायत द्वारा बनाए गए गौठान में गोधन न्याय योजना की शुरुवात हुई। इस योजना में छत्तीसगढ़ सरकार की मनसानुरूप गोबर की खरीददारी कर पशु पालकों को रोजगार का अवसर देना है। ताकि किसानों के द्वारा पशुओं की सूरक्षा व संरक्षण मिल सके। और मिलने वाले गोबर से किसानों व आम जनता की आमदनी बढ़ेगी। गौधन न्याय योजना के तहत रोहिना के मंहिला समूहों ने अपनी सहभागिता दिखाते हुए गोबर खरीदने की शुरुवात की और प्रथम दिन लगभग साढ़े तीन क्विंटल गोबर 2 रुपए प्रति किलो के रूप में खरीदी की। इस तरह कुल 650 रुपए की गोबर खरीदारी की गई। अभी मंहिला समूह को ही कंपोस्ट खाद तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। जहां मंहिला समूह ही कंपोस्ट तैयार करने के लिए गोबर खरीद रही है और गोबर को अलग अलग खण्डों में रख केंचुए का मिश्रण कर कंपोस्ट खाद तैयार कर रही है जब कम्पोस्ट खाद बनकर पूर्ण हो जाएगी तब कम्पोस्ट खाद को 10 रुपए प्रति किलों में बेंचेगी। सरकार अब महिलाओं को एक आय की साधन मुहैया करा रही है।वहीँ गोबर बेचने वाले हितग्राहियों के लिए एक न्याय योजना कार्ड तैयार किया है उन्ही कार्ड के माध्यम से हितग्राहियों को सरकार राशि उपलब्ध कराएगी।।इस कार्यक्रम में समस्त ग्रामवासी व जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे हैं। सरपंच रोहिना गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया गया है जहां दो रुपए किलो में गोबर की खरीदी किया गया। इस गोठान में 10 महिला समूह कार्य कर रहे हैं। कृषि अधिकारी बिलाईगढ़-डीआर केसरवानी ने बताया आदर्श गौठान ग्राम पंचायत रोहिना मैं गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया गया। यहां 10 महीला समूह द्वारा गोबर खरीदी व खाद्य बनाने का कार्य किया जा रहा है।

भाटापारा : जिले के सभी नगरीय निकायों को कंटेनमेंट जोन घोषित

भाटापारा। जिले में लगातार कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के चलते आज जिलाधीश एवं दण्डाधिकारी सुनील कुमार जैन ने जिले के सभी 9 नगरीय निकायों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया हैं। उन्होंने महामारी रोग अधिनियम 1897 एवं भारतीय दंड सहिता की धारा 144 लके अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करतें हुए जिले के सभी नगरीय निकायों बलौदाबाजार,भाटापारा, सिमगा, पलारी, लवन, कसडोल,टुण्ड्रा, बिलाईगढ़ एवं भटगांव को संक्रमण से बचाने एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिये दिनांक 21 जुलाई रात 12 बजे से लेकर 28 जुलाई रात 12 बजें तक, समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं बाजार बंद रखने का आदेश जारी किया गया हैं। अति आवश्यक सेवाएं जैसे राशन सब्जी,फल, दूध कृषि किटनाशक की दुकानें अपना व्यापार सुबह 9 बजें से लेकर शाम 4 बजें तक ही कर सकेंगे। इसआदेश से केवल अति आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाली प्रतिष्ठान एवं संस्थाओं को प्रतिबंध से छूट प्रदान किया गया हैं। जो इस प्रकार जिले के नगरीय सीमा क्षेत्र के समस्त शासकीय,अर्धशासकीय कार्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है। सभी पदाधिकारी तथा कर्मी अपने घर से शासकीय कार्यों का निष्पादन करेंगें। आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय प्रमुख उन्हे कार्यालय में बुला सकेंगे। कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, कोषालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधिनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी,तहसील, थाना एवं चौकी। ये सभी शासकीय कार्यालय आम जनता के लिए बंद रहेंगे। उपरोक्त शासकीय कार्यालयों में कार्यालय प्रमुख की अनुमति के बिना आगन्तुकों का प्रवेश नहीं होगा।पंजीयन कार्यालय ऐप-पास के माध्यम से प्राप्त निर्धारित समय-सीमा का कड़ाई से पालन करने की शर्त पर खुले रहेंगे।

धूमधाम से मना हरेली पर्व

खरोरा। हरियाली त्यौहार के आते ही बच्चों के मन मे गेड़ी चढ़कर मजा लेने का सपना पखवाड़े भर पहले ही रहता है। हरियाली त्यौहार पर बॉस से बने गेड़ी मे बच्चे चढ़कर दौड़ लगाते रहे। पहले की तरह अब त्यौहार मे लोगों की रुची कम होती जा रही है। सुबह लोग अपने मवेशी को आटे से बने लोई बनाकर खिलाया। वहीं यादव समाज के चरवाहे लोग जंगल से जड़ी बूटी लाकर दवाई के रुप मे सभी मवेशियों को खिलाया। इसके बदले मे अन्न दान ,रुपया पैसा यादवों को दिया गया। इस दिन यादव समाज के लोग नीम की डाली ग्राम के प्रत्येक घर के दरवाजों पर लगाते रहे। छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार हरेली इस बार धूमधाम और उल्लास के साथ मनाया गया। इस बार राज्य सरकार की विशेष पहल पर हरेली छत्तीसगढ़ी कलेवर और छत्तीसगढ़ के रंग से सजा सांवरा नजर आया।

कुर्रा गौठान में पहले दिन खरीदा गया 82 किलो गोबर

खरोरा। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकॉक्षी योजना नरवा,गरवा,घुरवा व बाड़ी के तहत् जनपद पंचायत तिल्दा के ग्राम पंचायत कुर्रा सहित अन्य गौठानों मे भी हरियाली त्यौहार,गोबर खरीदी व पौध रोपण कार्य किया गया। विधान सभा धरसींवा के विधायक अनितायोगेन्द्र शर्मा के मुख्यआतिथ्य मे गौठान के अंदर जनमानस को संबोधित करते हुए सरकार की महत्तवपूर्ण योजना नरवा,गरवा,घुरवा व बाड़ी पर प्रकाश डाली ,तत्पश्चात हरियाली त्यौहार पर भगवान नटवर नागर श्रीकृष्ण की तैल्यचित्र पर पूजा अर्चना की। इसके बाद 2 रुपये किलो मे गोबर खरीदी की शुरुआत की गई। साथ ही छायादार,फलदार व औषधी युक्त पौधों का पौध रोपण विधायक अनितायोगेन्द्र शर्मा के करकमलों से किया गया। इस मौके पर उपस्थित मुख्यकार्यपालन अधिकारी राजेंद्र पॉडेय जनपद पंचायत तिल्दा,मनरेगा कार्यक्रम अधिकारी नीलकमल पटेल ,सूर्यकॉत ठाकुर ,सतीश टंडन-तकनिकी सहायक ,आनंद सर तिल्दा,सरपंच ग्राम पंचायत कुर्रा-रवि वर्मा,सचिव-मथुरा पाल,रोजगार सहायिका-सीतेश्वरी चौहान,नरेश निर्मलकर रोजगार सहायक,जगदेव राम कंडरा रोजगार सहायक बरौण्डा आदि उपस्थित थे।

न्यूज गैलरी

गरियाबंद: जिले में नहीं हो रहा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन

गरियाबंद (नव प्रदेश)। जिला गरियाबंद में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नहीं दिखे मंत्री श्री साहू के कार्यक्रम में शामिल प्रतिनिधि और प्रशासनिक अमला... कोरोना महामारी कोविड19 के बढ़ते प्रभाव से गरियाबंद जिले में बढ़ते मरीजों के सिलसिलों के बाद भी प्रशासन में बैठे लोग ही नहीं करते दिखते नियमों का पालन कुछ दिन पहले ही छुरा और छुरा विकास खंड के आस पास ही कोरोना पाजिटिव मिला है, फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाना बेहद अफसोस जनक विषय है। हर बार नियमो को ताक पर रखकर आम जानता को ही क्यों लक्ष्य बनाया जाता है क्यों इसमें राजनेता या प्रतिनिधि व प्रशासन जवाबदार नहीं होता। क्या ये भीड़ जिसमे अंतराल नहीं बनाया गया है के बारे में अनुशासन हिन लोगों को पता है कि कोई कोरोनावायरस से संक्रमित है या नहीं ? फिर भी इनकी ओर से अनुशासन हीन कार्य किए ही जाते हैं। एक ओर जहाँ पूरे प्रदेश में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए खुद कांग्रेस की सरकार चिंता में डूबा हुआ नजर आ रहा है वहीं जिला गरियाबंद के छुरा विं.खं. के खोपलीपाठ और द्वारतरा पंचायत में छत्तीसगढ़ सरकार की इस योजना को महत्वाकांक्षी बता रही है। उसी गौधन न्याय योजना के शुभारंभ में पधारे प्रदेश के सम्मानीय मंत्री और जिला के प्रभारी मंत्री,संसदीय सचिव और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा जमकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई गई। जबकि हाल ही में छुरा और आसपास के तीन ग्रामों में कोरोना पाजिटिव के केस सामने आए हैं, फिर भी जिला प्रशासन के आलाधिकारियों ने गंभीरता नहीं दिखाई। शासन के जिम्मेदारों के द्वारा नियमों का खुलकर उल्लंघन कर रहे हैं तो अन्य आमजनों का भगवान ही मालिक है। भाजपा नेता प्रीतम सिन्हा ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा है की कोरोना कोविड 19 के तहत जो नियम मानव समाज के आम लोगों के लिए बनाया गया है वही इस कोरोना महामारी के संक्रमण से बचने के लिए सभी के लिए यह नियम सामान्य है, चाहे वह नेता हो प्रतिनिधि हो या प्रशासन में बैठे प्रशासनिक अमला क्यों ना हो। सभी को एक समान हर एक नियमों का पालन करते हुए इस कोरोना महामारी के जंग को लड़कर जीतना है देखा जा रहा है कि स्थानीय प्रशासन वह प्रतिनिधि ही इसकी धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जो एक गंभीर विषय है जिस पर राज्य सरकार को गंभीरता पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है।

कवितावली ने पूरा किया दस सप्ताह का सफ़र, देशभर के रचनाकारों ने दी प्रस्तुति

बेमेतरा/साजा - पूरे प्रदेश में कला, संस्कृति, साहित्य, संगीत व शिक्षा के अपने अनुकरणीय कार्यों से चर्चित सामाजिक संस्था श्री साईनाथ फाउंडेशन द्वारा आयोजित साप्ताहिक काव्य-श्रृंखला कवितावली ने अपने आयोजन के दसवें सप्ताह के अंतर्गत प्रदेश के आठ प्रतिभावान युवा कलमकारों को इस अनूठे आयोजन के माध्यम से प्रस्तुति का अवसर प्रदान किया। इस ऑनलाइन आयोजन का लाइव प्रसारण प्रदेश के लोकप्रिय युवा शायर आशीष राज सिंघानिया के अधिकृत फेसबुक पेज आशीष तन्हा में सप्ताह के प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार व रविवार को सायं 6 से 7 बजे के बीच किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत देश-प्रदेश के युवा, स्थापित व लोकप्रिय कवि-कवयित्रीयों द्वारा कोरोना महामारी से बचाव हेतु प्रयासरत कोरोना योद्धाओं के प्रति सम्मान व संवेदना व्यक्त करते हुए स्वरचित कविताओं की प्रस्तुति दी जाती है। कार्यक्रम के प्रभारीद्वय युवा कवयित्री दिव्या दुबे नेह व युवा हास्य कवि मनोज शुक्ला ने बताया कि प्रति रविवार को सुबह 11 बजे आयोजित होने वाली नवीन साहित्यिक श्रृंखला कवितावली विशेष के तीसरे सोपान में इस सप्ताह अतिथि कवि के रूप में युवा प्रशासनिक अधिकारी व लेखक डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी ने अपनी रचनाएँ व साहित्यिक अनुभवों को अत्यंत धारदार ढंग से साझा किया।

गोधन न्याय योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था होगी मजबूत

ग्राम झालम मे गोधन न्याय योजना का शुभारंभ

बेमेतरा/साजा। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ी परंपरा एवं संस्कृति को बनाए रखते हुए समय-समय पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है जिससे ना केवल छत्तीसगढ़ियों की सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने में मदद मिल रही है वरन लोगों में भी अपने संस्कृति के प्रति जागरूकता बढ़ रही है एवं स्वेच्छा से भी छत्तीसगढ़ी तीज त्योहारों एवं पर्वों को पारंपरिक तरीके से मनाने में अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं ग्राम सुराजी योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन द्वारा गोधन न्याय योजना जिसके माध्यम से 2रु. प्रति किलो में गोबर खरीदने की अभिनव पहल हरेली पर्व से किया गया जिसमें जनपद पंचायत बेमेतरा में प्रथम फेस में निर्मित सभी गोठान में गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया गया इस योजना के माध्यम से गौठान में उत्सर्जित गोबर के अलावा सभी गोबर को गौठान समिति द्वारा क्रय किया जाएगा एवं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से खाद निर्माण कर सेवा सहकारी समिति में विक्रय किया जाएगा। गोधन न्याय योजना से जैविक खेती में वृद्धि होगी, पशुधन के पालन पोषण में भी सहयोगी साबित होगी, ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे साथ ही कृषि रकबा में भी वृद्धि हो सकेगी एवं स्वच्छता बनाए रखने में भी मददगार होगी। इसी क्रम में विकासखंड स्तरीय कार्यक्रम ग्राम पंचायत झालम के आदर्श गोठान स्थल पर आयोजित की गई।

गौधन न्याय योजना का कैसे उड़ा मजाक.....?

■ पालिका प्रशासन अपनी जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं

जीवन एस साहू

गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गांव गांव में हरियाली एवं गौधन न्याय योजना की शुरुआत की गई जिसमे राज्य सरकार की मंशा किसानों की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का प्रयास किया जाना व गोबर के सदुपयोग किया तरह किया जा सकता है इस पहल पर योजना का शुभारंभ किया गया।

वहीं नगर पालिका प्रशासन गरियाबंद द्वारा भी कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जिसमे गौधन न्याय योजना को मज़ाक बनाया गया। इस कार्यक्रम को बस कथित रूप से ही संचालित की जा रही थी देखा जा सकता है कि जिस योजना का शुभारंभ समूचे पूरे छत्तीसगढ़ में प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा लागू किया गया वहीं गरियाबंद नगर पालिका प्रशासन के द्वारा कार्यक्रम को संचालित किए जाने मंच में लगे बैनर से मुख्य मंत्री की तस्वीर ही गायब कर दिया गया था और तो और बिना तराजू के दो टोकनी में गोबर बस रख दिया गया था और पांच लोगों को ही बुलाकर कार्यक्रम संचालित की जाने की तैयारी की जा रही थी। बैनर में कार्यक्रम का समय 12 बजे निर्धारित रखा गया था किन्तु जिसकी आनन फानन में तय्यारी की जा चुकी थी।

कार्यक्रम संशोधन तो तब हुआ जब पालिका परिषद से वार्ड क्रमांक एक के पार्षद कांग्रेस युवा नेता संदीप सरकार ने इस पर आपत्ति जताई कि कांग्रेस की सरकार व कांग्रेस की ही योजना होने के बावजूद पालिका प्रशासन ने ना ही प्रदेश के मुखिया की तस्वीर लगाई थी और ना ही बैनर को सही लिखा गया था ना ही किसी भी कांग्रेस के प्रतिनिधि को 12 बजे होने वाले कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था। संदीप सरकार के इस आपत्ति के चलते पालिका प्रशासन ने उक्त कार्यक्रम को संसोधन कर शाम 5 बजे तय किया और बैनर को फिर से बनवाया गया तथा ब्लाक कांग्रेस कमेटी के गरियाबंद ब्लाक अध्यक्ष वीरू यादव को भी आमंत्रित कर पालिका के सभी प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया।

इस तरह से कार्यक्रम केवल कथित रूप से ही हो रहा था,जिसकी कोई तैयारी नहीं की गई थी।

कार्यक्रम को नाम मात्र ही निपटान की जाने की तैयारी की गई थी जब इस कार्यक्रम को विफल होते देखा गया तो कांग्रेस पार्षद संदीप सरकार द्वारा विरोध किया गया तब सुचारू ढंग से कार्यक्रम शाम 5 बजे संपन्न किया गया। देखा गया कि संदीप सरकार के आपत्ति उठाने पर पालिका प्रशासन एक दूसरे पर इल्जाम लगाने में पीछे नहीं थे जैसे कोई बात अपने पे आती है तो छोटे कर्मचारियों पर दोस मढ़ते भी देखा गया।

कार्यक्रम में सभी को आमंत्रित किए जाने पर गरियाबंद लोकल कार्यक्रम होने के कारण सभी जनप्रतिनिधि तुरंत पहुँचे हरेली त्योहार होने के कारण सभी घर में ही थे इसलिए सभी कार्यक्रम में शामिल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार कार्यक्रम में योजना अन्तर्गत जहां गोबर खरीदने कि शुरुआत करनी थी वहीं किसानो का पंजीकरण पहले से ही करवना था और प्रमाण पत्र भी देना था। किन्तु तत्कालिक किसान पशुपालन बना दिया गया। ना ही किसान को आमंत्रित किया गया था और ना तो पशुपालन को मणिकंचन के कर्मचारियों को देखा गया था। जब देखा गया कि किसानों का नाम भी लिखना है तब तुरंत पूर्व पार्षद के परिवार को ही किसान बनाकर बैठा दिया गया। किसान का नाम धरमु है जिन्होंने 22 किलो गोबर बेचा गया।

बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश

जिला के देवकर पुलिस की कार्यवाही:- मय कम्प्युटर सेट व फोटोकॉपी मशीन सहित, 15 बाइक चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 8.75 लाख रूपये का माल बरामद, 10 आरोपी गिरफ्तार

नव प्रदेश संवाददाता

बेमेतरा/साजा। - दिनांक 17.07.2020 को चौकी देवकर पुलिस को अपराध विवेचना आरोपी पतासाजी के दौरान जरिये मुखबीर से सूचना मिली कि नीतेश उर्फ रूंग्सू, आरिफ खान बिना नंबर के मोटर सायकल में घुम रहे हैं कि सूचना पर दोनों संदेहीयों को हिरासत में लेकर पुछताछ करने पर अपने अन्य साथियों के साथ देवकर, दुर्ग, साजा, बेमेतरा एवं अन्य स्थानों से बाईक चोरी करने के संबंध में बताया। उपरोक्त दोनों आरोपियों से पुछताछ एवं निशादेही पर उनके साथी आरोपियों को अलग-अलग जगहों से पकड़ा गया। पकड़े गये आरोपी है - आरिफउर्फ डाबला पिता लाल खान उम्र 24 वर्ष साकिन बासीन, सद्दाम मो. पिता मो.निजामुददीन उम्र 20 वर्ष साकिन वार्ड नं.14 देवकर, उपेन्द्र देवांगन पिता श्रीराम देवांगन उम्र 19 वर्ष साकिन वार्ड नं.15 देवकर, ईमरान पिता आमीन बेग उम्र 20 वर्ष साकिन वार्ड नं.14 देवकर, नीतेश उर्फ रूंगसू पिता रघुनाथ ढीमर उम्र 22वर्ष साकिन मोहगांव, जाबीर अली पिता स्व.गुलजार अली उम्र 19 वर्ष साकिन मोहगांव, तिलक उर्फ छोटू कुंजाम पिता संतोष कुंजाम उम्र 19 वर्ष साकिन वार्ड नं.07 देवकर, मनोज मरकाम पिता रविशंकर मरकाम उम्र 40 वर्ष साकिन वार्ड नं.15 देवकर, प्रेमू यादव पिता नम्मू यादव उम्र 20 वर्ष साकिन वार्ड नं.13 देवकर, मोनू ढीमर पिता स्व.मनहरण ढीमर उम्र 28 वर्ष साकिन मोहगांव उपरोक्त आरोपियों के कब्जे से विभिन्न कंपनियों के निम्न मोटर सायकल-स्प्लेंडर प्लस क्रं. सीजी-07-ए.पी.-1679, सुपर स्प्लेंडर क्रं.सीजी-07-ए.एफ-5106, हीरो एच.एफडिलक्स क्रं.सीजी-25-डी-5551, सीबी साईन क्रं -सीजी-04-एल.एन.-0513, एक नीले रंग की एक्टीवा क्रं.सीजी-04-के.क्यू.-1968, डिस्कवर क्रं.सीजी-04-डी.आर.-0171, एक्टीवा सोल्ड काले रंग, पेशन प्रो क्रं.सीजी-25-2080, एक्टीवा क्रं.-सीजी-07-ए.इ.-7861, पैशन प्रो क्रं.सीजी-07-ए.डब्लू-5470, एच.एफडीलक्स क्रं.सीजी-25-जे-2041, डिस्कवर सीजी-07-एल.यु.-6748, सीजी-25-सी-2621, एच.एफडीलक्स क्रं.सीजी-25-सी-8272, सीडी. डीएलएक्स क्रं.सीजी-07-एल.एक्स.-0952, कुल 15 नग मोटर सायकल अनुमानित कीमत 7,50,000/-रूपये (सात लाख पचास हजार रूपये) एवं मय कम्प्युटर सेट 02 नग व 1 फोटोकॉपी मशीन व प्रिंटर कीमती करीबन 1,25,000/-रूपये कुल जुमला कीमती 8,75,000/-(आठ लाख पचहत्तर हजार रूपये) आंकी गई है। उपरोक्त आरोपियों के विरूद्ध चौकी देवकर थाना साजा के अप.क्रं.122/2020 धारा 379, अप.क्रं.130/2020 धारा 379 भादवि., अप.क्रं.176/2020, अप.क्रं.177/2020 धारा 379 भादवि एवं इस्तगासा क्रमांक 02/2020 धारा 41(1-4) जाफौ., 379,34 भादवि. के तहत कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्त कार्यवाही में पुलिस अधीक्षक बेमेतरा दिव्यांग कुमार पटेल के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विमल कुमार बैस व एसडीओपी बेरला श्रीमति ममता देवांगन के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी साजा निरीक्षक हरप्रसाद पाण्डेय, चौकी प्रभारी देवकर उप निरीक्षक बी.आर.ठाकुर, सउनि.गौकरण वर्मा, सउनि.महेश चौरे, सउनि.सुभाष सिंह, प्र.आर.रघुनाथ नेताम, प्र.आर.प्रेमकिशोर जोशी, आर.संतोष धीवर, मुकेश पाल, श्रवण वर्मा, रोहित धुर्वे, फगेश्वर देशमुख, दिनेश नेताम, बिरेन्द्र साहू, ओमप्रकाश मनहरे, दुर्गेश तिवारी एवं प्र.आर.अरविंद शर्मा, आर.रामेश्वर मांडले, रविन्द्र तिवारी, राजकुमार भास्कर एवं थाना/चौकी के अन्य स्टाफ की सराहनीय भुमिका रही।

नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाला गिरफ्तार

बेमेतरा/साजा। 14 जुलाई को प्रार्थिया ने थाना साजा में लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 14.07.2020 को आरोपी द्वारा मेरी नाबालिग लडकी के अपने घर में बुलाकर उसे बेइज्जती करने के नियत से जबरदस्ती हाथ बाह पकडने कि रिपोर्ट पर थाना साजा में अपराध सदर धारा 354 भादवि, 8,12 पाक्सो एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया। आरोपी घटना दिनांक से फरार था। उक्त घटना के संबंध में वरिष्ट अधिकारियो को अवगत कराया गया। पुलिस अधीक्षक बेमेतरा दिव्यांग कुमार पटेल के निर्देशन पर अति. पुलिस अधीक्षक विमल कुमार बैस एवं एसडीओपी बेमेतरा श्रीमति ममता देवांगन द्वारा थाना साजा प्रभारी एवं थाना स्टाफ को आरोपी पतासाजी कर तत्काल कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर विवेचना आरोपी पतासाजी के दौरान दिनांक 18.07.2020 को आरोपी रामसता पारधी पिता मकर पारधी उम्र 60 साल साकिन सुवरतला थाना जिला बेमेतरा को पकडा गया।

चोरी के मामले का खुलासा, 3 अरेस्ट

■ घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल सहित नगदी रकम एवं मोबाईल बरामद

बेमेतरा/साजा - दिनांक 12.07.2020 को प्रार्थी नीरज पटेल उम्र 25 साल साकिन कोटरी थाना इंदवार जिला उमरिया (मध्य प्रदेश) ने थाना हाजिर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 11.07.2020 को ट्रक क्र. छ्त्त22-च-9224 में रंगोली भरकर जबलपुर से रायपुर जा रहा था। रात्रि करीबन 02.00 बजे ग्राम टेमरी के चौक के पास ट्रक का टायर फट जाने से ट्रक को रोड किनारे खडी कर मैं तथा गाडी का परिचालक अभिषेक पटेल के साथ ट्रक में सो रहे थे कि आज दिनांक 12.07.2020 के सुबह करीबन 04.45 बजे किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ट्रक के शीशा खोलकर सीट में रखे रेडमी कंपनी का स्क्रिन टच मोबाईल जिसमें जियो एवं आईडिया का सिम लगा था कीमती करीबन 6 हजार रूपये तथा पर्स में रखे नगदी 15 हजार रूपये को पर्स सहित जुमला 21 हजार रूपये को कोई अज्ञात व्यक्ति चोरी कर ले गया है कि रिपोर्ट पर थाना बेमेतरा में अपराध क्र 359/2020 धारा 379 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। उक्त घटना के संबंध में वरिष्ट अधिकारियो को अवगत कराया गया। जिस पर पुलिस अधीक्षक महोदय दिव्यांग कुमार पटेल ने तत्काल आरोपी पतासाजी हेतु आवश्यक निर्देश दिये। जिसके तहत अति. पुलिस अधीक्षक विमल कुमार बैस एवं एसडीओपी बेमेतरा राजीव शर्मा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बेमेतरा निरीक्षक राजेश मिश्रा को अपराध विवेचना हेतु थाना स्टाफ के साथ माल मुल्जिम पतासाजी में लगाया गया। विवेचना माल मुल्जिम पतासाजी के दौरान जरिए मुखबीर की सूचना पर संदेही शिव सिसोदिया पिता जाहर सिंह सिसोदिया उम्र 27 साल साकिन वार्ड नं. 17 सिलतरा थाना धरसीवा जिला रायपुर, सूर्या सिसोदिया पिता सोमनाथ सिसोदिया उम्र 20 साल, हरीश पवार पिता नीत कुमार पवार उम्र 19 साल साकिन बहेरा कुसमी थाना बेमेतरा हाल पता वार्ड नं. 17 सिलतरा थाना धरसीवा जिला रायपुर को संदेह के अधार पर पकडा गया। उपरोक्त तीनो संदेहियो को हिरासत में लेकर उक्त घटना के संबंध में पुछताछ करने पर तीनों ने मिलकर घटना घटित करना स्वीकार किये। आरोपियो के कब्जे से 6,500/- रूपये एवं चोरी गये मोबाईल रेडमी कीमती 6 हजार रूपये एवं घटना में प्रयुक्त वाहन एफजेड मोटर सायकल सीजी 04 एमवाय 8327 कीमती करीबन 50 हजार रूपये कुल जुमला रकम 62,500/- रूपये बरामद किया गया। उपरोक्त तीनों आरोपियो को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय बेमेतरा में पेश किया गया। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी बेमेतरा निरीक्षक राजेश मिश्रा, प्र. आर. मोहन साहू, प्र. आर. मोहित चेलक, आर. विक्रम सिंह, आरक्षक जितेन्द्र वर्मा, आरक्षक संदीप साहू, आर. हेमंत वर्मा, आर. अनिल निषाद, महिला आरक्षक रीना गायकवाड एवं अन्य थाना स्टाफ शामिल थे।

समीक्षा | **जिले में लॉकडाउन के संबंध में सुझाव आंमत्रित, कलेक्टर ने की समय-सीमा प्रकरणों की समीक्षा**

गौठानों में गोबर खरीदी व्यवस्थित रूप से हो - कलेक्टर

नव प्रदेश संवाददाता

गरियाबंद। कलेक्टर छतर सिंह डेहरे ने आज अधिकारियों की बैठक में विभागवार लंबित समय-सीमा प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने प्रदेश के साथ ही जिले में भी कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते प्रभाव पर नियंत्रण हेतु अन्य जिलों की भांति गरियाबंद जिले में भी लॉकडाउन के संबंध में जिले के सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारियों से सुझाव आमंत्रित किया। कलेक्टर ने कहा कि अधिकारी संबंधित क्षेत्र के व्यवसायी, जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों से विचार विमर्श कर लॉकडाउन के संबंध में अपनी सुझाव देवे। उन्होंने अधिकारियों को कोविड-19 के नियंत्रण के संबंध में शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने कहा। शासन के निर्देशों के बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित संख्या में लोगों के सैम्पल नहीं लेने पर असंतोष व्यक्त करते हुए इस संबंध में छुरा, राजिम और गरियाबंद के बी.एम.ओ को कारण बताओ नोटिस देने सीएमएचओ को निर्देशित किया। कलेक्टर श्री डेहरे ने कहा कि प्रदेश की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना का जिले में भी शुभारंभ हो गया है। इसके साथ ही जिले के गौठानों में गोबर खरीदी की शुरूआत हो गई है। उन्होंने कहा कि जिले में योजना का क्रियान्वयन बेहतर ढंग से हो, यह सुनिश्चत किया जाए। गोबर खरीदी और पंजी संधारण का कार्य गौठान समिति द्वारा किया जायेगा। जनपद सीईओ पंजी व खरीदी से संबंधित अन्य सामग्रियां गौठानों में उपलब्ध कराये। यह सुनिश्चित किया जाए कि पशुपालक किसानों को गोबर बिक्री का भुगतान समय पर हो। कलेक्टर ने कहा कि गांवों की भांति नगरीय निकाय क्षेत्रों में भी रोका-छेका अभियान का बेहतर ढंग से क्रियान्वयन किया जाए। राजस्व और कृषि विभाग के अधिकारी गिरदावरी के लिए प्रति सप्ताह लक्ष्य निर्धारित कर कार्य प्रारंभ करना सुनिश्चित करे। पंजीकृत सभी किसानों का के.सी.सी कार्ड बनाई जाए। कलेक्टर ने धान शार्टेज वाले उपार्जन केन्द्रों से संबंधित समिति पर कार्यवाही हेतु सहायक पंजीयक सहकारी समिति को निर्देशित किया। शासकीय उचित मूल्य दुकानों के युक्तियुक्तकरण पश्चात नये दुकानों के लिए कलेक्टर से अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने खाद्य अधिकारी को निर्देशित किया।

विश्व में गोबर खरीदने वाला छग पहला राज्य : विनोद

■ संसदीय सचिव ने वार्ड 18 में किया गोधन न्याय योजना का शुभारंभ

नव प्रदेश संवाददाता

महासमुंद। संसदीय सचिव एवं विधायक विनोद चंद्राकर ने वार्ड 18 में गोधन न्याय योजना की शुरुआत करते हुए कहा पूरे विश्व में गोबर खरीदने वाला एकमात्र छत्तीसगढ़ पहला राज्य है। छत्तीसगढ़ की प्राचीन संस्कृति और परंपरा हमारा गौरव है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी संस्कृति और परंपरा को सहेजने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने उसी परंपरा को बचाने के लिए गोधन न्याय योजना शुरू की है। नगर पालिका द्वारा आयोजित गोधन न्याय योजना का उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि संसदीय सचिव एवं विधायक विनोद चंद्राकर ने कहा जिन्हें हम गौ माता कहते हैं आज उनकी दशा खराब है। दूध निकाल कर गौ माता को खुले में छोड़ दिया जाता है। जिसकी वजह से सड़क पर आएदिन दुर्घटनाएं हो रहीं है। इस पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार ने गोबर खरीदने का फैसला किया। संसदीय सचिव ने कहा सरकार नरुवा, गरुवा, घुरुवा और बारी योजना शुरू की है। अब नरुवा से खेत की सिंचाई होगी. गरवा जो गोबर देगी उसे सरकार नगर पालिका, नगर पंचायत के माध्यम से 2 रुपए किलो में खरीदेगी घुरवा में पड़े गोबर को खाद के रूप में उपयोग लाया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष प्रकाश चंद्राकर ने कहा सरकार ने पशुपालकों को चारा की समस्या से मुक्त कर दिया है। अब गोबर से मिलने वाली राशि से गौ माता के लिए चारा की व्यवस्था हो जाएगी। पालिका अध्यक्ष ने कहा गोधन न्याय योजना के माध्यम से राज्य सरकार ने पशुपालकों की आर्थिक सुदृढ़ीकरण का मार्ग प्रशस्त किया है। इस मौके पर वार्ड के पार्षद अमन चंद्राकर ने भी संबोधित किया। वहीं नगर पालिका के सीएमओ एके हलधर ने गोधन न्याय योजना पालिका से जुड़कर काम करने की जानकारी दी। इसके पूर्व संसदीय ने 9 लोगों से एक क्विंटल 65 किलो गोबर खरीदी की। साथ ही पशुपालकों को विक्रय पत्रक वितरण किया गया। बाद अतिथियों ने गोठान जाकर मवेशियों को लौंदी खिलाई।

इस अवसर पर जनपद अध्यक्ष भागीरथी चंद्राकर, सभापति राजेन्द्र चंद्राकर, मनीष शर्मा, माधवी सिका, पार्षद द्वय मीना वर्मा, राशि महिलांग, कमला बरिहा, राजेश नेताम, मुन्ना देवार, रिंकू चंद्राकर, दाऊलाल चंद्राकर, संतोष वर्मा, गोलू मदनकार, अमर चंद्राकर, पालिका के अधिकारी, कर्मचारी सहित वार्ड 18 के नागरिकगण उपस्थित थे।

प्रथम पृष्ठ का शेष...

कोरोनाः मां की अर्थी...

की वृद्ध महिला की तबियत बिगड़ी तो अस्पताल में पता चला महिला कोरोना संक्रमित हैं। इलाज के बाद भी महिला को नहीं बचाया जा सका और 4 जुलाई को उनकी मौत हो गई। इसके बाद दो बेटे संक्रमित पाए गए और इलाज के दौरान उनकी भी मौत हो गई। फिर महिला के दो और बेटे बीमार पड़ गए। उन्होंने भी दम तोड़ दिया। सिर्फ 12 दिनों के भीतर इस परिवार में कोरोना वायरस से पांच लोगों की मौत हो चुकी थी। इसके बाद पांचवां बेटा जो धनबाद के कोविड अस्पताल में रेफर करने के बाद रिम्स रांची में भर्ती हुआ था, उसने भी सोमवार को उसने अंतिम सांस ली। इसी के साथ कोरोना वायरस के संक्रमण से एक बुजुर्ग महिला और उसके पांच बेटों की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक जिस वृद्ध महिला की सबसे पहले मौत हुई वो दिल्ली में रह रहे अपने पोते की शादी में शामिल होने के लिए गई थी। परिवार से सबसे बड़ी गलती ये हुई कि कोरोना से मौत के बाद ढ्ढष्टरू्र के दिशा-निर्देशों की जगह सामान्य तरीके से अंतिम संस्कार किया गया जिससे दूसरों में भी संक्रमण फैल गया।

खबरदार.. आज से...

की गई, लेकिन कहा जा रहा है कि 24 से 30 जुलाई तक लॉकडाउन हो सकता है। यहां 339 मरीज हैं, जिनमें 273 की रिकवरी हुई है और 3 मौतें हो चुकी हैं। मुंगेली जिले में सोमवार को बैठक होनी है। सूत्रों के मुताबिक यहां भी 22 से 31 जुलाई तक लॉकडाउन हो सकता है। मुंगेली जिला कोरोना से काफी प्रभावित है। रायगढ़-जशपुर में आंशिक लॉकडाउन रहेगा, इसके तहत वहां सुबह 10 से शाम 6 बजे तक प्रतिष्ठान खुलेंगे। महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, बालोद, कवर्धा, बेमेतरा, दंतेवाड़ा, बस्तर, सुकमा, नारायणपुर, कोंडागांव जिलों में अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई है। राज्य के सभी क्लब, रेस्टोरेंट, बार और ब्रेवरेज कॉर्पोरेशन के गोदाम अब 2 अगस्त तक बंद रहेंगे।

बस्तर में स्वास्थ्य..

का लोकार्पण किया।इसी तरह उन्होंने महारानी अस्पताल में लगभग 50 लाख रूपए की लागत से नेत्र वार्ड के नवीनीकरण, लगभग 49 लाख रूपए की लागत से अस्पताल के द्वितीय तल परिवर्धन के कार्य और 50 लाख रूपए की लागत से वर्तमान ओपीडी-एमसीएच के निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया। श्री बघेल ने कार्यक्रम में क्षेत्र के विकास के लिए सड़क, पुल-पुलिया, शिक्षा, स्वास्थ्य और खेलकूद की अधोसंरचना विकसित करने के लिए 244 करोड़ 25 लाख रूपए की लागत के 61 निर्माण कार्यो का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। उन्होंने इनमें से 22 करोड़ 87 लाख रूपए की लागत के 11 कार्यो का लोकार्पण और 221 करोड़ 38 लाख रूपए की लागत के कार्यो का भूमिपूजन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने युवोदय के वालिन्टियर्स तथा जिला प्रशासन से कहा कि बस्तर की आबोहवा के अनुकूल फलदार वृक्ष लगाएं, जिससे वहां के रहवासियों को उसका लाभ मिले। इंद्रावती नदी नदीतट वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत् तिरथा ग्राम पंचायत में युवोदय के वॉलिंटियर द्वारा मुख्यमंत्री श्री बघेल के नाम पर 50 हजारवां वृक्षारोपण किया गया।

पंचायत भवन से महुआ शराब जब्त

महासमुंद। भोकलूडीह पंचायत भवन में बिक्री के लिए रखी 7 लीटर महुआ शराब सांकरा पुलिस ने पकड़ा है। जानकारी के अनुसार अवैध शराब परिवहन एवं बिक्री पर लगातार नजर रखी जा रही थी। रविवार को मुखबिर की सूचना पर पंचायत भवन में दबिश दी और आरोपी कुमरामडी विशाल पिता गोविंद विशाल के कब्जे से एक सफेद प्लास्टिक जरकिन में करीब 5 लीटर तथा एक 5 लीटर वाली प्लास्टिक जरकिन में करीब 02 लीटर भरी हुई हाथ भठ्ठी महुआ शराब जुमला 07 लीटर कीमती 700 रूपये जब्त कर धारा 34 (2) के तहत कार्रवाई कर ज्यूडिशियल रिमांड पर भेजा गया।

निर्माणाधीन मकान में चोरी

महासमुंद। पिथौरा में निर्माणाधीन मकान से 50 हजार रूपए चोरी हो गई। वार्ड 2 निवासी लक्ष्मीगिरी गोस्वामी ने बताया कि उन्होनें अपने निर्माणाधीन घर में रखे चांवल की पेटी में दवाई के खोखे में 50 हजार रूपए छिपाकर रखा था। जिसे अज्ञात ने पार कर दी। शिकायत पर पुलिस ने 379 के तहत जुर्म दर्ज कर जांच में लिया है।

ट्रक से टकराया बाइक चालक, मौत

महासमुंद। बाइक से डीजल लेकर आ रहा बाइक सवार सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गया जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच में लिया है। जानकारी के मुताबिक कसडोल थाना क्षेत्र के ग्राम मुरूमडीह निवासी महेश तांडे (52) पटेवा के अमोरा नाला के पास खड़ी ट्रक से टकरा गया।

डूबने से वृद्धा की मौत

महासमुंद। तालाब में डूबने से वृद्धा की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बसना थाना क्षेत्र के ग्राम बाराडोली निवासी राधीबाई पति स्वर्गीय कोंदा गोड़ तालाब में नहाने गई थी। इस दौरान डूबने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच में लिया है।

पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट

महासमुंद। शहर के नयापारा में पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट हो गई। नयापारा निवासी संखाराम गाड़ा पिता कमल गांडा (55) ने पुलिस को बताया कि संजय यादव ने उसके साथ पुरानी रंजिश के चलते मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने 294, 323, 506 के तहत जुर्म दर्ज कर जांच में लिया है।

विश्व हिन्दू परिषद, बजरंगदल ने रोपे पौधे

महासमुंद। विश्व हिन्दू परिषद व बजरंग दल चिंगरौद ने हरेली पर ग्राम के शीतला माता मंदिर परिसर में पौधरोपण किया। इस दौरान प्रमुख रूप से जिला सुरक्षा प्रमुख छबि सिन्हा, जिला मीडिया प्रभारी गुड्डा सिन्हा, लालू साहू, सागर सिंह, हिम्मत पटेल, सागर मनहरे, गजेन्द्र पटेल, योगेश निषाद सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे।

पौधरोपण पर आधारित छत्तीसगढ़ी गीत का विमोचन

महासमुंद। रविवार को लाफिनकला निवासी शिक्षक महेन्द्र कुमार पटेल, गोवर्धन प्रसाद साहू, महासमुंद से शिक्षक शेखर चन्द्राकर, झारा निवासी शिक्षक व लोकगायक विश्राम यादव ने मिलकर पौधरोपण व संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ी गीत की रचना की है। जिसका विमोचन तुमगांव रोड स्थित चर्च में पौधरोपण कार्यक्रम में संसदीय सचिव विनोद चन्द्राकर ने करते हुए शिक्षकों द्वारा पौधरोपण व संरक्षण पर बनाए गीत की सराहना की। साथ ही हम सबने यह ठाना है, हरियर छत्तीसगढ़ बनाना है, जैसे जागरुकता नारे लगाते हुए हरियाली की शुभकामनाएं दी है। गीत को स्वर शिक्षक विश्राम यादव व संगीत में विशेष मार्गदर्शन टीकम पटेल का है।

बच्चों ने उठाया गेड़ी का आनंद

बिरकोनी। क्षेत्र में हरेली पर्व धूमधाम से मनाया गया। किसानों ने कृषि उपकरणों की पूजा-अर्चना की। चावल आटा से बनी चीला रोटी का भोग लगाया और अच्छी फसल के लिए खेत में भी पूजा-अर्चना की। बैल, भैंस और गाय को बीमारी से बचाने के लिए बगरंडा और नमक खिलाई गई। बच्चों ने गेड़ी खेल जमकर आनंद लिया।

घोंच पंचायत के अतिक्रमण पर प्रशासन सुस्त

पिथौरा, घोंच। मामला ग्राम पंचायत घोंच का है जहां शासकीय भूमि पर अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों ने तहसील, जिला प्रशासन से रोक लगाने की अपील व शिकायत आवेदन पत्र लगाया था किंतु जिला,तहसील प्रशासन के द्वारा कार्रवाई नहीं करने के कारण अतिक्रमण पूर्ण रूप धारण कर लिया है वहां भव्य भवन निर्माण तैयार हो चुका है ग्रामीणों के शिकायत आवेदन पर तहसीलदार ने तत्काल कार्य रोकने का आदेश 06/05/20 को दिया और आदेश साथ ही ना मानने पर तेंदुकोना पुलिस को कार्रवाई करने का भी आदेश भी दिया था। जिस पर ना राजस्व प्रशासन ने संज्ञान लिया ना कानून प्रशासन ने संज्ञान लिया। ज्ञात रहे दिनांक 15 जुलाई को नवप्रदेश ने शासकीय भूमि पर अवैध अतिक्रमण संबंधित खबर छापी थी जिसमें ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन की कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण जिला प्रशासन से गुहार लगाई थी। तहसील कार्यालय ने जांच कर रहे पटवारी के प्रतिवेदन का सज्ञान लेते हुए माना अतिक्रमण किये जा रहे भूमि खसरा नम्बर 278 रकबा 0.78 रिकॉर्ड मे चट्टान के मद मे दर्ज है। तहसीलदार ने अवैध निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाने एवं अतिक्रमण कर्ता को उक्त भूमि का कोई दस्तावेज तहसील कार्यालय मे प्रस्तुत करने का आदेश जारी किया था। किंतु आदेश को दरकिनार करते हुए अतिक्रमण कर्ता भवन निर्माण कार्य बिना रोके करते रहें लगता है प्रशासन भी खुद सहयोग कर रहा है शायद इस प्रकार के ढुलमुल रवैया को देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कैसे हजारों एकड सरकारी जमीनों की खरीदी बिक्री महासमुंद जिले में होती रही कार्रवाई के नाम पर लीपापोती,मूकदर्शक की भूमिका प्रशासन पर प्रश्नचिन्ह लगता आया है जिस पर आये दिन शिकायतें, कार्यवाई,खबरें चर्चा जिले में प्रमुख रहीं हैं।

लोन लेने के लिए ITR बनवाएं मात्र 500/- में
ITR GST
हमारे Tax Expert आपकी मदद हेतु तैयार है।
G.S.T. रिटर्न
इंकम TAX फाईल
TDS रिफंड
IT नोटिस
Food Licence
M.S.M.E. रजिस्ट्रेशन
प्रोजेक्ट रिपोर्ट
डिजिटल सिग्नेचर
शेखर गुप्ता
ONLY TDS.COM
9300755544
8878655544

पुलिस प्रताड़ना के सभी प्रकरण में एफआईआर के साथ होना चाहिए न्याय

महासमुंद। पूर्व विधायक एवं भाजपा नेता डा विमल चोपड़ा ने आत्महत्या के लिए प्रेरित करने पर डीएसपी अनामिता जैन पर जुर्म दर्ज करने का स्वागत करते हुए कहा कि पुलिस प्रताडऩा के प्रत्येक प्रकरण पर एफआईआर दर्ज कर न्यायालय से न्याय होना चाहिए। डा चोपड़ा ने पुलिस के दोहरे मापदण्ड की निंदा करते हुए कहा कि भिन्न-भिन्न प्रकरणों में एक मापदण्ड की बजाए भिन्न-भिन्न मापदण्ड अपनाया जाना घोर आपत्तिजनक है। डा चोपड़ा ने कहा कि खल्लारी की टीआई दीपा केंवट एवं तुमगांव थानेदार शरद ताम्रकार द्वारा किए गए दुर्व्यवहार पर किसी प्रकार की कार्यवाही न होना पुलिस के दोहरे मापदण्ड का परिचायक है। दोनों घटनाओं में पीड़ित पक्ष सही है, ऐसा कहना नहीं है। परंतु पुलिस की शिकायत की जांच पुलिस करे और अन्यों की शिकायत का न्याय न्यायालय में हो यह उचित नही है। ऐसे भी पूर्व में इन दोनों थानेदारों के साथ-साथ अनेक थानेदार एवं पुलिस वालों के उदण्ड व्यवहार की शिकायतें विभाग को मिलती रही। परंतु विभागीय जांचकर लीपापोती करना पुलिस की कार्यप्रणाली में घोर पक्षपात का घोतक है। विभागीय जांच में बड़े-बड़े अपराधों की सजा नहीं दी गई और मामले को छोटी-मोटी सजा के साथ रफा दफा कर दिया गया। समीर डूंगडूंग द्वारा बलोदा चौकी प्रभारी रहते लाखों की मांग का वीडियो वायरल होने एवं जांच में दोषी पाए जाने के बावजूद एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोककर मामला खत्म कर दिया गया।

कार्यालय, नगर पालिक निगम रायपुर (छ.ग.)
जोन क्रमांक-10, अमलीडीह सामुदायिक भवन पानी टंकी के पास,
Email: rmczone10@gmail.com

//ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना //

नामांतरण प्र.क्र. 32/2020-21
वार्ड का नाम- गुरू घासीदास-49

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि गुरू घासीदास वार्ड 49 स्थित मकान/ भूमि 43/सी-223 जो कि निगम अभिलेख में श्रीमती हरजीत कौर होरा w/o जसवीर सिंग होरा के नाम से दर्ज है, जिसको श्री नरिन्दर सिंग सलूजा s/o स्व. सरदार दिलीप सिंग सलूजा ने शपथ पत्र/ रजिस्ट्री के अनुसार/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर दस्तावेजों के साथ प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/आपत्ति प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा/ आपत्ति पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी, जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

सूचना जाने। जोन कमिश्नर
जोन क्र.-10
नगर निगम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, नगर पालिक निगम रायपुर (छ.ग.)
जोन क्रमांक-10, अमलीडीह सामुदायिक भवन पानी टंकी के पास,
Email: rmczone10@gmail.com

//ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना //

नामांतरण प्र.क्र. 35/2020-21
वार्ड का नाम- ले. अरविंद दीक्षित- 56

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि ले. अरविंद दीक्षित वार्ड 56 स्थित मकान/ भूमि 456/ प्रियदर्शनी नगर जो कि निगम अभिलेख में श्रीमती छाया मुखर्जी w/o स्व. के.जी. मुखर्जी के नाम से दर्ज है, जिसको श्री विश्वजीत मुखर्जी s/o स्व. के.जी. मुखर्जी, श्रीमती अंजना मुखर्जी D/o के.जी. मुखर्जी ने शपथ पत्र/ रजिस्ट्री के अनुसार/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर दस्तावेजों के साथ प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/आपत्ति प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा/ आपत्ति पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी, जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

सूचना जाने। जोन कमिश्नर
जोन क्र.-10
नगर निगम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, नगर पालिक निगम रायपुर (छ.ग.)
जोन क्रमांक-10, अमलीडीह सामुदायिक भवन पानी टंकी के पास,
Email: rmczone10@gmail.com

//ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना //

नामांतरण प्र.क्र. 39/2020-21
वार्ड का नाम- डॉ. राजेन्द्र प्रसाद-52

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि डा. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड 52 स्थित मकान/ भूमि ई-115 जो कि निगम अभिलेख में श्री फणीन्द्र भूषण s/o पिताम्बर लाल पटेल के नाम से दर्ज है, जिसको श्रीमती दीप्ति पटेल w/o हीराधर पटेल ने शपथ पत्र/ रजिस्ट्री के अनुसार/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर दस्तावेजों के साथ प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/आपत्ति प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा/ आपत्ति पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी, जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

सूचना जाने। जोन कमिश्नर
जोन क्र.-10
नगर निगम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, नगर पालिक निगम रायपुर (छ.ग.)
जोन क्रमांक-10, अमलीडीह सामुदायिक भवन पानी टंकी के पास,
Email: rmczone10@gmail.com

//ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना //

नामांतरण प्र.क्र. 27/2020-21
वार्ड का नाम- बाबू जगजीवन राम-53

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि बाबू जगजीवन राम वार्ड 53 स्थित मकान/ भूमि स्व.व.भाई पटेल 'द' दुकान क्र.-12 जो कि निगम अभिलेख में श्री तुलसीदास बजाज s/o दौलतराम बजाज के नाम से दर्ज है, जिसको श्री अनिल कुमार खेमानी s/o स्व. गोपाल दास खेमानी ने शपथ पत्र/ रजिस्ट्री के अनुसार/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर दस्तावेजों के साथ प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/आपत्ति प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा/ आपत्ति पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी, जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

सूचना जाने। जोन कमिश्नर
जोन क्र.-10
नगर निगम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, नगर पालिक निगम रायपुर (छ.ग.)
जोन क्रमांक-10, अमलीडीह सामुदायिक भवन पानी टंकी के पास,
Email: rmczone10@gmail.com

//ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना //

नामांतरण प्र.क्र. 31/2020-21
वार्ड का नाम- रविन्द्रनाथ टैगोर- 55

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड 55 स्थित मकान/ भूमि जैनम विहार एचआईजी-22 जो कि निगम अभिलेख में श्रीमती दिया मूलचंदानी w/o नरेश मूलचंदानी के नाम से दर्ज है, जिसको श्री अजय कुमार सिन्हा s/o कार्तिकराम सिन्हा ने शपथ पत्र/ रजिस्ट्री के अनुसार/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर दस्तावेजों के साथ प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/आपत्ति प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा/ आपत्ति पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी, जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

सूचना जाने। जोन कमिश्नर
जोन क्र.-10
नगर निगम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, नगर पालिक निगम रायपुर (छ.ग.)
जोन क्रमांक-10, अमलीडीह सामुदायिक भवन पानी टंकी के पास,
Email: rmczone10@gmail.com

//ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना //

नामांतरण प्र.क्र. 34/2020-21
वार्ड का नाम- बाबू जगजीवन राम- 53

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि बाबू जगजीवनराम वार्ड 53 स्थित मकान/ भूमि जो कि निगम अभिलेख में श्री निर्मल जैन s/o पन्नालाल जैन के नाम से दर्ज है, जिसको मेसर्स गणपति इण्डस्ट्रियल एण्ड मिल स्टोर्स प्रा. मनोज हिरावत s/o कमल हिरावत ने शपथ पत्र/ रजिस्ट्री के अनुसार/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर दस्तावेजों के साथ प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/आपत्ति प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा/ आपत्ति पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी, जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

सूचना जाने। जोन कमिश्नर
जोन क्र.-10
नगर निगम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, नगर पालिक निगम रायपुर (छ.ग.)
जोन क्रमांक-10, अमलीडीह सामुदायिक भवन पानी टंकी के पास,
Email: rmczone10@gmail.com

//ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना //

नामांतरण प्र.क्र. 33/2020-21
वार्ड का नाम- बाबू जगजीवन राम- 53

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि बाबू जगजीवनराम वार्ड 53 स्थित मकान/ भूमि देवपुरी जो कि निगम अभिलेख में श्रीमती संगीता साहू w/o स्व. उमाशंकर साहू के नाम से दर्ज है, जिसको श्रीमती निशा कुर्रे w/o शिवकुमार कुर्रे ने शपथ पत्र/ रजिस्ट्री के अनुसार/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर दस्तावेजों के साथ प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/आपत्ति प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा/ आपत्ति पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी, जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

सूचना जाने। जोन कमिश्नर
जोन क्र.-10
नगर निगम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, नगर पालिक निगम रायपुर (छ.ग.)
जोन क्रमांक-10, अमलीडीह सामुदायिक भवन पानी टंकी के पास,
Email: rmczone10@gmail.com

//ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना //

नामांतरण प्र.क्र. 38/2020-21
वार्ड का नाम- रविन्द्रनाथ टैगोर- 55

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड 55 स्थित मकान/ भूमि जैनम विहार एचआईजी-22 जो कि निगम अभिलेख में श्री पंकज जैन s/o पदमचंद जैन के नाम से दर्ज है, जिसको श्रीमती शिल्पा तिवारी w/o मनोज कुमार तिवारी ने शपथ पत्र/ रजिस्ट्री के अनुसार/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर दस्तावेजों के साथ प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/आपत्ति प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा/ आपत्ति पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी, जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

सूचना जाने। जोन कमिश्नर
जोन क्र.-10
नगर निगम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, नगर पालिक निगम रायपुर (छ.ग.)
जोन क्रमांक-10, अमलीडीह सामुदायिक भवन पानी टंकी के पास,
Email: rmczone10@gmail.com

//ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना //

नामांतरण प्र.क्र. 28/2020-21
वार्ड का नाम- रविन्द्रनाथ टैगोर- 55

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड 55 स्थित मकान/ भूमि वालफोर्ट इनक्लेव फ्लैट नं. बी-304 जो कि निगम अभिलेख में श्री सुनील बोथरा s/o गुलामचंद बोथरा के नाम से दर्ज है, जिसको श्री शेखर बोथरा s/o गुलाबचंद बोथरा ने शपथ पत्र/ रजिस्ट्री के अनुसार/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर दस्तावेजों के साथ प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/आपत्ति प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा/ आपत्ति पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी, जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

सूचना जाने। जोन कमिश्नर
जोन क्र.-10
नगर निगम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-5, सेजबहार, रायपुर (छ.ग.)
0771-2971574 email ID: eocghbzone5@gmail.com

आम-सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा कालोनी सेजबहार, जिला-रायपुर में निर्मित दीनदयाल आवास योजनांतर्गत एलआईजी भवन क्र.-581, श्री भुनेश्वर सिन्हा पिता श्री शिवलाल सिन्हा, निवासी- ग्राम व पो. सेमरा (भखारा) तह. कुरूद, जिला-धमतरी (छ.ग.) के नाम से स्ववित्तीय आधार पर आबंटित है। आबंटी द्वारा उक्त भवन का लीजडीड विलेख दिनांक 05.09.2008 को निष्पादित करा लिया गया है। वर्तमान में आबंटी द्वारा उक्त भवन को श्रीमती चंचला गुप्ता पति श्री मनीष कुमार गुप्ता, निवासी- लक्ष्मी नगर, पचपेढ़ी नाका, रायपुर तह. व जिला-रायपुर (छ.ग.) के नाम पर इस कार्यालय का पत्र क्र. 2676 दिनांक 18.03.2011 के द्वारा विक्रय अनुमति लेकर दिनांक 30.03.2011 को को विक्रय विलेख निष्पादित कर दिया गया है। प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर उक्त भवन श्रीमती चंचला गुप्ता पति श्री मनीष कुमार गुप्ता निवासी- लक्ष्मी नगर पचपेढ़ी नाका, रायपुर तह. व जिला-रायपुर (छ.ग.) के नाम पर नामांतरण किया जाना है।

अतः किसी भी व्यक्ति, शासकीय/ अर्धशासकीय संस्था, निकाय, बैंक अथवा वित्तीय संस्था इत्यादि को उक्त भूखण्ड/ भवन के नामांतरण करने में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो इस कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर लिखित रूप से प्रमाणित दस्तावेज सहित इस आम सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अंदर आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा नियत समयावधि पश्चात आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी।

सम्पदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,
प्रक्षेत्र-05, सेजबहार, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-5, सेजबहार, रायपुर (छ.ग.)
0771-2971574 email ID: eocghbzone5@gmail.com

आम-सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा कालोनी धरमपुरा, जिला रायपुर में निर्मित सामान्य आवास योजनांतर्गत ईडब्ल्यूएस ब्लाक-33/फ्लैट क्र.08/प्रथम तल, श्री दीपक कुमार चौहान पिता श्री रामखिलावन चौहान के नाम पर इस कार्यालय में आबंटन आदेश क्र. 4948 दिनांक 01.07.2011 के माध्यम से वित्तीय आधार पर आबंटित है। आबंटी द्वारा उक्त भवन का पूर्ण मूल्य जमा कर दिनांक 17.07.2013 को लीजडीड निष्पादित करा लिया गया है। वर्तमान में आबंटी श्री दीपक कुमार चौहान पिता श्री रामलिखावन चौहान पता- ग्राम-साराडीह, महासमुंद (छ.ग.) के द्वारा उक्त भवन को क्रेता श्री राजाराम साहू पिता श्री नारदराम साहू पता- ग्राम-साराडीह, महासमुंद (छ.ग.) के नाम पर विक्रय अनुमति हेतु आवेदन पत्र, विक्रय इकरारनामा एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर उक्त भवन को क्रेता श्री राजाराम साहू पिता श्री नारदराम साहू पता- ग्राम-साराडीह, महासमुंद (छ.ग.) के नाम पर विक्रय हेतु अनुमति प्रदान किया जाना है।

अतः उक्त भूखण्ड/भवन को विक्रय करने की अनुमति प्रदान किए जाने पर किसी भी व्यक्ति, शासकीय/ अर्धशासकीय संस्था, निकाय, बैंक अथवा वित्तीय संस्था इत्यादि को किसी भीप्रकार की कोई आपत्ति हो तो इस कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर लिखित रूप से प्रमाणित दस्तावेज सहित इस आम सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अंदर आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा नियत समयावधि पश्चात आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी।

सम्पदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,
प्रक्षेत्र-05, सेजबहार, रायपुर (छ.ग.)

समक्ष न्यायालय तहसीलदार
तिल्दा-नेवरा, जिला रायपुर (छ.ग.)
रा.मा.क्र./2019-20
ग्राम- ओटगन, प.ह.नं. 07

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक मयंकधर दीवान भूतपूर्व सैनिक ग्राम ओटगन के द्वारा ग्राम ओटगन प.ह.नं. 07 रा.नि.मं. व तहसील तिल्दा-नेवरा जिला रायपुर छ.ग. में स्थित भूमि जिसका खसरा क्रमांक क्रमशः 582, 583, 584 का कुल रकबा 7.990 हेक्टेयर में से 10 एकड़ भूमि आबंटित करने हेतु आवेदक के द्वारा माननीय न्यायालय अपर कलेक्टर रायपुर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसे जांच एवं प्रतिवेदन हेतु प्रकरण को तहसीलदार तिल्दा-नेवरा को प्रेषित है जिस संबंध में तहसील कार्यालय के द्वारा आवेदित भूमि के संबंध में जांच हेतु प्रकरण को नियत किया जाकर आवेदित खसरा नंबर की भूमि को आवेदक को प्रदान किए जाने पर किसी भी व्यक्ति/ संस्था को किसी भी प्रकार की आपत्ति दावा हो तो पेशी दिनांक 31/07/2020 तक स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से पेश कर सकते हैं। पेशी तारीख के बाद प्राप्त आपत्ति दावा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की सील मुहर से आज दिनांक 14/7/2020 को जारी किया गया।

सील
तहसीलदार
तिल्दा-नेवरा

कार्यालय, नगर पालिक निगम
जोन क्र. 7, रायपुर
मंगलम काम्पलेक्स, अग्रसेन चौक के पास, रायपुर (छ.ग.)

//ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना //

नामांतरण प्र.क्र. 41/2020-2021
वार्ड का नाम- स्वामी आत्मानंद- 39

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि स्वामी आत्मानंद वार्ड स्थित मकान/ भूमि/ 39/519 समता कालोनी जो कि निगम अभिलेख में श्री महेश सोनी पिता गोविंदलाल सोनी के नाम से दर्ज है, जिसको श्री/श्रीमती दिनेश कुमार सोनी पिता स्व. गोविंदलाल सोनी ने मृत्यु प्रमाणपत्र/ सहमति पत्र/ शपथ पत्र/ रजिस्ट्री के अनुसार/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर दस्तावेजों के साथ प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/आपत्ति प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा/ आपत्ति पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी, जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

सूचना जाने। जोन कमिश्नर
जोन क्र.-07
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, नगर पालिक निगम
जोन क्र. 7, रायपुर
मंगलम काम्पलेक्स, अग्रसेन चौक के पास, रायपुर (छ.ग.)

//ईश्तहार/आधिपत्य हस्तांतरण की सूचना //

नामांतरण प्र.क्र. 42/2020-2021
वार्ड का नाम- स्वामी आत्मानंद- 39

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि स्वामी आत्मानंद वार्ड स्थित मकान/ भूमि/ 39/1293 गीता नगर जो कि निगम अभिलेख में श्री उदेय राम पिता केशोराम अग्रवाल, कमला देवी पति उदेयराम, मोहनलाल पिता उदेयराम अग्रवाल के नाम से दर्ज है, जिसको श्रीमती मंजू अग्रवाल पति संतोष अग्रवाल ने मृत्यु प्रमाणपत्र/ सहमति पत्र/ शपथ पत्र/ रजिस्ट्री के अनुसार/ वंशानुक्रम/ अन्य अभिलेख द्वारा प्राप्त कर नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 167 के तहत नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। यदि कोई व्यक्ति/ संस्था उपरोक्त स्वामित्व परिवर्तन में हक या दावा रखते हैं, तो इस प्रकाशन के 30 दिन के भीतर दस्तावेजों के साथ प्रकरण क्रमांक सहित लिखित में अपना दावा/आपत्ति प्रस्तुत करें। निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त दावा/ आपत्ति पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जावेगी, जिसके लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

सूचना जाने। जोन कमिश्नर
जोन क्र.-07
नगर पालिक निगम, रायपुर (छ.ग.)

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व संपादक यशवंत धोटे* द्वारा बंसल स्कूल कैम्पस, अशोक विहार कॉलोनी, पण्डरी से मुद्रित कर ब्रिस्टल चौक छोटापारा रायपुर से प्रकाशित,
फोन व फैक्स : 0771-4035602, RNI NO.CHHHIN/2012/41806/ email: navpradesh@gmail.com,डाक पंजीयन क्रमांक सी.जी./आर.वाई.पी. डीएन/40/2019-2021

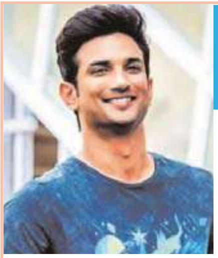

सुशांत सिंह राजपूत केस ने लिया नया मोड़

डॉक्टर्स ने बताया किस बीमारी से जूझ रहे थे

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत रोज नए मोड़ ले रही है। हाल ही में मुंबई पुलिस ने तीन मनोचिकित्सकों और एक मनोवैज्ञानिक का बयान दर्ज किया है। मुंबई पुलिस के मुताबिक सुशांत सिंह नवंबर 2019 के बाद से डॉक्टर्स के टच में थे। डिप्रेशन का ट्रीटमेंट ले रहे थे। सूत्रों के मुताबिक एक्टर बाइपोलर डिसऑर्डर से भी जूझ रहे थे। एक मनोचिकित्सक के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत का जीवन काफी स्ट्रेस में बीत रहा था। स्ट्रेस की आखिर वजह क्या रही, इसका जवाब कोई भी डॉक्टर नहीं दे पाया। आपको बता दें कि बाइपोलर डिसऑर्डर से जब कोई व्यक्ति ग्रसित होता है तो उसके व्यवहार में तेजी से बदलाव आते हैं। वह डिप्रेशन की ओर तेजी से बढ़ने लगता है। वह करियर से जुड़े डिसिजन नहीं ले पाता है। सुशांत सिंह राजपूत को अपने डॉक्टर्स पर भी विश्वास नहीं था। वह दो से तीन बार एक डॉक्टर से मिलते थे और फिर एक नए डॉक्टर के पास अपना रुख कर लेते थे। आखिरी बार उन्होंने जिस डॉक्टर से अपना इलाज करवाया था वह उन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट दे रहे थे। सुशांत सिंह का इलाज कर रहे लगभग सभी डॉक्टर्स का कहना है कि एक्टर सही समय पर अपनी दवाइयां नहीं ले रहे थे।

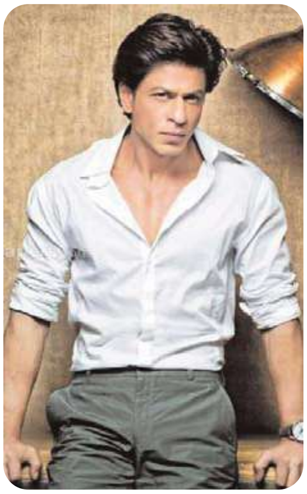

शाहरुख के साथ फिर जोड़ी जमायेगी दीपिका!

मुंबई (वार्ता)। बॉलीवुड की डिंपल गर्ल दीपिका पादुकोण और किंग खान शाहरूख खान की सुपरहिट जोड़ी एक बार फिर सिल्वर स्क्रीन पर साथ नजर आ सकती है। दीपिका ने अपनी डेब्यू फिल्म 'ओम शांति ओम' शाहरूख खान के साथ की थी। इस फिल्म में न केवल दीपिका की एक्टिंग को पसंद किया गया, बल्कि लोग उनकी खूबसूरती के भी दीवाने हो गए। शाहरुख और उनकी जोड़ी को भी खूब सराहा गया। इस फिल्म के बाद दीपिका ने शाहरुख के साथ 'चेन्नई एक्सप्रेस' और 'हैप्पी न्यू ईयर' में काम किया।

बॉलीवुड में चर्चा है कि दीपिका पादुकोण, यशराज़ बैनर तले बनने वाली एक फिल्म में नज़र आ सकती हैं। हालांकि, अभी दीपिका ने फिल्म साइन नहीं की है, लेकिन उन्हें स्क्रिप्ट पसंद आ गई है। यदि दीपिका इस फिल्म को साइन करती हैं तो इस फिल्म में वो शाहरुख ख़ान के अपोज़िट नज़र आ सकती हैं।

निजी जिंदगी में बेहद संवेदनशील इंसान थे मुकेश

मुंबई (वार्ता)। दर्द भरे नगमों के बेताज बादशाह मुकेश के गाये गीतों में न सिर्फ संवेदनशीलता दिखाई देती है बल्कि निजी जिंदगी में भी वह बेहद संवेदनशील इंसान थे जो दूसरों के दुख-दर्द को अपना समझकर उसे दूर करने का प्रयास करते थे।

एक बार एक लड़की बीमार हो गई। लड़की ने अपनी मां से ख्वाहिश जाहिर कि यदि मुकेश उन्हें कोई गाना गाकर सुनाएं तो वह ठीक हो सकती है। मां ने जवाब दिया कि मुकेश बहुत बड़े गायक हैं, भला उनके पास तुम्हारे लिए कहां समय है। यदि वह आते भी हैं तो इसके लिए काफी रुपये लेंगे। तब उसके डॉक्टर ने मुकेश को उस लड़की की बीमारी के बारे में बताया। मुकेश तुरंत लड़की से मिलने अस्पताल गए और उसके गाना गाकर सुनाया और इसके लिए उन्होंने कोई रुपया नहीं लिया। लड़की को खुश देखकर मुकेश ने कहा.. यह लड़की जितनी खुश है..उससे ज्यादा खुशी मुझे मिली है। मुकेश चंद माथुर का जन्म 22 जुलाई 1923 को दिल्ली में हुआ था । उनके पिता लाला जोरावर चंद माथुर एक इंजीनियर थे और वह चाहते थे कि मुकेश उनके नक्शे कदम पर चलें, लेकिन वह अपने जमाने के प्रसिद्ध गायक अभिनेता कुंदनलाल सहगल के प्रशंसक थे और उन्हीं की तरह गायक अभिनेता बनने का ख्वाब देखा करते थे। मुकेश ने दसवीं तक पढ़ाई करने के बाद स्कूल छोड़ दिया और दिल्ली लोक निर्माण विभाग में सहायक सर्वेयर की नौकरी कर ली। जहां उन्होंने सात महीने तक काम किया।

अनुराग कश्यप ने कंगना रनौत को किया टारगेट

नई दिल्ली। कंगना रनौत पिछले कुछ दिनों से अपने बयानों को लेकर काफी सुर्खियों में हैं। उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान बॉलीवुड के कई लोगों पर निशाना साधा है। कंगना के इन बयानों पर अनुराग कश्यप ने लगातार कई ट्वीट किए और कहा, 'कल कंगना का इंटरव्यू देखा। एक समय में वह मेरी बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी। मेरी हर फिल्म पर आकर मेरा हौसला भी बढ़ाती थी, लेकिन इस नई कंगना को मैं नहीं जानता और अभी उसका यह डरावना इंटरव्यू भी देखास जो मणिकर्णिका की रिलीज के बिल्कुल बाद का है।' अनुराग के कमेंट्स पर कंगना की टीम के ट्विटर अकाउंट से कमेंट आया। उन्होंने ट्वीट किया, 'ये हैं मिनी महेश भट्ट जो कंगना को बिल्कुल अकेली और नकली लोगों से घिरी हुई बता रहे हैं जो उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। देशद्रोही, शहरी नक्सली जिस तरह से आतंकवादियों की रक्षा करते हैं, अब फिल्म माफिया की रक्षा कर रहे हैं।' उन्होंने फिर ट्वीट किया, 'खून पीने वाले टेररिज्म को प्रमोट करने वाले अर्बन नक्सल्स और एंटी नेशनल आज पूरी तैयारी के साथ आए हैं। वह एक अकेली योद्धा के खिलाफखड़े हैं और उन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने सुशांत को मानसिक और भावनातमक तौर पर आहत किया।

बता दें कि इससे पहले अनुराग ने नेपोटिज्म को लेकर ट्वीट किया था, 'मित्रों...गजब डिबेट चल रही है। फिल्मों में सिर्फएक्टर्स नहीं होते। एक फिल्म के सेट ओर कम से कम डेढ़ सौ लोग काम करते हैं। अंदर वाले या बाहर वाले जिस दिन सेट पर काम करने वाले असिस्टेंट्स, वर्कर्स, स्पॉटबॉय और बाकी सब इंसानों को इज्जत देना सीख जाएंगे तब उनसे बात की जा सकती है।

स्टोक्स बने दुनिया के नंबर एक टेस्ट ऑलराउंडर

दुबई (वार्ता)। वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत इंग्लैंड के बेन स्टोक्स विंडीज के कप्तान जैसन होल्डर को पछाड़कर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की जारी ताजा टेस्ट रैंकिंग में दुनिया के नंबर एक ऑलराउंडर बन गए हैं।

स्टोक्स ने वेस्टइंडीज के खिलाफ मैनचेस्टर में खेले गए तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरे मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन किया था जिसकी बदौलत इंग्लैंड ने इस मुकाबले में विंडीज को 113 रनों से हराकर सीरीज 1-1 से बराबर कर ली थी। स्टोक्स ने दूसरे टेस्ट की पहली पारी में 176 रन की शतकीय पारी तथा दूसरी पारी में नाबाद 78 रन बनाए थे जबकि मैच में तीन विकेट भी झटके थे। स्टोक्स आईसीसी की ताजा टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में 497 अंकों के साथ दूसरे स्थान से पहले नंबर पर पहुंच गए हैं। उन्होंने होल्डर को पछाड़ शीर्ष स्थान हासिल किया है। होल्डर पिछले 18 महीने से टेस्ट में नंबर एक ऑलराउंडर थे।

स्टोक्स 2006 में इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर एंड्रयू फ्लिंटॉफके बाद आईसीसी रैंकिंग में टॉप करने वाले पहले इंग्लिश खिलाड़ी बने हैं। उन्होंने दूसरे स्थान पर खिसके होल्डर पर 38 रनों की बढ़त बना ली है। विंडीज के कप्तान होल्डर एक स्थान लुढ़कर 459 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर खिसक गए हैं। होल्डर ने दूसरे टेस्ट की पहली पारी में 32 रन देकर एक विकेट लिया था जबकि वह दूसरी पारी में 33 रन देकर एक भी विकेट नहीं ले सके थे। स्टोक्स के अलावा ऑलराउंडर रैंकिंग में इंग्लैंड के क्रिस वोक्स को भी फायदा मिला है। वह अब 211 अंकों के साथ नौवें स्थान पर पहुंच गए हैं। स्टोक्स को ऑलराउंडर रैंकिंग के अलावा बल्लेबाजी रैंकिंग में भी फायदा हुआ है और वह ऑस्ट्रेलिया के स्टीवन स्मिथ और भारतीय कप्तान विराट कोहली के बाद 827 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर आ गए हैं। बल्लेबाजी रैंकिंग में स्मिथ 911 अंक के साथ पहले और विराट 886 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर कायम हैं। बल्लेबाजी रैंकिंग में इंग्लैंड के कप्तान जो रुट 738 अंकों के साथ नौवे स्थान पर हैं जबकि विंडीज के खिलाफदूसरे टेस्ट की पहली पारी में शतक जड़ने वाले बल्लेबाज डोमिनिक सिब्ली 575

स्टोक्स और ब्रॉड के दम पर जीता इंग्लैंड, सीरीज में बराबरी

मैनचेस्टर (वार्ता)। विश्व के नंबर दो आलराउंडर बेन स्टोक्स के जबरदस्त हरफनमौला प्रदर्शन (176 और नाबाद 78 तथा कुल तीन विकेट) और तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड की शानदार गेंदबाजी (कुल छह विकेट) के दम पर इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज को दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के पांचवें और अंतिम दिन सोमवार को 113 रन से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी हासिल कर ली। इंग्लैंड ने आज अपनी दूसरी पारी तीन विकेट पर 129 रन पर घोषित कर वेस्ट इंडीज के सामने 312 रन का मुश्किल लक्ष्य रखा जिसका पीछा करते हुए विंडीज की टीम लंच तक अपने तीन विकेट मात्र 25 रन पर गंवाने के बाद संभल नहीं पायी और अंतिम सत्र में 198 रन पर ढेर हो गयी। स्टोक्स को उनके मैच विजयी प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी नौ विकेट पर 469 रन पर घोषित की थी।

टेबल टेनिस महासंघ ने अगस्त के अंत तक सभी टूर्नामेंट किये रद्द

सिंगापुर (वार्ता)। अंतराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ (आईटीटीएफ) की कार्य समिति ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण आईटीटीएफ के सभी कार्यक्रमों और टूर्नामेंटों को अगस्त के अंत तक स्थगित कर दिया है। इस निर्णय के साथ 25 से 30 अगस्त के बीच आयोजित होने वाला आईटीटीएफ विश्व टूर चेक ओपन भी रद्द हो गया है। आईटीएफ्फ्फ और चेक टेनिस संघ ने कहा है कि प्रतिभागियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा तथा यात्रा प्रतिबंध और संभावित जोखिमों के बीच इस टूर्नामेंट को आयोजित करना असंभव है।आईटीटीएफ समिति ने यह भी कहा कि पहले से स्थगित हांगकांग ओपन भी आयोजित नहीं किया जाएगा जो इस वर्ष पांच से दस मई के बीच आयोजित होना था। आईटीटीएफ और हांगकांग टेबल टेनिस समिति इस टूर्नामेंट को आयोजित करने के लिए हालांकि उचित तारीख तय करने के लिए एक साथ विचार कर रहे थे लेकिन पूरे विश्व में जारी यात्रा प्रतिबंधों के कारण इस वर्ष कोई भी तिथि नहीं सूझने के बाद इस टूर्नामेंट को रद्द कर दिया गया है।

टी-20 विश्वकप पर स्थिति स्पष्ट करने का स्वागत करते हैं: ऑस्ट्रेलिया

मेलबोर्न (वार्ता)। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के इस साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टी-20 विश्वकप को कोरोना वायरस के कारण स्थगित करने के फैसले का समर्थन करते हुए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) ने कहा है कि टूर्नामेंट पर स्थिति स्पष्ट करने का बोर्ड स्वागत करता है। आईसीसी ने सोमवार को इस साल होने वाले टी-20 विश्वकप को स्थगित करने का फैसला किया था। यह टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया में 18 अक्टूबर से 15 नवम्बर तक होना था। बोर्ड तीन पुरुष टूर्नामेंटों की विंडो के लिए सहमत हो गया था जिसमें अक्टूबर-नवम्बर 2021 और अक्टूबर-नवम्बर 2022 में टी-20 विश्व कप तथा अक्टूबर-नवम्बर 2023 में वनडे विश्व कप शामिल है। आईसीसी ने हालांकी यह घोषणा नहीं की थी कि दो टी-20 विश्व कप कहां होंगे।

अंशकालिक प्रशिक्षकों को मिले गुजारा भत्ता: पाण्डेय

लखनऊ (वार्ता)। उत्तर प्रदेश ओलंपिक एसोसियेशन ने कोरोना महामारी के चलते खेल गतिविधियों में लगी रोक से मुश्किल में आये 450 अंशकालिक मानदेय खेल प्रशिक्षकों को पांच हजार रूपये प्रति माह गुजारा भत्ता देने की मांग की है। एसोसियेशन के महासचिव आनंदेश्वर पांडेय ने सोमवार को कहा कि कोरोना वायरस महामारी के चलते खेल गतिविधियों पर गत मार्च माह से ही रोक लगी है।

टी-20 विश्व कप स्थगित, आईपीएल की संभावना बनी

दुबई (वार्ता)। ऑस्ट्रेलिया में इस साल अक्टूबर-नवम्बर में होने वाला टी-20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट वैश्विक महामारी बन चुके कोरोना वायरस के कारण स्थगित कर दिया गया है। विश्व कप के स्थगित होने से इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के 13वें संस्करण के आयोजन की संभावना बन गयी है।

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के बोर्ड ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये यह फैसला किया। कोरोना के कारण दुनिया भर में क्रिकेट प्रभावित है और इस समय इंग्लैंड में इंग्लैंड तथा वेस्ट इंडीज के बीच दर्शकों के बिना टेस्ट सीरीज चल रही है। आईसीसी बोर्ड ने टी-20 विश्व कप को एक साल के लिए स्थगित किया है। यह टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया में 18 अक्टूबर से 15 नवम्बर तक होना था। लेकिन कोरोना के कारण पिछले कुछ महीनों से विश्व कप पर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे थे। पिछले महीने आईसीसी बोर्ड ने विश्व कप पर फैसला जुलाई की अपनी बैठक पर टाल दिया था।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को इस साल आईपीएल के आयोजन के लिए विश्व कप पर आईसीसी के फैसले का इन्तजार था। आईपीएल का 29 मार्च से आयोजन होना था लेकिन कोरोना के कारण इसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। समझा जाता है कि आईपीएल का पूरा 13वां संस्करण संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में हो सकता है और बीसीसीआई ने इसके लिए 26 सितम्बर से सात नवम्बर तक की गैर आधिकारिक विंडो तय की है। माना जाता है कि बीसीसीआई ने भारत सरकार को पत्र लिखकर टूर्नामेंट को यूएई में कराने की अनुमति मांगी है। बोर्ड ने साथ ही टीमों के खिलाड़ियों और अधिकारियों की यात्रा के लिए आवश्यक अनुमति भी मांगी है। आईसीसी बोर्ड तीन पुरुष टूर्नामेंटों की विंडो के लिए सहमत हो गया है जिसमें अक्टूबर-नवम्बर 2021 और अक्टूबर-नवम्बर 2022 में टी-20 विश्व कप तथा अक्टूबर-नवम्बर 2023 में वनडे विश्व कप शामिल है। आईसीसी ने यह घोषणा नहीं की है कि दो टी-20 विश्व कप कहां होंगे और इन दो विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच मेजबानी क्रम क्या होगा। मूल कार्यक्रम के अनुसार भारत को 2021 में टी-20 विश्व कप और 2023 में वनडे विश्व कप की मेजबानी करनी है। आईसीसी के फैसले से 2023 का वनडे विश्व कप फरवरी मार्च से आगे बढ़ाकर अक्टूबर-नवम्बर पहुंचा दिया गया है।

टीम जो मुझसे बोलेगी मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं

मैनचेस्टर (वार्ता)। वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में शानदार प्रदर्शन करने वाले इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स का कहना है कि टीम जो भी उनसे बोलेगी वह वैसा करने के लिए तैयार हैं। स्टोक्स ने विंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट की पहली पारी में 176 और दूसरी पारी में नाबाद 78 रन बनाए जबकि तीन विकेट भी झटके। उन्हें उनके ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया।

यह पूछे जाने पर की क्या उनकी टीम उनसे गेंदबाजी में ज्यादा की उम्मीद करती है। इस पर स्टोक्स ने कहा, ÷ऐसा नहीं है। लेकिन टीम मुझसे जो चाहेगी वो मैं देने के लिए तैयार हूं। हमने अपने आक्रमण में हालात को देखते हुए बदलाव किए हैं, अगर स्थिति थोड़ी कठिन होती है तो हम उस हिसाब से गेंदबाजी करते हैं और फील्डिंग आक्रामक रुप से करते हैं। उन्होंने कहा, ÷इससे सिर्फ हमें विकेट लेने के अवसर ही नहीं मिलते बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ता है क्योंकि हमें लगता है कि उस दौरान बल्लेबाज के पास ज्यादा मौके नहीं होते हैं।

■ न्यूज गैलरी

गोधन न्याय योजना मुख्यमंत्री की दूरगामी सोच: लालबहादुर

कवर्धा-(नवप्रदेश)। मुख्यमंत्री के आवाहन पर हरेली के पावन पर्व में कवर्धा जिले के ग्राम पंचायत कान्हा भैरा में गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि लाल बहादुर चंद्रवंशी प्रदेश उपाध्यक्ष किसान कांग्रेस एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता महेंद्र साहू वरिष्ठ कांग्रेसी तथा विशिष्ट अतिथि के रुप में अशोक चंद्रवंशी. घनशयाम चंद्रवंशी सरपंच ग्राम पंचायत लालपुर .किरण शर्मा .कांग्रेसी नेता चेतन .जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा ग्रामीण जन बड़ी संख्या उपस्थित हुए । कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि के द्वारा विधिवत पूजा अर्चना कर कीया गया। वही मुख्य अतिथि लाल बहादुर सिंह ने सभी लोगों को हरेली पर्व की बधाई दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने जो वादा किया है उसे वे पूरा भी करते आ रहे हैं किसानों से किए गए वादे के अनुसार 25 सो रुपए में धान खरीदी किया गया । वही किसानों के कर्ज माफभी कर दिया गया है । श्री चंद्रवंशी ने गोधन न्याय योजना को कल्याणकारी योजना बताते हुए कहाँ की गोबर को सरकार प्रति किलो 2 रुपए की दर से खरीदी करेगी । उत्पाद का बर्मी कंपोसट खाद तैयार कर सहकारी सोसायटी के माध्यम से किसानो 8 रुपए प्रति किलो के दर से उपलब्ध कराएगी इससे किसानो को दोहरा लाभ होगा जैविक खेती करने से किसानी को खाद उर्वरक का खपत कम आएगा । कम लागत मे ही खेती होगी किसानों की आमदानी बढ़ेगी। इसी तरहा कार्यक्रम को सभी अतिथियों ने भी सम्बोधित किया

गौठान निर्माण के लिए किया गया भूमि पूजन

कवर्धा-(नवप्रदेश)। 'पंडरिया' हरियाली अमावस्या के पावन अवसर पर ग्राम पंचायत पंवरजली में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष एवं जिला पंचायत सदस्य रामकुमार भट्ट ,पूर्व विधायक पंडरिया मोतीराम चंद्रवंशी, जनपद अध्यक्ष समुद बाई कुर्रे ने गोठान निर्माण हेतु भूमि पूजन किया । इसके साथ ही ग्राम पंचायत भवन में विभिन्न प्रजाति के पौधे रोपित किये गये । पंडरिया विधान सभा के पूर्व विधायक एवं जिला पंचायत सदस्य को अपने बीच पाकर ग्राम पंवरजली के ग्रामीण जन जोश और उत्साह के साथ स्वागत किये ।उपस्थित अतिथियो ने ग्राम वासियों को छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार हरियाली अमावस्या की हार्दिक शुभकामनायें देते हुए कहा कि ग्राम पंचायत के पंच सरपंच एकजुटता एवं परस्पर मेल जोल के साथ ग्राम विकास में अपना योगदान देकर अपने पंचायत का विकास करें व अपने पंचायत ससक्त व मजबूत बनाएँ इस हेतु हमारी शुभकामनायें हैं । ग्राम पंचायत पंवरजली के गौठान निर्माण भूमिपूजन एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम में मुकेश ठाकुर मण्डल अध्यक्ष कुण्डा, हरेन्द्र सिंह राजपूत सरपंच पंवरजली, अस्वनी यदु जनपद सदस्य, सवाना बाई उप सरपंच, पंच राजेश सिंह, पुक्कल सिंह, संतोष सिंह, राजू सिंह ठाकुर, दिलीप सिंह, मान सिंह ठाकुर, जनक, मोती, गजजू सिंह, गणेश, लालू, संतोष, संजय राजपूत, कालेश्वर सिंह, जनार्दन साहू, सुरेश सिंह, नन्द राम अनिल राजपूत सहित अनेक ग्रामीण जन उपस्थित थे ।

घायल युवक को 1 लाख लौटाकर 108 के ईएमटी और पायलट ने पेश की ईमानदारी की मिसाल

कवर्धा-(नवप्रदेश)। 108 संजीवनी एक्सप्रेस के ईएमटी सतेंद्र कुमार और पायलट विदेशी निषाद ने सड़क दुर्घटना में गम्भीर रूप से घायल युवक की 1 लाख रुपये की राशि परिजनों को सौंप कर ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा की मिसाल कायम की है। मिली जानकारी के अनुसार बीते सोमवार की रात 8. 30 बजे 27 वर्षीय युवक गोकुल मानिकपुरी किसी काम से जैतपुरी से कवर्धा की तरफ आ रहा था। इसी दौरान उसका बाइक से नियंत्रण खो गया और वह पूल के नीचे गिर गया। बेहोशी की हालत में पड़े गोकुल को देखकर राह चलते लोगों ने 108 को फोन लगाकर इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही तत्काल ईएमटी सतेंद्र कुमार और पायलट विदेशी निषाद घटना स्थल पहुंचे। देखा की गोकुल बेहोशी की हालत में है और उन्हें सिर पर गंभीर चोट आई है। घायल गोकुल को हॉस्पिटल ले जाने के लिए एम्बुलेंस में शिफ्ट करने के दौरान उनकी जेब में रखे 1 लाख नीचे जमीन पर गिर गया। एम्बुलेंस कर्मियों ने पैसे को अपने पास सुरक्षित रखकर घायल युवक को प्राथमिक इलाज कर उसे जिला हॉस्पिटल कवर्धा में एडमिट कराया। इसके पश्चात थाना सिटी कोतवाली में थाना प्रभारी मुकेश सोम की मौजूदगी में 108 की टीम ने रकम परिजनों को सौंप दिए।

गिरफ्तार आरोपियों ने कबूला कवर्धा बोड़ला तथा बेमेतरा में की चोरी

आरोपियों से चांदी के जेवर, मोटर सायकल, फ्रीज सहित अन्य समान जब्त

नव प्रदेश संवाददाता

कवर्धा। कवर्धा . बोडला तथा बेमेतरा जिले में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले चार आरोपी पकड़े गए हैं । इन आरोपियों के पास से चांदी के जेवर. मोटर साइकिल . फ्रिज सहित अन्य सामान बरामद भी किया जा चुका है। चिल्फी क्षेत्र के ग्राम बेंदा तथा लूप में भी इन चोरों ने मकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया था जिसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई थी आरोपियों को पकड़ने सटीक योजना तैयार की गई और इन आरोपियों को पकड़ने में कबीरधाम जिले के संयुक्त टीम को सफलता भी मिली है । ज्ञात हो कि चिल्फी के ग्राम बेंदा एवं ग्राम लूप में चोरी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर तत्काल थाना प्रभारी चिल्फी निरीक्षक रमाकांत तिवारी द्वारा हमराह स्टाफ के मौके पर रवाना हुये तथा यथास्थिति से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। पुलिस अधीक्षक एवं अनुविभागीय अधिकारी बोड़ला द्वारा घटनास्थल का बारिकी से निरीक्षण करने एवं अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करने हरसंभव प्रयास किये जाने निर्देशित किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों से प्राप्त निर्देशानुसार थाना चिल्फी में अपराध क्रमांक अपराध क्रमांक 29/20 धारा 454,380 भादवि एवं अपराध क्रमांक 30/20 धारा 454,380 भादवि कायम कर थाना चिल्फी से विशेष टीम गठित कर अज्ञात आरोपियों की पतासाजी के लिए आसपास के क्षेत्र में रवाना किया गया। इसी दौरान मुखबीर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम सिल्हाटी निवासी शुभम् शर्मा, नरेन्द्र साहू, संजू साहू, दुर्गेश शर्मा को घटनास्थल के आसपास संदिग्ध अवस्था में घुमते हुए देखा गया है, कि उक्त सूचना की तस्दीकी कर ग्राम सिल्हाटी निवासी शुभम् शर्मा, नरेन्द्र साहू, संजू साहू, दुर्गेश शर्मा को तलब कर पुछताछ किया गया। जिन्होने एक साथ मिलकर सुने मकान में चोरी करना स्वीकार किया तथा चोरी गये मशरूका को आपस में बांट लेना बताया गया। आरोपियों से जिले में घटित अन्य चोरी की घटनाओं के संबंध में पुछताछ के दौरान अन्य 10 स्थानों से चोरी करना बताया गया।

ये है आरोपियों के नाम

शुभम शर्मा पिता लालू प्रसाद शर्मा उम्र 20 वर्ष साकिन ग्राम सिल्हाटी थाना बोड़ला
नरेन्द्र साहू पिता लालचंद साहू उम्र 30 वर्ष साकिन ग्राम सिल्हाटी थाना बोड़ला
संजू साहू पिता महेन्द्र साहू उम्र 19 वर्ष साकिन ग्राम सिल्हाटी थाना बोड़ला
दुर्गेश शर्मा पिता रामकुमार शर्मा उम्र 28 वर्ष साकिन ग्राम सिल्हाटी थाना बोड़ला

ये सामान जब्त

आरोपियों से 2 किलो 308 ग्राम चांदी कीमती करीब 1.50 लाख रू. एवं 01 नग स्कूटी मेस्ट्रो वाहन, 1 नग एचएफडिलक्स मोटर सायकल, 2 नग स्पेलेंडर बाइक, 1 नग टीव्हीएस विक्टर, 1 नग एलजी कंपनी का फ्रीज, 1 नग विडियोकान कपंनी का फ्रीज कुल कीमती 3.15 लाख कुल जुमला कीमती 4.65 लाख रू. को जप्त किया गया है।

विशेष टीम का सराहनीय कार्य

संपूर्ण कार्यवाही पुलिस अधीक्षक कबीरधाम, अनिल कुमार सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कबीरधाम, अजीत ओगरे पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बोड़ला के मार्ग निर्देशन में निरीक्षक रमाकांत तिवारी थाना प्रभारी चिल्फी एवं उप निरीक्षक बृजेश सिन्हा चैकी प्रभारी पोड़ी तथा चिल्फी एवं पुलिस चैकी पोड़ी से गठित विशेष टीम द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है।

राज इंपीरियल होटल से जुआरी गिरफ्तार

जुआरी गिरफ्तार 12 मोबाइल, गाड़ियां जप्त

नव प्रदेश संवाददाता

राजनांदगांव। पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला के मार्गदर्शन सीएसपी मणिशंकर चंद्रा के निर्देशन में थाना प्रभारी प्रशिक्षु डीएसपी रूचि वर्मा, थाना प्रभारी लालबाग मोनिका पांडे के द्वारा मुखबिर की सूचना पर राजनांदगांव के नामी थ्री स्टार होटल राज इंपिरियल में 52 परी के शौकीनों को जुआ खेलते रंगे हाथ पकड़ा गया। जुआरियों के पास से लगभग 700000 रूपये एवं 12 नग मोबाइल जप्त किए गए। सीएसपी मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि थ्री स्टार होटल राज इंपिरियल में मुखबिर की सूचना पर छापा डाला गया जिसमें शहर के नामी-गिरामी जुआरियों को जुआ खेलते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। शहर के रेवाडीह के पास स्थित राज इंपीरियल होटल में लालबाग पुलिस ने जुआरियों को गिरफ्तार किया है। यहां से जुआरियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 6 लाख 49 हजार 670 रुपए की रकम और मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं।

लालबाग पुलिस ने जुआं की फड़ जमने की शिकायत के बाद यहां दबिश दी। प्रशिक्षु डीएसपी रूचि वर्मा ने बताया कि पुलिस टीम जब वहां पहुंची तो होटल का द्वार बाहर से बंद था। भीतर जाने पर अंदर एक कमरे में जुआरी पकड़ में आए। करीब 13 जुआरी से लगभग 7 लाख रुपए नगद बरामद किए गए हैं।

राज इंपीरियल होटल में जुआ खेलते पकड़ाए जुआरियों में दीपेश कुमार पटेल पिता स्व. एमएल पटेल उम्र 43 वर्ष निवासी सिंधी कालोनी लालबाग, मुकेश जैन पिता नागेश जैन उम्र 32 वर्ष निवासी सोमनी, फिरोज मेमन पिता स्व. जमाल मेमन उम्र 44 वर्ष निवासी लखोली, संजय कुमार जगवानी पिता नानकराम जगवानी उम्र 47 वर्ष निवासी सिंधी कालोनी लालबाग, दामोदर दास पिता सीताराम दास उम्र 48 वर्ष निवासी रामाधीन मार्ग, अरविंदर सिंह पिता हरविंदर सिंह उम्र 48 वर्ष निवासी कमला कालेज रोड, दीपक पटेल पिता डीएल पटेल उम्र 46 वर्ष निवासी बसंतपुर, पवन कुमार सोनी पिता स्व. रामगोपाल सोनी उम्र 38 वर्ष निवासी दुर्गा चौक, किसन तराने पिता स्व. टीकाराम राम उम्र 40 वर्ष निवासी भरकापारा, दिनेश तेजवानी पिता स्व. केसी तेजवानी उम्र 40 वर्ष निवासी सिंधी कालोनी लालबाग, अभय झा पिता डीपी झा उम्र 38 वर्ष निवासी बल्देवबाग, सोहन लाल देवांगन पिता जयपाल सिंह देवांगन उम्र 38 वर्ष निवासी मोहारा, दर्पण बुद्धदेव पिता स्व. नाथालाल बुद्धदेव उम्र 42 वर्ष निवासी राजिव नगर ये पकड़ाए हैं।

किसानों को बैटरी स्प्रेयर, जैविक खाद, फलदार पौधे, मक्का चारा बीज का वितरण

राजनांदगांव। हरेली तिहार के अवसर पर ग्राम सलोनी में आयोजित छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना के शुभारंभ अवसर पर कृषि विभाग के स्टाल में किसानों को बैटरी स्प्रेयर एवं जैविक खाद का वितरण किया गया, वही उद्यानिकी विभाग द्वारा पोषण बाड़ी योजना के तहत किसानों को फलदार पौधा वितरित किया गया। पशुपालन विभाग द्वारा किसानों को मक्का चारा बीज उपलब्ध कराया गया। बिहान योजना के अंतर्गत जय मां अम्बे महिला स्वसहायता समूह द्वारा मास्क का स्टॉल भी लगाया गया था।

शहीद सप्ताह मनाने मानपुर इलाके में फेंके नक्सल-परचे

राजनांदगांव। नक्सलियों ने सालाना शहीद सप्ताह मनाने के लिए अंदरूनी इलाकों में अपनी मौजूदगी का अहसास कराते हुए बड़े पैमाने पर नक्सल परचे फेंके हैं। मानपुर के भीतरी गांवों में नक्सलियों ने पाम्प्लेट और बैनर लगाकर लोगों से शहीद सप्ताह मनाने की अपील की है। मिली जानकारी के मुताबिक मानपुर से करीब 2 किमी दूर टांगापानी गांव में बैनर फेंककर लोगों से शहीद सप्ताह के दौरान काम बंद करने की अपील की है। बताया जा रहा है कि 28 जुलाई से 3 अगस्त तक शहीद सप्ताह मनाने के लिए नक्सलियों ने भीतरी गांवों में पाम्प्लेट और बैनर लगाना शुरू कर दिया है। माना जाता है कि शहीद सप्ताह के दौरान नक्सली अपने साथियों की कथित शहादत को लेकर मनाते हैं। इस संबंध में नक्सल आपरेशन एएसपी जीएन बघेल ने बताया कि नक्सलियों द्वारा फेंके गए परचे मिले हैं। जिसमें शहीद सप्ताह मनाने की अपील का उल्लेख है। इधर शहीद सप्ताह के दौरान नक्सल उपद्रव की आशंका के मद्देनजर जिले के सभी नक्सल ग्रस्त थानों को एलर्ट जारी किया गया है। नक्सली शहीदी सप्ताह में हिंसक वारदात को अंजाम देने की फिराज में रहते हैं। पुलिस को नक्सलियों के हिंसक मंसूबों की खुफिया जानकारी मिल रही है।

हरेली तिहार पर छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का स्वाद लिया जनसामान्य ने

राजनांदगांव। हरेली तिहार के अवसर पर ग्राम सलोनी में आयोजित छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना के शुभारंभ अवसर पर बिहान अंतर्गत जय महालक्ष्मी एवं जय मिनीमाता स्व सहायता समूह की महिलाओं का व्यंजन स्टॉल लोगों के आकर्षण का केन्द्र रहा।

जहां छत्तीसगढ़ी व्यंजन फरा, खुरमी, ठेठरी, भजिया, चीला, मालपुआ, गुलगुला भजिया, उड़द बड़ा एवं अन्य स्वादिष्ट व्यंजनों की श्रृंखला थी, जिसका लोगों ने आनंद लिया।

सप्तदिवसीय रूद्राभिषेक, महामृत्युंजय जप यज्ञ होम सम्पन्न

कवर्धा। सर्वभूत हृदय यति चक्रचुड़ापाणि धर्मसम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज (स्वामी श्री हरिहरानन्द सरस्वती जी महाराज) की 113 वाँ प्राकट्य जयन्ती समारोह 22 जुलाई को उत्सव पूर्वक मनाया जावेगा। गोवर्धन मठ पुरी में चातुर्मास समारोह के अंतर्गत 19, 20 व 21 जुलाई को राजधर्म पर विशेष संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। जिसमें देशभर के राजनेता भी अपना भाव व्यक्त करेंगे। पूज्यपाद शंकराचार्य जी के पावन सानिध्य में यह दिव्य कार्यक्रम आयोजित है। इस समारोह का फेसबुक, यूट्यूब द्वारा विडियों कांफ्रेस के माध्यम से लाईव प्रसारण होगा। उक्ताशय की जानकारी देते हुए आचार्य पं. झम्मन शास्त्री जी पीठपरिषद पीठपरिषद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने अधिक से अधिक लोगों को लाभ लेने की अपील की है। आज भोरमदेव में आयोजित सप्त दिवसीय रूद्राभिषेक समारोह महामृत्युंजय जप यज्ञ होम का कार्यक्रम आनंद मय वातावरण में सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर प्रदेश के कई जिलों से तथा कवर्धा जिला भर के शिष्य, भक्तगण पीठपरिषद, आदित्यवाहिनी, आनंदवाहिनी के पदाधिकारी उपस्थित हुए। जिसमें 22 जुलाई को स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की 113 वीं जयंती झिरना (पिपरिया) में आयोजित करने का निर्णय लिया गया।

छत्तीसगढ़ देश में पहला राज्य जहां शासन द्वारा गोबर खरीदकर किया जाएगा जैविक खाद का निर्माण

- ■ मंत्री मोहम्मद अकबर ने ग्राम सलोनी में गोधन न्याय योजना का किया शुभारंभ
- ■ पशुपालक एवं स्व सहायता समूह को मिलेगा आय का साधन

नव प्रदेश संवाददाता

राजनांदगांव। हरेली तिहार के अवसर पर परिवहन, आवास एवं पर्यावरण, वन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग एवं जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर ने राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम सलोनी में किसानों से गोबर खरीदकर गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया और कृषि यंत्रों की पूजा की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वन मंत्री श्री अकबर ने हरेली तिहार की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पूरे देश में छत्तीसगढ़ पहला राज्य है, जहां गोबर खरीदने का निर्णय लेते हुए गोधन न्याय योजना आरंभ की गई है और इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बधाई दी। उन्होंने कहा कि गोबर से वर्मी कम्पोस्ट बनाकर इसका उपयोग जैविक खाद के रूप में खेती-किसानी में किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में 20 हजार गांव है और लगभग 11300 ग्राम पंचायत है, जिनमें 4300 गौठानों का निर्माण होना है। वहीं आज 2785 गौठानों में गोबर खरीदी का कार्य किया जा रहा है। आने वाले समय में यह कार्य विस्तारित रूप लेगा और किसान जैविक खाद खरीद सकेंगे तथा शेष खाद का उपयोग वन विभाग, कृषि विभाग एवं शासन द्वारा किया जाएगा। गोबर एकत्रित करने वाले किसान एवं स्व सहायता समूह को आय का साधन उपलब्ध होगा। इस अवसर पर वन मंत्री श्री अकबर को खुमरी पहनाकर स्वागत किया गया।

वन मंत्री श्री अकबर ने कहा कि शासन द्वारा किसानों के हित में अनेक निर्णय लिए गए हैं। किसानों की कर्ज माफी करने के साथ ही पिछले वर्ष 25 सौ रूपए समर्थन मूल्य में 20 हजार करोड़ रूपए की धान खरीदी की गई। उन्होंने कहा कि केन्द्र शासन द्वारा 18 सौ रूपए समर्थन मूल्य घोषित किए जाने पर राज्य शासन ने राजीव गांधी न्याय योजना के तहत किसानों को अंतर की राशि की पहली किश्त प्रदान की। वही देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के जन्मदिवस के अवसर पर किसानों को दूसरी किश्त की राशि प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बड़ी आबादी लगभग 65 लाख परिवार का राशन कार्ड बन गया है। उन्होंने कहा कि किसानों के सिंचाई कर की माफी शासन की ओर से की गई है। इस अवसर पर उन्होंने गौठान परिसर में पौध रोपण भी किया।

अन्त्यव्यवसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम के चेयरमेन धनेश पाटिला ने कहा कि आज का यह दिन ऐतिहासिक है। इस योजना के तहत सरकार पशुपालकों से दो रूपए प्रतिकिलो की दर से गोबर खरीदेगी और इससे जैविक खाद तैयार किया जाएगा। जैविक खाद के उपयोग से खाद्यन्न उत्पादन में बढ़ोत्तरी होगी, वहीं किसानों एवं स्वसहायता समूहों को भी आर्थिक लाभ मिलेगा। किसानों को उनका हक मिला है और अब गौठान के निर्माण से पशुधन की सुरक्षा भी हो रही है।

लॉकडाउन कलेक्टर एवं एसपी ने जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं चेम्बर ऑफकामर्स के प्रतिनिधियों से की चर्चा

29 जुलाई को रात्रि 12 बजे तक राजनांदगांव का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित

नव प्रदेश संवाददाता

राजनांदगांव। कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा एवं पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जनप्रतिनिधि, अधिकारियों एवं चेम्बर ऑफ कामर्स के प्रतिनिधियों से लॉकडाउन के संबंध में चर्चा की। इस अवसर पर महापौर श्रीमती हेमा देशमुख उपस्थित थी।

कलेक्टर श्री वर्मा ने कहा कि राजनांदगांव जिले में विशेषतः नगर पालिक निगम राजनांदगांव क्षेत्र में प्रतिदिन लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीज चिन्हित किये जा रहे हैं। जिले में अब तक कुल 440 कोरोना पॉजिटिव मरीज की पहचान की गई है और यह संख्या लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईड लाईन अनुसार कोरोना पॉजिटिव

केस पाये जाने वाले क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। इसके बावजूद इन क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इसलिए यह आवश्यक है कि कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाये जाये। ऐसी अपातकालीन परिस्थितियों को देखते हुए कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए नगर पालिक निगम राजनांदगांव के संपूर्ण क्षेत्र को 23 जुलाई से कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। नगर पालिक निगम राजनांदगांव के संपूर्ण क्षेत्र को 23 जुलाई 2020 की मध्य रात्रि 12 बजे से 29 जुलाई 2020 मध्य रात्रि 12 बजे तक लॉकडाउन रहेगा और इस दौरान दैनिक आवश्यकता वस्तुएं एवं इमेरजेंसी मेडिकल सेवा आरंभ रहेगी। दुकाने प्रातः 6 बजे से प्रातः 10 बजे तक खुली रहेंगी। आगामी त्यौहार गणेश चतुर्थी, स्वतंत्रता दिवस के लिए अलग से दिशा-निर्देश जारी होंगे।

मेडिकल कालेज में भी कोरोना की जांच के लिए लैब आरंभ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि लखोली के श्रमिक अब ठीक हो चुके है और सभी व्यापारी उनका सहयोग करें एवं उन्हें कार्य पर रखे। बिना मास्क लगाए आने वाले ग्राहकों को व्यापारी सामान न दें।

तैयार आवासीय प्रोजेक्ट में 100% एफडीआई की मंजूरी संभव

नई दिल्ली। लंबे समय से सुस्ती की चपेट में चल रहे रियल एस्टेट सेक्टर के लिए अच्छी खबर है। सरकार कोरोना संकट के कारण फंड की कमी से जूझ रहे डेवलपर्स को राहत देने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पॉलिसी (एफडीआई) में बदलाव करने पर विचार कर रही है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, तैयार आवासीय प्रोजेक्ट में 100त्न एफडीआई की मंजूरी दी जा सकती है। रियल्टी विशेषज्ञों का कहना है कि इस कदम से रियल एस्टेट कंपनियों को पैसे की तंगी से राहत मिलेगी। साथ ही अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज करने में भी मदद मिलेगी।

डीआईपीपी बना रहा है मसौदा

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, रियल एस्टेट सहित कुछ और सेक्टर में एफडीआई के जरिये निवेश बढ़ाने के लिए नियमों में ढील दी जा सकती है। प्रक्रिया को और आसान बनाने के साथ भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) काम कर रहा है। इन क्षेत्रों में निवेश को लेकर मौजूदा समय में काफी पेंचीदगी है।

रियल एस्टेट कंपनी अंतरिक्ष इंडिया के सीएमडी राकेश यादव ने बताया कि एफडीआई के जरिये विदेशी निवेश आने से इस सेक्टर में फंड की कमी दूर होगी। फंड की कमी से देशभर में सैंकड़ों प्रोजेक्ट निर्माणाधीन हैं। एमडीआई के जरिये फंड मिलने से डेवलपर्स को अधूरे प्रोजेक्ट का पजेशन देना संभव हो पाएगा। इससे देशभर के लाखों घर खरीदारों को फायदा मिलेगा। साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने में भी मदद मिलेगी। रियल एस्टेट रेलवे के बाद दूसरा रोजगार देने वाला सेक्टर है। इस सेक्टर में काम शुरू होने से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

पारदर्शिता बढ़ने से निवेश मिलना आसान हुआ

प्रॉपर्टी विशेषज्ञ प्रदीप मिश्रा ने बताया कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट (रेरा) और जीएसटी लागू से रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता बढ़ी है। इसके चलते पिछले साल इस क्षेत्र में करीब 6.2 अरब डॉलर (43,700 करोड़ रुपये) का निवेश हुआ, जो इस क्षेत्र में निवेश में 27 फीसदी की बढ़ोतरी को दर्शाता है। यह ट्रेंड एफडीआई के नियम आसान होने से और बढ़ने की उम्मीद है।

रुके प्रोजेक्ट काम जल्द पूरा होगा

रियल एस्टेट कंपनी अंतरिक्ष इंडिया के सीएमडी राकेश यादव ने बताया कि एफडीआई के जरिये विदेशी निवेश आने से इस सेक्टर में फंड की कमी दूर होगी। फंड की कमी से देशभर में सैंकड़ों प्रोजेक्ट निर्माणाधीन हैं। एमडीआई के जरिये फंड मिलने से डेवलपर्स को अधूरे प्रोजेक्ट का पजेशन देना संभव हो पाएगा। इससे देशभर के लाखों घर खरीदारों को फायदा मिलेगा। साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने में भी मदद मिलेगी।

न्यूज गैलरी

ट्रैक्टरों की खुदरा बिक्री जून में 11 प्रतिशत बढ़ी

नई दिल्ली (वार्ता)। कोविड-19 संकट के बीच अच्छे मानसून और कृषि कार्यों में तेजी से जून महीने में देश में ट्रैक्टरों की खुदरा बिक्री 11 फीसदी बढ़ गई, हालाँकि अन्य सभी श्रेणी के वाहनों की बिक्री में भारी गिरावट रही। ऑटोमोबाइल डीलर संघों के महासंघ (फाडा) द्वारा आज जारी आँकड़ों के अनुसार, जून में यात्री वाहनों की बिक्री जून 2019 की तुलना में 38.34 प्रतिशत घटकर 1,26,417 इकाई और दुपहिया वाहनों की बिक्री 40.92 प्रतिशत घटकर 7,90,118 इकाई रह गई। पिछले साल जून में देश में 2,05,011 यात्री वाहन और 13,37,462 दुपहिया वाहन बिके थे। फाडा ने बताया कि अन्य वाहनों से इतर ट्रैक्टरों की बिक्री में तेजी आई है। एक साल पहले के मुकाबले इस साल जून में 45,358 ट्रैक्टर बिके जो पिछले साल के 40,913 की तुलना में 10.86 फीसदी अधिक है।

ढाई हजार कर्मचारियों की छंटनी करेगी इंडिगो

नई दिल्ली (वार्ता)। देश की सबसे बड़ी विमान सेवा कंपनी इंडिगो ने खस्ता वित्तीय स्थिति का हवाला देते हुए करीब ढाई हजार कर्मचारियों की छंटनी की घोषणा की है। कंपनी ने सोमवार को बताया कि खराब वित्तीय स्थिति के कारण वह 10 प्रतिशत कर्मचारियों को नौकरी से निकालेगी। एयरलाइंस में करीब 24 हजार कर्मचारी हैं। इस प्रकार तकरीबन ढाई हजार लोगों की रोजी-रोटी छिन जायेगी। इनमें पायलट और केबिन क्रू समेत सभी श्रेणी के कर्मचारी शामिल हैं।

रुपया 16 पैसे मजबूत

मुंबई (वार्ता)। दुनिया की अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर में रही नरमी और घरेलू शेयर बाजारों की मजबूती के दम पर अंतरबैंकिंग मुद्रा बाजार में रुपया मंगलवार को 16 पैसे की मजबूती के साथ 74.75 रुपये प्रति डॉलर पर बंद हुआ। भारतीय मुद्रा तीन दिन में 43 पैसे मजबूत हुई है। पिछले कारोबारी दिवस पर यह 11 पैसे की बढ़त के साथ 74.91 रुपये प्रति डॉलर पर रही थी।

इन्वेस्टर क्लिनी ने की व्यापारिक मॉडल 'प्रोपर्टी स्वैप' की शुरुआत

इन्वेस्टर्स क्लीनिक ने पांच प्रतिष्ठित बिल्डरों के साथ हाथ मिलाया

नई दिल्ली (वार्ता)। प्रमुख रियल एस्टेट कंपनी इन्वेस्टर्स क्लीनिक (आईसी) ने एक नए व्यापारिक मॉडल की घोषणा की, जो कि रियल एस्टेट ग्राहकों को राहत दिलाएगा। आईसी का नया बिजनेस मॉडल 'प्रॉपर्टी स्वैप' हाउसिंग के साथ-साथ कमर्शियल रियल एस्टेट दोनों में फंसे खरीदारों की मदद करने के लिए एक नेक कदम है। अविभाज्य परियोजनाओं का सामना करने वाले ग्राहक अनुबंध पुनर्गठन के माध्यम से अपनी संपत्ति का उन्नयन कर सकते हैं।

इन्वेस्टर्स क्लीनिक ने पांच प्रतिष्ठित बिल्डरों के साथ हाथ मिलाया है, एम 3 एम, मिगसन ग्रुप, भूटानी ग्रुप, सुपरटेक और होम एंड सोल। यह रणनीतिक गठजोड़, ग्राहकों को अपनी सम्पत्ति को उन्नयन या अदला बदली करने में मदद करेगा। इन्वेस्टर्स क्लीनिक एक ही डेवलपर के भीतर या किसी अन्य डेवलपर को स्थानांतरित करके निवेश के पुनर्गठन में मदद करेगा।

किसी भी रियल एस्टेट कंपनी के ग्राहक,चाहे वह हाउसिंग या कमर्शियल में हो, सम्पूर्ण दिल्ली-एनसीआर में, जो अपने वर्तमान डेवलपर्स बके साथ समस्याओं का सामना कर रहे हों, अपने अटक गए निवेशों के बदले में सर्वश्रेष्ठ सौदों का लाभ उठाने के लिए आईसी विशेषज्ञों से संपर्कवकर सकते हैं। इन्वेस्टर्स क्लीनिक विशेषज्ञ उचित परिश्रम करेंगे ग्राहक को अनुबंध के पुनर्गठन से रेडी टू मूव इन दिलाने में।

इन्वेस्टर्स क्लीनिक ने 'शिफ्ट इन बुक' के लिए 100 वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम तैयार की है, जो एक डेवलपर से दूसरे डेवलपर में शिफ्त होने की प्रक्रिया में मदद करेंगे। पेपर वर्क को एक संरचित और डिजिटल रूप से पारदर्शी तरीके से समन्वित किया जाएगा, ताकि डेवलपर्स और ग्राहक दोनों ही इस प्रक्रिया से समाधान पा सकें।

इन्वेस्टर्स क्लीनिक के संस्थापक, हनी कटियाल ने कहा,÷हम रियल एस्टेट निवेशकों के सामने आने वाली कठिनाइयों को महसूस कर सकतें हैं। उन्हें अपनी मौजूदा निवेशों की क्षमता का एहसास करने मै मदद करने के लिए जो अभी एक मृत अंत में हैं, उनके लिए हमने ये मॉडल बनाया है। हम अगले तीन महीनों में 5000 लेनदेन और निष्पादन को पूरा करने की उम्मीद करते हैं। हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ने के लिए हम और अधिक डेवलपर्स की तलाश कर रहे हैं। हम आशा करते हैं, यह प्रस्ताव सभी के लिए एक नई उम्मीद लेकर आयेगा।÷

श्री कटियाल ने कहा,÷जैसे कि कहा जाता है, संकट सभी आविष्कारों का जननी है। एक तरफ कोविड-19 ने रियल एस्टेट क्षेत्र को किसी भी अन्य क्षेत्र की तरह प्रभावित किया है, इसने उद्योग के नेताओ को भी परिवर्तनात्मक तरीके से सोचने के लिए प्रेरित किया है।

इनवेस्टर्स क्लीनिक के पूरे भारत में 34 कार्यालों का मजबूत नेटवर्क है। दुबई, दोहा और सिंगापुर में अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति के साथ वेश्विक स्तर पर 1.5 लाख वर्ग फुट से अधिक है। इन्वेस्टर्स क्लीनिक का 200 करोड़ से अधिक के टर्न ओवर के साथ 2000 से अधिक करोड की ब्रांड वैल्यू है। इन्वेस्टर्स क्लीनिक तेज़ी से अपनी पहुंच और उपस्थिति को मजबूत कर रहा है। इन्वेस्टर्स क्लीनिक के पास 200 से अधिक आग्रीण डेवलपर्स के साथ काम करने का एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड है। कम्पनी ग्राहकों को श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ सेवा देने को सक्षम है। यह विष्वसतारीय तकनीक, प्रक्रिया और ग्राहकब्सेवा संपर्क में तत्परता की मिसाल है।

सामाजिक दायित्व के तहत मास्क एवं सैनिटायजर का वितरण

रायपुर। छत्तीसगढ़ में वैश्विक महामारी कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर कल (21 जुलाई) रायपुर स्थित जिला समाहरणालय के जिला पंचायत मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री डॉ गौरव कुमार सिंह को पंजाब नेशनल बैंक के सामाजिक दायित्व निर्वहन (सीएसआर) गतिविधियों के तहत अंचल कार्यालय रायपुर के अंचल प्रबंधक श्री एस.के.राणा (महा प्रबंधक) एवं मंडल कार्यालय रायपुर के मंडल प्रमुख श्री मनमोहन लाल चांदना (उप महा प्रबंधक) द्वारा समाज के कमजोर एवं गरीब वर्ग हेतु मास्क एवं सैनिटाइजर प्रदान किया गया. उक्त कार्यक्रम के दौरान रायपुर कलेक्ट्रेट शाखा के शाखा प्रबंधक श्री राजीव कुमार गुप्ता भी उपस्थित रहें. पंजाब नेशनल बैंक द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर सभी जिलों में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया एवं कोविद राहत सामग्री जिला प्रशासन को सोंपी गई. बैंक द्वारा भविष्य में भी इसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करना प्रस्तावित है. इस मास्क एवं सैनिटाइजार वितरण कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया, साथ ही साथ लोगों से भी यह अपील किया गया कि वें भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें एवं अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलने एवं सदैव मास्क एवं सैनिटाइजर का प्रयोग करें।

एनटीपीसी लारा की दूसरी यूनिट विद्युत उत्पादन हेतु तैयार

रायपुर। एनटीपीसी लारा की यूनिट 2 ने सफ्लतापूर्वक अपना ट्रायल ऑपरेशन लक्ष्य पूर्ण कर लिया है। इस घोषणा के साथ ही एनटीपीसी लिमिटेड की कुल स्थापित क्षमता 62910 मेगावाट पहुँच चुकी है एवं लारा के प्रथम चरण की 1600 मेगावाट क्षमता प्राप्ति का लक्ष्य भी पूर्ण हो चुका है। एनटीपीसी लारा की यूनिट 2 का 72 घंटे का फुल लोड (800 मेगावाट पर)

ट्रायल ऑपरेशन लक्ष्य 12.07.2020 को रात्रि 01:00 बजे सफ्लतापूर्वक हासिल हुआ। दिनांक 20.07.2020 को समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति के पश्चात कंपनी ने क्षमता वृद्धि की घोषणा की । एनटीपीसी की वर्तमान 62910 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता में एनटीपीसी समूह के पास 24 कोयला, 7 संयुक्त चक्रीय गैस / तरल ईंधन, एक पनबिजली, 13 नवीनीकरण और 25 सहायक और संयुक्त उद्यम बिजली स्टेशनों के साथ 70 बिजलीघर हैं। क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक श्री विनोद चौधरी एवं कार्यकारी निदेशक, लारा श्री संजय मदान ने एनटीपीसी लारा के सभी कर्मचारियों को मानदंडों के अनुरूप पूर्ण लोड ट्रायल ऑपरेशन लक्ष्य प्राप्ति में योगदान हेतु बधाई दी ।

पंजाब नेशनल बैंक ने किया मास्क और सेनीटायजर का वितरण

रायपुर (नवप्रदेश)। देश के दूसरे सबसे बड़े सार्वजनिक बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने अपने सम्मानित ग्राहक, कोरोना वारियर्स व आम जनता को कोविड 19 के प्रकोप से बचाने के लिए नियमित रूप से थर्मल स्क्रीनिंग, हाथ धोने, सोशल डिस्टेसिंग का पालन, मास्क धारण, सेनीटायजर का इस्तेमाल के प्रति न केवल जागरूक कराया बल्कि समय-समय पर मास्क और सेनीटायजर का वितरण भी किया जा रहा है। कोविड-19 महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है। इस महामारी के रोकथाम के लिए पंजाब नेशनल बैंक ने कार्पोरेट सोशल रेस्पोंसीबिलिटी के अंतर्गत, 20 जुलाई 2020 देश के 684 जिलों में (बैंक की उपस्थिति दर्ज है) मास्क और सेनीटायजर आदि का वितरण किया गया। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य में हरेली त्यौहार के कारण यह CSR एक्टिविटी भिलाई में 21 जुलाई 2020 को किया गया। मण्डल कार्यालय भिलाई, छत्तीसगढ़ के 13 जिलों जैसे दुर्ग, धमतरी, कबीरधाम, राजनांदगांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, बालोद, कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, सुकमा और बेमेतरा जिलो में फैला हुआ है। इस अवसर पर मण्डल प्रमुख श्री जितेन्द्र स्वाई के नेतृत्व में भिलाई मण्डल के सभी 13 जिलों में लगातार तीन महीने (जुलाई से सितम्बर) तक सेनीटाईजर एवं मास्क का वितरण किया जाएगा।

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202007100400386

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक ए नागेश्वर आ. ए रामाराव निवासी धनोरा द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम धनोरा प.ह.न. 39 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 680/45 रकबा 0.014 हें/ 1572 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 16.07.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202007100400409

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती दामेश्वरी धुर्वे पति युवराज सिंह धुर्वे निवासी ननकट्ठी दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम धनोरा प.ह.न. 39 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 18/10 रकबा 0.023 हें/ 2500 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 17.07.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202007100400410

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती फिलासिता लकड़ा पति पेत्रुस लकड़ा निवासी मधुबन नगर बोरसी द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम बोरसी प.ह.न. 23 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 282/8, 282/25 रकबा 0.044, 0.014, 0.058 हें/ 6300 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 17.07.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202007100400417

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती सतविंदर कौर पति जगतार सिंह निवासी कादम्बरी नगर दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उरला प.ह.न. 07 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 637/19, 638/8 रकबा 0.022, 0.011, 0.033 हें/ 3600 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 17.07.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202007100400418

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती सुभद्रा देवी वैष्णव पति कृष्ण कुमार वैष्णव निवासी उरला दुर्ग द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम उरला प.ह.न. 07 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 789/8 रकबा 0.026 हें/ 2860 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 17.07.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

पंजी. 202007100400404

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक नरेन्द्र कुमार देशलहरे आ. स्व. भागचंद देशलहरे निवासी विनायकपुर द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम पोटियाकला प.ह.न. 23 तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 395/28 रकबा 0.035 हें/ 3690 वर्गफीट के आवासीय प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 59 (2) के तहत् पुर्ननिर्धारण बाबत् आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा -आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 17.07.2020 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी, दुर्ग जिला, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्रं./अ-06/वर्ष 2019-20

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक हेमंत कुमार आ. उमरचंद देवांगन निवासी उतई तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम उतई तह. व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 1139/8 रकबा 0.0250 हें भूमि जो कि आवेदक के पिता उमरचंद पिता जगन्नाथ के नाम पर वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। उक्त भूमि के भूमिस्वामी की मृत्यु 30.06.2020 को हो जाने पर फौती दर्ज कर विधिक वारिसानों का नाम वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज किए जाने बाबत् आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 23.07.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 15.07.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — नायब तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./1178/अ-06/वर्ष 2019-20

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक मनीष तिवारी पिता एम.के. तिवारी निवासी ग्राम बोरसी कालोनी दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम बोरसी तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 170/2 कुल रकबा 0.012 हें. मे से रकबा 198 वर्गफुट भूमि को विक्रेता राजेश सिंह ठाकुर पिता स्व. प्रहलाद सिंह ठाकुर निवासी ग्राम मुक्त नगर कसारीडीह से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 10.07.2020 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 07.08.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 16.07.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र.//अ-06/वर्ष 2019-20

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदिका श्रीमती लक्ष्मी आ. स्व. राजैय्या साकिन रिसाली द्वारा ग्राम रिसाली प.ह.न. 22 रा.नि.मं. दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि खसरा नंबर 1184/12 रकबा 0.024 हे. जो उसके स्व. राजैय्या के नाम पर दर्ज है की फौती दर्ज किए जाने के संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिस पर प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उपरोक्त भूमि का नाम विलोपित किए किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 07.08.2020 तक या उसके पुर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद में प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 16.07.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुहर के साथ जारी किया गया।

मुहर — अतिरिक्त तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा-पत्र

मा.क्र./445/अ-74/ वर्ष 2019-20

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक अजय चंद्राकर पिता परमानंद चंद्राकर द्वारा ग्राम पोटियाकला प.ह.नं. 23 रा.नि.मं. दुर्ग 01 तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नबर 11/3 शामिल 111/5 व 111/08 भूमि अजय आ. परमानंद, आदित्य कुमार आ. गोविंद चंद्राकर के नाम पर दर्ज है। यह भूमि मैं विक्रय करना चाहता हूं किन्तु खसरा, बी-1 में आपत्ति दर्ज लिखे होने के कारण रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। खसरा नं. 111 के सभी टुकडो में आपत्ति लिखा गया है बिना कोई रिकार्ड व आदेश आपत्ति लिखा जिससे आपत्ति को हटवाने का आवेदन मय दस्तावेज के साथ प्रस्तुत किया गया है। जिसका प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था उक्त भूमि के संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो दिनांक 06.08.2020 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नही किया जावेगा।

आज दिनांक 14.07.2020 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया जाता है।

मुहर — तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा-पत्र

मा.क्र./57/अ-6(अ)/ वर्ष 2019-20

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक ईश्वर चंद सेठ आ. स्व. हरिप्रसाद सेठ निवासी मानसरोवर रामलीला मैदान के पास रसुलपुर रोड मोहल्ला पुरानी गोरखपुर (उ.प्र) द्वारा ग्राम पोटियाकला प.ह.नं. 23 रा.नि.मं. दुर्ग 01 तह. व जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नबर 176/2 वर्तमान रकबा 0.237 हे. में रकबा 0.026 हे. ईश्वर चंद सेठ आ. स्व. हरिप्रसाद सेठ के नाम पर दर्ज है। तथा 176/11 रकबा 0.026 हे. ऋणपुस्तिका में दर्ज है। आवेदक के द्वारा वर्ष 05/05/2015 को विक्रेता जी.पी. चंद्राकर से 176/2 का टु. रकबा 0.263 हे. मे से 0.026 खरीदा था लेकिन बंटाकन दूसरे खसरे में हो गया है। जिससे खसरा नं. 176/2 वर्तमान रकबा 0.237 हे. मे से रकबा 0.026 हे. और संसोधन कर कुल रकबा 0.263 एवं खसरा नं. 176/2 का जो भी वर्तमान बटांकन आगे बटता है उसमें आवेदक का नाम दर्ज करने का आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसका प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था उक्त भूमि के संबंध में आपत्ति दावा या उजर पेश करना हो तो दिनांक 27.07.2020 तक स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति दावा या उजर प्रस्तुत कर सकते है। बाद में प्राप्त आपत्ति आवेदन पर कोई कार्यवाही नही किया जावेगा।

आज दिनांक 10.07.2020 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पद मुद्रा से प्रकाशन हेतु जारी किया जाता है।

मुहर — तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग उतई सर्किल (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र./अ-06/ वर्ष 2019-20

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक चेतन कुमार पिता चंद्रशेखर निवासी उतई तह. व जिला दुर्ग के द्वारा आवेदक एवं मेरे सहखातेदार के शामिल नाम से मौजा उतई प.ह.न 42 स्थित भूमि खसरा नंबर 849, 850 कुल रकबा 0.540 हे. वर्तमान राजस्व अभिलेख में दर्ज है। राजस्व अभिलेख में आवेदक चेतन कुमार नाबा. चंद्रशेखर पालक पिता चन्द्रशेखर पिता गैंदूराम दर्ज है। सहखातेदार का नाम रविशंकर नाबा. पिता ईश्वरलाल पालक पिता ईश्वरलाल पिता गैंदूराम दर्ज है। आवेदक की जन्मतिथि 10.07.1995 की है वर्तमान में उम्र 25 वर्ष हो चुका है तथा सहखातेदार रविशंकर की जन्मतिथि 21.03.1991 की है वर्तमान में उम्र 28 वर्ष पूर्ण हो चुका है। इस तरह दोनो बालिग हो चुके है। नाबालिग से बालिग दर्ज किए जाने आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत दिनांक 29.07.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 13.01.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — नायब तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग उतई सर्किल (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र./अ-06/ वर्ष 2019-20

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक चन्द्रशेखर पिता स्व. गैंदूराम निवासी उतई तह. व जिला दुर्ग के द्वारा आवेदक एवं उनके भाई ईश्वरीलाल पिता गैंदूराम पिता परसराम के शामिलात नाम से मौजा पुरई प.ह.न 40 स्थित भूमि खसरा नंबर 1125 रकबा 0.440 हे. लगान 1.00 रु राजस्व अभिलेख में दर्ज है। आवेदक के सहखातेदार पिता गैदूराम पिता परसराम की मृत्यु दिनांक 25.07.2007 को हो चुकी है। जिससे उनकी फौती दर्ज कर शेषखातेदारों का नाम यथावत् रखे जाने आवेदन प्रस्तुत किया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत दिनांक 29.07.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 14.01.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — नायब तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

रा.प्र.क्र./1175/अ-06/वर्ष 2019-20

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक केजूराम पिता सदाराम निवासी ग्राम डिपरापारा दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग के द्वारा ग्राम कसारीडीह तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि खसरा नंबर 113/1 रकबा 0.006 हे. भूमि को विक्रेता बलीराम पिता परसुराम अन्य निवासी ग्राम से रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 14.12.1987 को क्रय किया गया है। उक्त आवेदित भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर क्रेता के पक्ष में प्रमाणीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 06.08.2020 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है। समयावधि पश्चात् आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 15.07.2020 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा के साथ जारी किया गया।

मुहर — तहसीलदार, दुर्ग (छ.ग.)

महारानी अस्पताल के प्रति बस्तर के लोगों की भावनात्मक लगाव : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने किया नदीतट वृक्षारोपण अभियान, काजू प्रसंस्करण सहित अन्य कार्यों की सराहना

■ वृक्षारोपण में ग्रामीणों को आर्थिक लाभ देने वाले फलदार पौधों को प्राथमिकता देने के निर्देश

■ 244 करोड़ 25 लाख के विकास कार्यो का किया लोकार्पण एवं भूमिपूजन

नवप्रदेश संवाददाता

जगदलपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि महारानी अस्पताल के प्रति बस्तर के लोगों की भावनात्मक लगाव के कारण ही अस्पताल को उसी जगह में रखते हुए तीन चरणों में उसका जीर्णोद्धार किया गया। उन्होंने कहा कि नदी तट वृक्षारोपण में ग्रामीणों को आर्थिक लाभ देने वाले फलदार पौधों का वृक्षारोपण करने से आबो-हवा के साथ-साथ पर्यावरण के लिए भी लाभ दायक होगा। बस्तर में कॉफी और हल्दी के उत्पादन से आदिवासी भाई-बहनों के अर्थव्यवस्था में सुधार से जनजाति बंधु शिक्षा, स्वास्थ्य में आगे बढ़ते हुए क्षेत्र के विकास में सहभागी बनेंगे। मुख्यमंत्री मंगलवार 21 जुलाई को महारानी अस्पताल परिसर में आयोजित 244 करोड़ 25 लाख के विकास कार्यो के लोकार्पण एवं भूमिपूजन कार्यक्रम को वीडियों कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने महारानी अस्पताल को देश के सर्वश्रेष्ठ जिला अस्पताल के रूप में सुविधाओं से युक्त किया गया है। अब अन्य राज्य के लोग भी इस अस्पताल में इलाज के लिए आने लगे हैं। जिला प्रषासन को निर्देषित करते हुए उन्होंने कहा कि अस्पतालों में

डॉक्टर की कमी न हो, विभिन्न मदों से विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती किया जाए। उन्होंने मलेरिया मुक्त बस्तर, कुपोषण मुक्ति अभियान एवं उल्टी-दस्त के रोकथाम हेतु किए गए कार्यों की सराहना की और मुख्यमंत्री हाट-बाजार क्लिनिक को सुचारू रूप से संचालन करने को कहा।

मुख्यमंत्री बघेल ने बस्तर जिला प्रशासन द्वारा आमचो इंद्रावती-कठा लगाऊ बुटा नदीतट वृक्षारोपण अभियान, युवोदय-वॉलेटियर के कार्यों, मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान, बकावण्ड में काजू प्रसंस्करण केंद्र, दरभा-डिलमिली क्षेत्र में कॉफी और जिले में हल्दी उत्पादन के कार्यो की सराहना किए। साथ ही बस्तर क्षेत्र के अंतर्गत किए जा रहे स्वास्थ्य केंद्रों और अन्य स्थानों पर पुल-पुलिया के निर्माण की प्रसंनता व्यक्त किए। श्री बघेल ने निर्माण कार्य में गुणवत्ता पर ध्यान रखने के लिए निर्देष देते हुए अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को भी निर्माण के दौरान निरीक्षण करने कहा।

इस कार्यक्रम को वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने भी संबोधित कर शुभकामनाएं दी। वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग में स्कूल शिक्षा एवं जिले के प्रभारी मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम एवं वरिष्ट अधिकारी जुड़े थे। कार्यक्रम स्थल पर सांसद दीपक बैज, संसदीय सचिव नगरीय निकाय रेखचंद जैन, हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष चंदन कष्यप, अक्षय ऊर्जा विकास निगम के अध्यक्ष मिथलेष स्वर्णकार, चित्रकोट विधायक राजमन बेंजाम, महापौर सफीरा साहू, संभाग आयुक्त अमृत खलखो, आईजी पी. सुन्दरराज, कलेक्टर रजत बंसल, पुलिस अधीक्षक दीपक झा, सीईओ जिपं इंद्रजीत चंद्रवाल सहित जनप्रतिनिधि एवं प्रषासन व स्वास्थ्य विभाग अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों द्वारा स्वास्थ्य विभाग के मातृ-शिशु वार्ड कादम्बरी का लोकार्पण और विकासकार्यो के लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया गया। जिला प्रषासन द्वारा अस्पताल के कंडम वाहन को रिमोडीफाई कर नक्सल पीड़ित परिवार को आमचो बस्तर कैंटिन संचालन करने के लिए मोबाईल कैंटिन का भी जनप्रतिनिधियों ने फीता काटकर लोकार्पण किया।

कार्यक्रम में नदीतट वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत् तिरथा ग्राम पंचायत में युवोदय के वॉलिंटियर द्वारा मुख्यमंत्री श्री बघेल के नाम पर 50 हजारवां वृक्षारोपण किया गया। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने वीडियों कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से युवोदय के वॉलिंटियरों एवं बकावण्ड काजू प्रसंस्करण केंद्र के महिलाओं से उनके कार्यो के संबंध में चर्चा की। कार्यक्रम की शुरूआत हल्बी भाषा में तैयार की गई राजकीय गीत के माध्यम से किया गया।

स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 5 किलोमीटर पैदल चलकर किया स्वास्थ्य परीक्षण

■ पहाड़ी ग्राम ताराझर, कुरूवापानी और उंडापारा पहुंची टीम

गरियाबंद। एक तरफ कोरोना वायरस की माहमारी से जंग तो दूसरी ओर बीहड़ जंगलों में रहने वाले और बहुत से सुदुर इलाकों में लोगों तक राष्ट्रीय कार्यक्रमों का क्रियान्वयन और स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने के लिए पूरे जिले का स्वास्थ्य अमला मुस्तैदी से काम कर रहा है। विगत दिनों मैनपुर विकसखण्ड अंतर्गत कुल्हाड़ीघाट के पहाड़ स्थित दुर्गम ग्राम ताराझर कुरूवा पानी में स्वास्थ्य टीम पहुंच कर लोगो को स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर गर्भवती माता और बच्चों को टीकाकरण किया गया था। इसी तरह से गरियाबंद विकासखण्ड के सुदुर 40 किलोमीटर दूर के

लीटीपारा उप स्वास्थ्य केन्द्र के आश्रित ग्राम उंडापारा में बरसते पानी में पथरीले बहते नाले को पार कर 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्वाथ्य विभाग की टीम ने गांव के हितग्राहियों को शिशु संरक्षण माह के तहत दी जाने वाली सुविधाएं उपलब्ध कराई। उंडापरा के आंगनबाड़ी केन्द्रों में शिशु संरक्षण माह आयोजित कर गर्भवती माता और छोटे बच्चों को टीकाकरण किया गया साथ ही 9 माह से 5 वर्ष तक के 29 बच्चों को विटामिन सिरप पिलाया गया और 6 माह से 5 वर्ष तक के 32 बच्चों को आयरन सिरप पिलाया गया। स्वास्थ्य टीम में शामिल ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक भीम सिंह मरकाम , ओंकेश्वरी कंवर ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता फुलेश्वरी तथा मितानिन बिसाहिन बाई के सहयोग से 43 घर और 232 की जनसंख्या वाले विशेष पिछड़ी जनजाति कमार बहुल इस छोटे से गांव में स्वास्थ्य शिविर लगाकर सर्दी, बुखार और अन्य मौसमी बीमारी से पीड़ित मरीजों का निःशुल्क दवा देकर उपचार भी किया गया। लोगो को कोरोना बीमारी के संबंध में जागरूक करते हुए मास्क पहनने, हाथों को साबुन, पानी से कम से कम 20 सेकंड तक धोने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का सलाह दिया गया। गहन डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा के तहत दस्त उपचार हेतु ओ. आर. एस. घोल बनाने की जानकारी दी गई।

खाद्य मंत्री की मौजूदगी में वोरा ने स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन के चेयरमेन का पदभार संभाला

क्षमता विस्तार एवं आधुनिक तकनीक से भंडारण पर होगा फोकस : वोरा

नवप्रदेश संवाददाता

रायपुर। छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन के नवनियुक्त चेयरमेन अरूण वोरा ने आज पदभार ग्रहण कर लिया। नई राजधानी स्थित कार्पोरेशन के कार्यालय में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने उन्हें पदभार सौंपा। गौरतलब है कि कार्पोरेशन के चेयरमेन का पद अभी तक भगत संभाल रहे थे। आज उनकी मौजूदगी में वोरा ने कार्पोरेशन के चेयरमेन का पदभार ग्रहण किया।

इस मौके पर भगत ने कहा कि वरिष्ठ विधायक अरूण वोरा की सादगी, सीधे सरल स्वभाव और ईमानदार छवि के सभी कायल हैं। स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन के चेयरमेन की जिम्मेदारी वोरा को दी गई है। कार्पोरेशन में काम करने की काफी संभावनाएं हैं। वोरा अपने अनुभव के कारण कार्पोरेशन के कार्यों को विस्तार देने के साथ ही आय के श्रोत विकसित कर लाभ बढ़ाने में सफल होंगे। उन्होंने वोरा को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कार्पोरेशन के कार्यों के विस्तार के लिए हरसंभव सहयोग किया जाएगा। पदभार ग्रहण के दौरान विभागीय अफसरों, कर्मचारियों को संबोधित करते हुए

वोरा ने सबसे पहले चेयरमेन पद पर नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को धन्यवाद देते हुए कहा कि वे मुख्यमंत्री के भरोसे पर खरा उतरने हरसंभव प्रयास करेंगे। वोरा ने कहा कि कार्पोरेशन में तीन बिंदुओं पर फोकस करना होगा। पहला कार्य क्षमता के विकास का होगा, जिसमें गोडाउन की स्टोरेज क्षमता बढ़ाने नए गोडाउन निर्माण करना जरूरी है।

आधुनिक तकनीक और उच्च गुणवत्ता के साथ स्टोरेज क्वालिटी रखने पर ध्यान केंद्रित करना होगा, ताकि गोडाउन में रखी सामग्री को होने वाले नुकसान का प्रतिशत शून्य करें ताकि अन्न सहित अन्य किसी भी सामग्री की बर्बादी न हो। इसके अलावा कार्पोरेशन के फायदे को और बढ़ाने पर केंद्रित किया जाएगा।

पदभार ग्रहण करने के दौरान कार्पोरेशन के निवर्तमान एमडी एलेक्स पाल ने कहा कि 2019-20 में कार्पोरेशन को कुल 170 करोड़ का लाभ हुआ। पूरे प्रदेश में 1450 स्थानों पर गोडाउन बनाने सहित 14 करोड़ की लागत से लैब का निर्माण करने की योजना पर भी आगामी दिनों में काम शुरू किया जाएगा जिससे रेडी टू ईट फूड एवं दुग्ध उत्पादों का लैब टेस्ट राज्य में ही संभव हो सकेगा। इस मौके पर कार्पोरेशन के एमडी नीलेश क्षीरसागर, महाप्रबंधक डॉ. कन्नौजे सहित विभागीय अधिकारी, कर्मचारी मौजूद थे। बाद में वोरा ने कार्पोरेशन के कार्यालय भवन के सभी सेक्शन का कामकाज देखा। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के कक्ष में जाकर मुलाकात की और परिचय लेने के साथ ही बेहतर कार्यशैली से काम करने की नसीहत दी। पदभार ग्रहण करते समय खाद्य निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष गुरप्रीत बाम्बरा, विधायक मोतीलाल देवांगन, दुर्ग के महापौर धीरज बाकलीवाल, सीजू एंथोनी, प्रदेश युकां अध्यक्ष कोको पाढ़ी, राजेश शर्मा, संदीप वोरा, सुमीत वोरा, अंशुल पांडेय, आयुष शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद थे।

जुआ खेलते दस गिरफ्तार, हजारों रुपये जब्त

रायपुर। जुआ खेलने की सूचना पर पुलिस ने 10 जुआरियों को गिरफ्तार कर उनके पास नगदी 22 हजार 5 सौ 30 रुपये एवं ताश की 52 पत्ती जब्त किया है। कोतवाली पुलिस से मिली जानकारी चांदनी चौक के पास नेहरुनगर में जुआ खेलने की सूचना पर सोमवार को करीब 2 बजे के आस-पास घेराबंदी कर शेख रहमुदीन 38 वर्ष एवं अन्य 9 जुआरियों को जुआ खेलते गिरफ्तार कर उनके पास से 22 हजार 5 सौ 30 रुपये जब्त व ताश की 52 पत्ती जब्त किया है।

छग नवसृजन मंच एवं बढ़ते कदम लाकडाउन में देगा एक दूसरे का साथ

रायपुर। छत्तीसगढ़ नवसृजन मंच के संयोजक डॉ. योगेश चंद्र मिश्रा एवं बढ़ते कदम के वरिष्ठ पदाधिकारियों से हुई चर्चा के अनुसार आगामी 22 जुलाई से 28 जुलाई के मध्य लगने वाले लाकडाउन में किसी भी प्रकार के समस्या आने पर ग्रुप में डालने पर अथवा व्यक्तिगत संपर्क करने पर परेशान व्यक्ति की समस्या का समाधान किया जाएगा।

दोनों संगठनों के सदस्यों के अनुसार लाकडाउन के चलते कोरोना वायरस महामारी कोविड-19 पर शासन द्वारा बीमारी पर नियंत्रण के लिए लगे लाकडाउन के कारण पहले ही मध्यम वर्गीय परिवारों की आर्थिक हालत दयनीय है वहीं एन राखी के समय लगने वाले लाकडाउन के कारण पूर्व में व्यापारियों द्वारा बुलाई गई बिक्री के लिए राखियों का उचित प्रतिसाद मिलने की संभावना कम है।

योगेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि लाकडाउन के कारण व्यापार व्यवसाय चौपट हो गया है। वहीं वर्ष 2020 का वर्ष लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। संगठनों के पदाधिकारियों के अनुसार उक्त अवांछनीय स्थिति में एक दूसरे का सहयोग कर ही समस्या से निपटा जा सकता है।

साथ ही कोरोना वायरस पाजीटिव मरीजों की संख्या में हो रही वृद्धि को देखते हुए आवश्यक काम से ही मुंह में मास्क पहनकर लोगों को घर से निकलने की सलाह दी गई है साथ ही प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री से लाकडाउन की समस्या का स्थायी हल खोजे जाने की मांग दोनों संगठनों के सदस्यों ने की है।

छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष डॉ.किरणमयी ने पदभार ग्रहण किया

■ मंत्रियों, विधायकों सहित जनप्रतिनिधियों ने आयोग कार्यालय पहुंचकर दी शुभकामनाएं

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष डॉ.किरणमयी नायक ने आज यहां राजधानी के जलविहार स्थित कार्यालय में विधिवत पूजा-अर्चना कर पदभार ग्रहण किया। महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया ने छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद का प्रभार डॉ.किरणमयी नायक को सौंपा। उन्होंने नवनियुक्त अध्यक्ष श्रीमती नायक को बधाई और उनके सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। श्रीमती भेंड़िया ने कहा कि श्रीमती नायक को कानूनी

कामकाज संबंधी लंबा अनुभव रहा है। इसका लाभ अब प्रदेश की महिलाओं को मिलेगा। इस अवसर पर राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरू रूद्रकुमार, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री अमरजीत सिंह भगत, धरसीवा विधायक अनिता योगेन्द्र शर्मा,समाज कल्याण बोर्ड की नवनियुक्त अध्यक्ष श्रीमती करूणा शुक्ला सहित कई जनप्रतिनिधियों ने कार्यालय पहुंचकर श्रीमती नायक को अपनी बधाई और शुभकामनाएं दी। श्रीमती नायक ने कहा कि महिला आयोग में कार्यभार ग्रहण करने के बाद उनकी प्राथमिकता मामलों के त्वरित निराकरण की होगी। यहां के सभी लंबित मामलों की सूची बनाकर समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रताड़ना से पीड़ित महिलाएं आयोग में आकर शिकायत कर सकती हैं। यहां घरेलू, सामाजिक या कार्यस्थल पर प्रताड़ना जैसे सभी मामलों पर सुनवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मेरा 30 साल का कानूनी अनुभव कहता है कि महिलाओं के अंदर के डर को समाप्त कर उनके हौसले को उभारने की जरूरत हैं, इसके बाद वह अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती हैं। उनकी कोशिश रहेगी कि वह ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को न्याय दिला सकें। इसके लिए महिलाओं को भी खुल कर सामने आने की जरूरत है। इस अवसर पर विभागीय अधिकारी-कर्मचारी सहित उनके परिजन उपस्थित थे।

आरती स्पंज कंपनी आलनार से बिना माइनिंग के ले रही है अवैध लौह अयस्क

■ अपने क्षेत्र से ही माइनिंग कर लौह अयस्क लेना है जबकि ग्रामीण एवं नक्सलियों के भारी विरोध के कारण माइनिंग अब तक शुरू नहीं हुई

■ अवैध रूप से कंपनी किरंदुल, बचेली के आस पास रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र, शासकीय नजूल भूमि की अवैध खुदाई कर लोहा पत्थर के भंडारण को ले जाया जा रहा है

रवि दुर्गा

किरंदुल। बैलाडीला क्षेत्र की पहाड़ियों के आसपास प्रचुर मात्रा में लौह अयस्क के पत्थरों का भंडारा पाया जाता है । एनएमडीसी भारत सरकार की नवरत्न कंपनियां इन पहाड़ियों में माइनिंग का कार्य कर रही है । इसी तर्ज पर गुमियापाल ग्राम पंचायत के आलनार के पहाड़ियों की माइनिंग करने के लिए आरती स्पंज रायपुर ने भी लीज में लिया है और उनको गुमियापाल आलनार माइनिंग क्षेत्र से ही उत्खनन कर लौह अयस्क ले जाना है परंतु नक्सलियों एवं ग्रामीणों के भारी विरोध के कारण आज तक माइनिंग का कार्य शुरू नहीं कर पाई है इसके बावजूद भी 11 जुलाई को भांसी के जांच नाके से पीट पास के साथ आरती स्पंज लौह अयस्क से भरकर एक ट्रक एंट्री करा कर दंतेवाड़ा जाती है, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आरती स्पंज द्वारा किरंदुल बचेली के आसपास से अवैध खुदाई कर (बड़े - बड़े लोहे के पत्थर जिसे माफिया लालू माल कहते हैं) लौह भंडारण को शासकीय परिवहन अनुज्ञा पत्र(पीट पास) बनाकर अवैध

तरीके से लौह अयस्क ले जाया जा रहा है जिसे दंतेवाड़ा में डम्प कर केसर से छोटे गिट्टी के रूप में तब्दील किया जाएगा सबसे बड़ी बात यह है की आरती स्पंज को बिना माइनिंग किये ही माइनिंग ऑफिस से परिवहन अनुज्ञा पत्र(पीट पास) प्राप्त हो जा रहा है जिससे साफ नजर आता है कि किस तरह इस कार्य मे माइनिंग के बड़े अधिकारियों की मिली-भगत है लौह अयस्क के अवैध खुदाई से जहां एक ओर शासन को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है तो वहीं दूसरी ओर पर्यावरण को भी नुकसान है शासकीय अधिकारी और क्षेत्रीय बड़े नेताओं के साथ गलत तरीके से दो नंबर के माल को एक नंबर का बना कर आरती स्पंज कंपनी द्वारा ले जाया जा रहा है । तहसीलदार बड़े बचेली पुष्पराज पात्रे का कहना है कि आरती स्पंज द्वारा गुमियापाल ग्राम पंचायत के आलनार क्षेत्र में ग्रामीणों के भारी विरोध के कारण किसी प्रकार का माइनिंग कार्य अभी तक शुरू नहीं की गई है जानकारी से प्राप्त हो रही है कि आसपास के क्षेत्र से अवैध तरीके से लौह अयस्क लेकर जा रहे हैं । जिसकी जांच की जाएगी । माइनिंग अधिकारी दंतेवाड़ा योगेंद्र सिंह का कहना है कि आरती स्पंज को आलनार में जो स्वीकृत एरिया है उसी क्षेत्र में उनको माइनिंग करना है फिर उसके बाद वहां से ही लौह अयस्क का ट्रांसपोर्टिंग करना है हमारी जानकारी में 11 जुलाई को आरती स्पंज का एक ट्रक लौह अयस्क कारली में स्टोरेज किया गया है हमें आरती स्पंज वाले ने बताया कि माइनिंग क्षेत्र से ही लौह अयस्क लाया गया है । लेकिन अब वहां जाने से ही पता चलेगा की वहां माइनिंग हुई है कि नहीं जांच का विषय है माइनिंग नहीं हुई है तो वहां इलीगल है और उनके ऊपर माइनिंग एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया जाएगा ।